


निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

1996-97



With Best Compliments from :

M.G. Srivastava

Chief General Manager

DEPOSIT INSURANCE & CREDIT GUARANTEE CORPORATION

New India Centre, 17, Cooperage Road, Mumbai - 400 039.

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

प्रधान कार्यालय : छठी मंजिल, न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड, मुम्बई-400039

निदेशक बोर्ड की 35 वीं वार्षिक रिपोर्ट,
31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए
तुलन पत्र और लेखे

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1.	प्रेषण पत्र	iii और iv
2.	निदेशक बोर्ड	v
3.	संगठन तालिका	vi
4.	निगम के कार्यालय	vii
5.	निगम के प्रमुख अधिकारी	viii
6.	निगम का स्वरूप	ix
7.	विशिष्टता-प्रगति एक दृष्टि में	x
8.	निदेशकों की रिपोर्ट	1
9.	निदेशकों की रिपोर्ट के विषय में संलग्नक	8
10.	तुलन-पत्र और लेखे	34
11.	कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा	43
	तालिका I से X (चार्ट I से X)	

प्रेषण पत्र
(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
मुम्बई-400 039.

निवीप्रगानि/67/06.02.15/97-98

30 जून 1997
9 आषाढ़ 1919 (शक)

मुख्य महाप्रबंधक और सचिव,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
सचिव विभाग,
केन्द्रीय कार्यालय,
केन्द्रीय कार्यालय भवन,
शहीद भगतसिंह मार्ग,
मुम्बई-400 001.

प्रिय महोदय,

वर्ष 1996-97 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ भेजने का निदेश दिया है :

- i) 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि सहित निगम के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लेखे की एक प्रतिलिपि; और
- ii) 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

भवदीय,

ह./-

(डी. एस. आर. सिंहडु)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेषण पत्र
(भारत सरकार को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
मुम्बई-400 039.

निबीप्रगानि/66/06.02.16/97-98

30 जून 1997
9 आषाढ़ 1919 (शक)

सचिव,
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग,
(बैंकिंग प्रभाग)
“जीवनदीप”, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001.

प्रिय महोदय,

वर्ष 1996-97 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

- i) 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और
- ii) 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।
2. तुलन-पत्रों की प्रतियाँ और निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी है। उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजी जा रही है।
3. कृपया हमें उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें।

भवदीय,

ह./-

(डी. एस. आर. सिंहडु)
मुख्य महाप्रबंधक

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(क) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

आर. वी. गुप्ता

उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई

निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1)(ख) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

एस. गुरुमूर्ति

कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1)(ग) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नामित

बी. वी. व्यास (4 फरवरी 1997 से)

उप सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1)(घ) के अंतर्गत नामित

एस. एच. खान

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई

एन. पी. सारडा

सनदी लेखाकार, मुम्बई

पी. डब्ल्यू. रेगे

भूतपूर्व अध्यक्ष, सारस्वत सहकारी बैंक लि., मुम्बई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ङ) के अंतर्गत नामित

गंगाधर गाडगिल

अर्थशास्त्री, मुम्बई


पी. एन. जोशी

अध्यक्ष, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि., सतारा, महाराष्ट्र

रशीद जिलानी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली

संगठन तालिका



निगम के कार्यालय

फैक्स नं. : 022-2874168

प्रधान कार्यालय :	न्यू इंडिया सेंटर, 4, 5, 6, और 7 वीं मंजिल, 17, कूपरेज रोड, पोस्ट बॉक्स सं. 1076, मुम्बई - 400 039.	टेलीफोन संख्या	तार
		202 0299.	क्रेडिटगार्ड
	मुख्य महाप्रबंधक	202 7323 (सी.ला.)	
	(i) महाप्रबंधक	204 4876 (सी.ला.)	
	(ii) महाप्रबंधक	202 2408 (सी.ला.)	
	(iii) महाप्रबंधक	287 4281 (सी.ला.)	
	(i) उप महाप्रबंधक	287 4291 (सी.ला.)	
	(ii) उप महाप्रबंधक	287 4362 (सी.ला.)	
शाखाएँ :			
(1) नागपुर	भारतीय रिज़र्व बैंक अतिरिक्त भवन, हाइकोर्ट के समीप, नागपुर - 440 001.	521406 (सी.ला.) 532321 532357	क्रेडिटगार्ड
(2) कलकत्ता	4थी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, 15, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता - 700 001.	2481154 (सी.ला.) 2486019	डिसिनगर
(3) चेन्नई	कुरालगम बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, एस्प्लेनेड, पोस्ट बॉक्स सं. 5021, चेन्नई - 600 108.	5341524 (सी.ला.) 5340239	क्रेडिटगार्ड
(4) नयी दिल्ली	भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 123, नयी दिल्ली - 110 001.	3716487 (सी.ला.) 3710538 से 42	डिपॉजिटिस

निगम के प्रमुख अधिकारी

मुख्य महाप्रबंधक

के. एल. खेतपाल (16 जनवरी 1996 से 5 जुलाई 1996 तक)
डी. एस. आर. सिंहडु (8 जुलाई 1996 से)

महाप्रबंधक

डी. एन. प्रसाद
एस. जी. सारगांवकर
जे. पी. शर्मा

उप महाप्रबंधक

के. प्रसाद
जी. के. जोशी
एल. एन. रामास्वामी

प्रबंधक एवं सचिव
श्रीमती श्री. स. शेणाय

शाखा कार्यालयों के प्रभारी उप महाप्रबंधक

नागपुर

वी. सी. कोटीयन

कलकत्ता

एस. वी. कुलकर्णी

चेन्नई

ए. एस. गोवर्धन

नई दिल्ली

कु. गुलशन मदान

बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक

लेखा परीक्षक

मैसर्स हजीब एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
मुम्बई-400 003.

निगम का स्वरूप

प्रयोजन और उद्देश्य

जमा बीमा निगम की स्थापना 1 जनवरी 1962 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गयी थी। इस निगम ने रिजर्व बैंक द्वारा 14 जनवरी 1971 को शुरु की गयी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को 15 जुलाई 1978 से अपने अधिकार में ले लिया जिससे एक ही प्रकार के परस्पर संबद्ध कार्यों अर्थात् बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने और समाज के खासकर कमजोर वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं की कुछ श्रेणियों को प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं को गारंटी रक्षा देने के कार्यों को समन्वित किया जा सके। इस प्रकार दो संगठनों के एकीकरण के बाद निगम का नाम बदल कर उसे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम रखा गया। उद्यु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना रद्द होने के बाद निगम ने 1 अप्रैल 1981 से लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के लिए भी गारंटी सहायता देना शुरु किया।

निगम के दो उद्देश्य हैं बैंकों में जमाकर्ताओं के लाभ के लिए बैंक की सभी शाखाओं में उनकी सभी जमाशायियों अथवा उनके किसी अंश के लिए अधिकतम 1,00,000 रुपये तक की हानि के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करना और सहभागी संस्थाओं अर्थात् वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सहकारी बैंकों, राज्य वित्त निगमों और अन्य सावधि ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण के लिए गारंटी समर्थन प्रदान करना। 31 मार्च 1989 तक गारंटी समर्थन लघु ऋणकर्ताओं और लघु उद्योगों की कुछ श्रेणियों के लिए ही उपलब्ध था। परंतु 1 अप्रैल 1989 से गारंटी सुरक्षा संपूर्ण

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों (रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार) के लिए लागू है। तथापि अग्रिमों की कुछ ऐसी श्रेणियाँ, जो केन्द्र/राज्य सरकारों, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा गारंटीकृत हैं, गारंटी सुरक्षा से बाहर रखा गया है।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के लिए निगम ने अलग-अलग निधियाँ बनाई हुई हैं, जो किस्तों तथा गारंटी शुल्कों द्वारा जमा की जाती हैं और इनका उपयोग केवल दावों के निपटान के लिए ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य निधि अर्थात् सामान्य निधि भी बनायी गयी है जिसमें निगम की पूँजी रखी गयी है और इस निधि से होने वाली निवेश आय से स्टाफ स्थापना संबंधी व्यय तथा प्रशासनिक व्यय किये जाते हैं। निगम को आयकर की अदायगी के संबंध में 31 दिसंबर 1986 तक छूट दी गयी थी।

निगम की प्राधिकृत पूँजी 50 करोड़ रुपये है जो पूर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित और अभिदत्त है।

निगम का प्रबंध निदेशक बोर्ड द्वारा देखा जाता है जिसके अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर होते हैं। दावा समिति और निवेश समिति जो भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत है, बोर्ड की सहायता करती है। मुख्य महाप्रबंधक निगम के मुख्य कार्यपालक होते हैं।

निगम का प्रधान कार्यालय मुम्बई में है। इसकी चार शाखाएँ नागपुर, कलकत्ता, चेन्नई, नयी दिल्ली में हैं। निगम की कोई सहायक या संबद्ध संस्था नहीं है।

विशिष्टता - प्रगति एक दृष्टि में

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष के अंत में	1962	1972	1982	1984	1987	1988-89	1990-91	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1. पूँजी	1	1.5	15	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2. निक्षेप बीमा												
i) निक्षेप बीमा निधि	1	25	154	219	@	@	@	@	@	@	@	@
ii) बीमाकृत बैंक	276	476	1683	1805	1898	1903	1922	1931	1990	2025	2122	2296
iii) निर्धारणयोग्य जमा राशियाँ	1895	7458	42360	61880	103044	126864	156892	244375	249034	364058	392072	450674
iv) बीमाकृत जमा राशियाँ	448	4656	31774	46340	75511	90192	109316	164527	168405	266747	295575	337671
v) खाते (लाखों में)	77	341	1598	2026	2569	2781	3089	3543	3529	4994	4868	4351
vi) पूर्णतः संरक्षित खाते (लाखों में)	60	328	1581	2000	2518	2705	2983	3395	3497	4956	4819	4273
vii) अदाकृत दावे	—	1	3	3	44	69	131	178	179	181	190	194
3. ऋण गारंटी												
i) ऋण गारंटी निधि	—	—	89	118	@	@	@	@	@	@	@	@
ii) गारंटीकृत अग्रिम												
(क) छोटे उधारकर्ता	—	208	4840	7104	11116	14291	27692	24444	26348	25484	18910	17261
(ख) लघु उद्योग	—	—	3822	4891	7738	10465	16826	19162	15503	14177	13847	11271
iii) प्राप्त दावे (वर्ष के लिए)												
(क) छोटे उधारकर्ता	—	—	25	62	255	364	505	883	1168	1348	1841	1842
(ख) लघु उद्योग	—	—	30	71	149	241	247	260	323	379	524	270
iv) निपटाये गये दावे (वर्ष के दौरान)												
(क) छोटे उधारकर्ता	—	—	15	32	225	281	427	566	1026	1100	1031	403
(ख) लघु उद्योग	—	—	27	47	122	177	260	243	288	409	308	291

@ निगम की देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन के कारण तुलन-पत्र और आंश-व्यय लेखे के प्रारूप में संशोधन से 1987 से ऋण गारंटी में वर्ष 1989-90 को छोड़कर हर वर्ष घाटा रहा है। निधि की कमी/अतिरिक्त को संबंधित वर्ष के निक्षेप बीमा निधि के अतिरिक्त के बदले समायोजित किया गया। वर्ष 1996-97 के दौरान ऋण गारंटी निधि में 1686.96 करोड़ रुपये का घाटा था। 31 मार्च 1997 को ऋण गारंटी निधि से निक्षेप बीमा निधि के लिए 1913.12 करोड़ रुपये की राशि देय थी तथा ऋण गारंटी निधि में 1311.95 करोड़ रुपये की असमायोजित राशि थी।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए कामकाज की रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अनुसार निदेशक बोर्ड 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की 35 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

निगम के क्रियाकलाप - समग्र समीक्षा

1.1 निगम की वार्षिक रिपोर्ट - 1995-96 में यह उल्लेख किया गया था कि पहली अप्रैल 1995 से ऋण गारंटी की तीनों स्कीमों के परिचालन में कुछ परिवर्तन किए गए थे क्योंकि श्री बी. राय की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है।

इस स्कीम को बहुत से बैंकों ने 1 अप्रैल 1995 से छोड़ दिया। इन बैंकों को कहा था कि वे 31 मार्च 1997 तक उन सभी दावों को प्रस्तुत करें जिनके अग्रिमों को 31 मार्च 1995 तक संदिग्ध वसूलीवाला/ अशोध्य समझा गया है।

1.2 किसी भी बीमाकृत बैंक में जमाराशियों को दी जाने वाली बीमा सुरक्षा की अधिकतम राशि एक ही अधिकार और क्षमता में प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक 1,00,000 रुपये तथा प्रति 100 रुपये पर 5 पैसे प्रति वर्ष की दर से बीमा प्रीमियम की स्थिति इस वर्ष भी अपरिवर्तित रही। बीमाकृत बैंकों की संख्या 31 मार्च 1996 को 2,122 थी जो 31 मार्च 1997 को बढ़कर 2,296 हो गई। इसके अतिरिक्त पूर्णतया संरक्षित जमा-खातों की संख्या 4,273 लाख रही जो कि जमा खातों की कुल संख्या का 98.20 प्रतिशत है। कुल आकलनयोग्य जमाराशि 4,50,674.17 करोड़ रुपये रही जिसका 74.92 प्रतिशत भाग अर्थात् 3,37,671.00 करोड़ रुपये बीमाकृत है। इस वर्ष के दौरान प्राप्त बीमा-प्रीमियम 253.67 करोड़ रुपये है, इसकी तुलना में पिछले वर्ष 226.43 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों से प्राप्त दावों के लिए निगम ने कुल 3.91 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया और आठ बैंकों के लिए आकस्मिक देयता के रूप में 45.27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। अब तक 25 वाणिज्य बैंकों और 32 सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में दावों के भुगतान और प्रावधान की कुल राशि 193.56 करोड़ रुपये रही और वर्ष के अन्त तक

प्रतिपूर्ति इत्यादि की राशि में से निगम को की गई चुकौती 64.10 करोड़ रुपये रही जो भुगतान किए गए दावों का 33.11 प्रतिशत है।

1.3 बैंक आफ कराड लि. (परिसमापन-अधीन) के जमाकर्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से निगम ने जमाकर्ताओं के दावों को चुकाने के लिए 37.00 करोड़ रुपये का तत्काल (आन एकाउण्ट) भुगतान किया था। मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा की गई सहमति व्यवस्था के अनुसार बैंक ऑफ इण्डिया से तथा अन्य प्रतिपूर्तियों से धनराशि प्राप्त होते ही परिसमापनकर्ता द्वारा इस राशि का भुगतान निगम को कर दिया जाएगा। परिसमापनकर्ता ने अभी तक 36.25 करोड़ रुपये की राशि लौटाई है। परिसमापनकर्ता से शेष 0.75 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए निगम अनुवर्ती कारवाई कर रहा है।

1.4 इस वर्ष में निगम परिचालित तीनों ऋण गारंटी स्कीमों के अन्तर्गत गारंटी अग्रिमों की राशि मार्च 1996 में 28532.32 करोड़ रुपये थी जो कि विगत वर्ष की तुलना में 12.89 प्रतिशत कम है। इन स्कीमों के अन्तर्गत गैर-औद्योगिक क्षेत्र के छोटे उधारकर्ताओं के गारंटीकृत अग्रिमों की राशियों में पिछले वर्ष की तुलना में 8.71 प्रतिशत की कमी हुई, और लघु उद्योग क्षेत्र को गारंटीकृत अग्रिमों में 18.60 प्रतिशत की कमी रही। इन तीनों स्कीमों के अन्तर्गत निगम द्वारा प्राप्त दावों में संख्या की दृष्टि से 5.26 और धनराशि की दृष्टि से 10.69 प्रतिशत की कमी हुई। इस वर्ष के दौरान निगम द्वारा निपटाए गए दावों में संख्या की दृष्टि से 61.45 प्रतिशत और धनराशि की दृष्टि से 48.15 प्रतिशत की कमी हुई। विगत वर्ष प्रतिमाह 3,05,421 दावों का निपटान किया गया था जबकि इस वर्ष प्रतिमाह 1,17,730 दावे निपटाए गए। दावों के निपटान में कमी का कारण मुख्य रूप से यही था कि विभिन्न विनिदेशों का अनुपालन नहीं किया गया जैसे कि "मास्टर सूची" प्रस्तुत न करना, पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था का प्रमाणीकरण, निगम को दावा-अदाकृत खाते से ए आर डी आर/अन्य प्रतिपूर्तियों की राशि न भेजना, इत्यादि। इस वर्ष और पिछले वर्ष प्राप्त तथा निपटाए गए दावों की संख्या और धनराशि का विवरण इस प्रकार है :-

(धनराशि करोड़ रुपये में)

	1995-96 के दौरान		1996-97 के दौरान		प्रतिशत वृद्धि (+) गिरावट (-)	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
I. प्राप्त दावे :						
i) छोटे उधारकर्ता	62,64,590	1841.06	59,97,049	1842.05	(-) 4.27	(+) 0.05
ii) लघु उद्योगों जोड़	1,91,034	524.17	1,18,423	270.32	(-)38.00	(-)48.42
	64,55,624	2365.23	61,15,472	2112.37	(-) 5.26	(-) 10.69
II. निपटाये गये दावे						
i) छोटे उधारकर्ता	35,09,601	1031.42	13,11,663	402.89	(-)62.62	(-)60.93
ii) लघु उद्योगों जोड़	1,55,448	308.01	1,01,098	291.49	(-)34.96	(-) 5.36
	36,65,049	1339.43	14,12,761	694.38	(-)61.45	(-)48.15

1.5 वर्ष 1989-90 से 1996-97 की अवधि के दौरान प्राप्त गारण्टी फीस की राशि और गारण्टी दावों की धनराशि तथा भुगतान

किए गए दावों की राशि के मध्य अंतराल इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	गारंटी फीस प्राप्ति	गारंटी दावे की प्राप्ति	भुगतान किये गए दावे	अंतराल (2) - (3)	अंतराल (2) - (4)
1	2	3	4	5	6
1989-90	593.83	548.33	508.54	(+) 45.50	(+) 85.29
1990-91	524.72	748.76	547.16	(-) 224.04	(-) 22.44
1991-92	565.88	627.23	462.29	(-) 61.35	(+) 103.59
1992-93	702.78 *	1143.27	633.55	(-) 440.49	(+) 69.23
1993-94	846.09	1490.76	889.99	(-) 644.67	(-) 43.90
1994-95	829.13	1726.82	1179.01	(-) 897.69	(-) 349.88
1995-96	704.64	2365.23	1042.27	(-) 1660.59	(-) 337.63
1996-97	564.02	2112.37	378.64	(-)1548.35	(+)185.38

* विगत वर्षों के संबंध में पुनर्निवेश प्रावधान सहित

1.6 वर्ष 1989-90 के दौरान गारण्टी फीस की प्राप्ति में काफी वृद्धि हुई क्योंकि 1 अप्रैल 1989 से गारण्टी फीस की दरों में वृद्धि की गई थी। उस वर्ष प्राप्त दावों की राशि में भी विगत वर्ष की तुलना में कमी रही। यह देखते हुए कि लगातार तीसरे वर्ष भी दावों की प्राप्ति की तुलना में गारण्टी फीस की प्राप्ति कम ही रही, इसलिए तीनों ऋण गारण्टी स्कीमों की सक्षमता का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में प्राप्त गारण्टी फीस और दावों तथा गारण्टी फीस और दावों के भुगतान में अंतराल को भी ध्यान में रखा गया। यह देखा जा सकता है कि 1991-92 और 1992-93 में गारण्टी फीस की प्राप्ति भुगतान किए गए दावों से अधिक थी। इसका मुख्य कारण दावों के निपटान में कमी था, जिसकी वजह से लम्बित दावों की संख्या बढ़ गई। वर्ष 1996-97 में अधिशेष की जो सुदृढ़ स्थिति दिखाई दे रही है, वह मुख्यतया कतिपय क्रियाविधि परक अनुपालनाओं के पूरा न होने से दावों का भुगतान न करने की वजह से है। इन स्कीमों को वित्तीय रूप से समक्ष बनाने के उद्देश्य से लघु ऋण गारण्टी स्कीम 1971 की गारण्टी फीस को 1 अप्रैल 1993 से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया। इस वृद्धि के बावजूद गारण्टी फीस की प्राप्ति और दावों की प्राप्ति के मध्य का अंतराल बढ़ता ही गया है। दावों की प्राप्ति में वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान तेजी आई क्योंकि बहुत से बैंकों ने इन स्कीमों को छोड़ दिया है। वर्ष 1996-97 के दौरान स्कीमवार विवरण इस प्रकार है :-

(धनराशि करोड़ रुपये में)

स्कीम	प्राप्त गारंटी फीस	प्राप्त गारंटी फीस	अंतराल
i) लघु ऋण गारण्टी स्कीम, 1971	1,842.05	396.43	(-) 1445.62
ii) लघु ऋण (सह. बैंक) गारण्टी स्कीम, 1984	—	0.01	(+) 0.01
iii) लघु ऋण (ल उ) गारण्टी स्कीम, 1981	270.32	167.58	(-) 102.74
जोड़	2112.37	564.02	(-) 1548.35

वर्ष 1981 से अबतक प्राप्त गारण्टी फीस का योजनावार ब्यौरा संलग्नक-XIII में दिया गया है।

निक्षेप बीमा सम्बन्धी कार्य

2.1 इस वर्ष के दौरान सात वाणिज्य बैंक और 169 सहकारी बैंक पंजीकृत किए गए और एक सहकारी बैंक तथा एक वाणिज्य बैंक को विपंजीकृत किया गया (विवरण संलग्नक II-क में दिया गया है)। इस प्रकार निक्षेप बीमा योजना के अन्तर्गत निगम में पंजीकृत बैंकों की संख्या 31 मार्च 1997 को बढ़कर 2,296 हो गई जो कि 31 मार्च 1996 को 2,122 थी। निगम की स्थापना 1962 में हुई, तब से अबतक पंजीकृत बैंकों की संख्या का विवरण संलग्नक -1 और 1-क में दिया गया है।

2.2 इस समय निक्षेप बीमा योजना में अभी वाणिज्य बैंकों और 21 राज्यों तथा दो संघशासित क्षेत्रों के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल किया गया है (संलग्नक-II)। इस स्कीम में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और सिक्किम नामक पाँच राज्यों और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़ तथा लक्षद्वीप नामक तीन संघशासित क्षेत्रों के सहकारी बैंकों को भी शामिल करने से सम्बद्ध मामला सम्बन्धित सरकारों के पास विचाराधीन है क्योंकि इन्हें अपने-अपने सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करना होगा। सहकारी बैंकों को इस स्कीम में तभी शामिल किया जा सकता है जब उनकी राज्य सरकारों अपने उप-नियम उन पर भी लागू करें।

2.3 निगम द्वारा बीमाकृत खातों की संख्या तथा धनराशि तथा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली सुरक्षा की सीमा का ब्यौरा जून 1995

तथा जून 1996 के अंत में इस प्रकार है :-

विवरण	(करोड़ रुपये)	
	1995	जून 1996
1. खातों की कुल संख्या (लाख)	4,868	4,351
2. पूर्णतया संरक्षित खाते (लाख)	4,819	4,273
3. प्रतिशतता 1 और 2 में	99.0	98.2
4. आकलनीय योग्य जमाराशियाँ	3,92,072	4,50,674
5. बीमाकृत जमाराशियाँ	2,95,575	3,37,671
6. प्रतिशतता 4 और 5 में	75.4	74.9

(उक्त ब्यौरे संलग्नक-III और IV में दिये गये हैं।)

जून 1996 के अंत में कुल आकलनयोग्य जमाराशियों में से क्रमशः 57.62 प्रतिशत और 42.38 प्रतिशत राशियाँ पूणतया संरक्षित और आंशिक रूप से संरक्षित थीं।

2.4 वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान बीमाकृत बैंको से प्राप्त प्रीमियम (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित) की वर्गवार विश्लेषित स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

बैंक का वर्ग	प्राप्त प्रीमियम	
	1995-96	1996-97
i) वाणिज्य बैंक	197.99	213.11*
ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6.02	-
iii) सहकारी बैंक	22.42	40.56
कुल	226.43	253.67

* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित

2.5 निगम ने वर्ष 1996-97 के दौरान तीन सहकारी बैंकों के 3.91 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया, उसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

बैंक का नाम	(करोड़ रुपये)
1. बीजापुर इंडस्ट्रियल को-आप. बैंक लि. (कर्नाटक)	0.25
2. दि पीपल्स को-आप बैंक लि., इचलकरंजी (महाराष्ट्र)	3.65
3. हिन्दुपुर को-आप. टाऊन बैंक लि., हिन्दुपुर (आन्ध्र प्रदेश)	0.01
कुल	3.91

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित बैंकों के जमाकर्ताओं के दावे देयता के संबंध में बैंकों/परिसमापकों से प्राप्त दावा आवेदन पत्रों की पूर्ति के लिए 45.27 करोड़ रुपये का प्रावधान बही खाते में किया गया है।

बैंक का नाम	दावे का विवरण	करोड़ रुपये
1. वसावी को-आप. अर्बन बैंक लि., गुर्जला	अनुपुरक	0.01
2. मेट्रोपालिटन को-आप. बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र	शेष	0.34
3. धारवाड़ इंडस्ट्रियल को-आप. बैंक लि., हुबली, कर्नाटक	अपेक्षित	0.15
4. कर्नाटक कुरुबारा को-आप. बैंक लि., कुरुबारा, कर्नाटक	-वही-	0.29
5. बन्निकोप्पा अर्बन को-आप. बैंक लि., बन्निकोप्पा, कर्नाटक	-वही-	0.11
6. स्वस्तिक जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र	-वही-	2.37
7. बडी दोआब बैंक लि., होशियारपुर (दिनांक 8 अप्रैल 1997 से ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स में समामेलित)	-वही-	2.00
8. पंजाब को-आप. बैंक लि., अमृतसर (दिनांक 8 अप्रैल 1997 से ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स में समामेलित)	-वही-	40.00
कुल		45.27

2.6 31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार 25 वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में प्रदत्त और प्रावधानीकृत दावों की कुल राशि (संचयी) 172.92 करोड़ रुपये अपरिवर्तित रही। मार्च 1997 तक परिसमापकों/ बैंकों द्वारा कुल 63.01 करोड़ रुपये की चुकौतियाँ प्राप्त हुईं (वर्ष के दौरान प्राप्त 7.46 करोड़ रुपये सहित) और 31 मार्च 1997 तक 0.10 करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते डाली गई। योजना प्रारंभ होने से 31 मार्च 1997 तक 32 सहकारी बैंकों के संबंध में कुल 20.64 करोड़ रुपये की (वर्ष के दौरान 3.91 करोड़ रुपये की प्रदत्त और प्रावधानीकृत राशि सहित) की राशि प्रावधानीकृत और दावा अदाकृत खाते में बनी रही। परिसमापकों/बैंकों द्वारा 31 मार्च 1997 तक कुल 1.09 करोड़ रुपये (वर्ष के दौरान प्राप्त 0.10 करोड़ रुपये सहित) की चुकौतियाँ प्राप्त हुईं।

संलग्नक V में 57 बैंकों की दावे निपटान, बट्टे खाते डालने, प्रावधान करने और प्राप्त चुकौतियाँ आदि के संबंध में 31 मार्च 1997 तक की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है।

ऋण गारंटी संबंधी कार्य

अ) छोटे उधारकर्ता के लिए ऋण गारंटी योजना

3. निगम द्वारा छोटे उधारकर्ताओं के लिए लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 तथा लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

चलाई जाती हैं, इसके अंतर्गत कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप, परिवहन परिचालक, खुदरा व्यापार, छोटे व्यवसाय आदि के लिए वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय बैंकों सहित) और प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

4. छोटे उधारकर्ता की ऋण गारंटी योजना के समग्र कार्य निष्पादन की स्थिति निम्नानुसार है :

(राशि करोड़ रुपये में)

उधारकर्ताओं का वर्ग	गारंटीकृत अग्रिम की स्थिति यथा 31 मार्च 1996	प्राप्त दावों की राशि			
		मार्च 1996 तक	1996-97 के दौरान	मार्च 1997 तक (3 + 4)	2 की तुलना में 5 का प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
कृषक और काशतकार	11335.17	3432.68	887.87	4320.55	38.11
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	5632.39	3961.09	931.09	4892.78	86.86
विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं का शेष वर्ग और उपभोक्ता का मकान या आवास की खरीद या निर्माण के लिए ऋण सुविधाएं	293.43	164.43	22.49	186.92	63.70
कुल :	17260.99	7558.20	1842.05	9400.25	54.45

लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

5.1 इस योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों, परिवहन, खुदरा व्यापार, छोटे व्यवसायी आदि को दिए गए अग्रिमों के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है।

अग्रिमों के विश्लेषित आंकड़ों का वर्षवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा दिया गया है। योजना के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों की तुलना में प्राप्त दावा राशि का प्रतिशतता के आधार पर ब्यौरा इस प्रकार है।

उधारकर्ताओं का वर्ग	कुल का प्रतिशत	
	गारंटीकृत अग्रिम	प्राप्त दावे
i) कृषक और काशतकार	65.67	45.96
ii) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	32.63	52.05
iii) विभेदक ब्याज दर के अग्रिम	1.70	1.99
कुल	100.00	100.00

5.3 योजना के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुसार कुल गारंटीकृत अग्रिम 17,260.80 करोड़ रुपये थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.70 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हैं। इस गिरावट का प्रमुख कारण 27 ऋण संस्थाओं द्वारा योजना से बाहर होना था। यह योजना मुख्य रूप से छोटे उधारकर्ता के अग्रिमों को सुरक्षा प्रदान करती रही तथा योजना के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के गैर-लघु उद्योग क्षेत्र के 99.99 प्रतिशत, अर्थात् 17,260.99 करोड़ रुपये के अग्रिम सुरक्षित रहे। संलग्नक - VIII में गारंटीकृत

5.4 रिपोर्ट गत वर्ष के दौरान निगम को 1842.05 करोड़ रुपये के 59,97,049 दावे प्राप्त हुए जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1841.06 करोड़ रुपये के 62,64,590 दावे प्राप्त हुए थे। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में दावों की संख्या 4.27 प्रतिशत घट गयी तथा राशि में 0.05 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। योजना के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान 1842.05 करोड़ रुपये के दावे प्राप्त हुए जो

17,260.80 करोड़ रुपये के कुल गारंटीकृत अग्रिमों के 10.67 प्रतिशत थे। छोटे उधारकर्ता के लिए सभी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्नक X में दिया गया है।

निगम ने पिछले वर्ष के 1031.42 करोड़ रुपये के 35,09,601 दावों की तुलना में इस वर्ष 402.89 करोड़ रुपये के 13,11,663 दावों का निपटान किया। (इस वर्ष में औसत प्रति माह 1,09,305 दावों का निपटान किया जबकि पिछले वर्ष की तदुत्तरी अवधि के दौरान 2,92,467 दावों का निपटान किया था।) इसके अतिरिक्त, 293.46 करोड़ रुपये के 8,37,429 दावों की जाँच की गई है परंतु इन दावों का निपटान विभिन्न स्पष्टीकरणों के अभाव में रोक रखा गया है। योजना के अंतर्गत 31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार 2,600.87 करोड़ रुपये के 84,67,495 दावे आवश्यक कारवाई/स्पष्टीकरण के लिए अपेक्षित थे (संलग्नक IX)।

5.5 रिपोर्टगत वर्ष के दौरान प्रत्याहरण अधिकार की हैसियत के आधार पर पिछले वर्ष के 392.82 करोड़ रुपये की तुलना में 233.51 करोड़ रुपये की वसूलियां प्राप्त हुईं। योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 1284.19 करोड़ रुपये की वसूलियां प्राप्त हुईं जो 5,573.42 करोड़ रुपये के दावों के भुगतान का 23.04 प्रतिशत है।

लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

6.1 1984 में आरंभ हुई उक्त योजना कृषीतर प्रयोजनों के लिए प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों को सुरक्षा प्रदान करती है।

6.2 इस योजना में सहभागियों की संख्या 31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार 5 से गिर कर 3 हो गयी (संलग्नक -VI) 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुसार कुल गारंटीकृत अग्रिम 0.19 करोड़ रुपये थे जबकि 31 मार्च 1995 को उक्त अग्रिम 3.33 करोड़ रुपये थे। इस वर्ष के दौरान निगम में उक्त योजना के अन्तर्गत कोई नये दावे प्राप्त नहीं हुए हैं।

आ. लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजनाएं

(क) सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब निरस्त)

7.1 सरकार की उक्त योजना बन्द हो गयी है और निगम ने इस संबंध में दावे/अभ्यावेदन स्वीकार करना बंद कर दिया है। उक्त योजना के अन्तर्गत सभी विचाराधीन दावे मार्च 1992 तक निपटा दिये गये। फिर भी भारत सरकार के एजेंट के रूप में निगम दावा अदाकृत खातों में वसूली के लिए ऋण संस्थाओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता रहता है।

7.2 उक्त योजना के अंतर्गत 1.09 करोड़ रुपये की कुल राशि जो वर्ष 1996-97 के दौरान दावा अदाकृत खातों में प्राप्त वसूलियों को निरूपित करती है, उसमें से निगम ने प्रशासनिक खर्च के रूप में 0.11 करोड़ रुपये रखकर सरकार को 0.98 करोड़ रुपये की राशि प्रेषित कर दी।

(ख) निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981

8.1 31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार उक्त योजना में सहभागी 78 ऋण संस्थाएँ थीं (31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुसार 110) जिनमें 14 वाणिज्य बैंक, 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 47 सहकारी बैंक हैं (संलग्नक -VI)। वर्ष के दौरान 32 ऋण संस्थाओं के नाम सहभागी ऋण संस्थाओं की सूची में से हटा दिये गये जिसकी वजह योजना परित्याग का उनका निर्णय या फिर गारंटी फीस के भुगतान में चूक थी (संलग्नक - VII)।

8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्र को गारंटीकृत अग्रिम की राशि 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुसार 11,271.33 करोड़ रुपये थी जबकि 31 मार्च 1995 की स्थिति के अनुसार यह राशि 13,847.33 करोड़ रुपये थी, जो कि 18.60 प्रतिशत गिरावट का द्योतक थी। अनेक ऋण संस्थाओं द्वारा योजना का परित्याग करने के कारण यह गिरावट हुई।

8.3 वर्ष 1996-97 के दौरान निगम को 270.32 करोड़ रुपये के लिए 1,18,423 दावे प्राप्त हुए जबकि पिछले साल 524.17 करोड़ रुपये के लिए 1,91,034 दावे प्राप्त हुए थे। वर्ष के दौरान निगम द्वारा कुल 291.49 करोड़ रुपये के 1,01,098 दावे निपटाये गये जबकि वर्ष 1995-96 के दौरान कुल 308.01 करोड़ रुपये के 1,55,448 दावे निपटाये गये। वर्षवार प्राप्त और निपटाये गये दावों के ब्यौरे, 1 अप्रैल 1981 से उत्तरोत्तर, अनुबंध XI में दिये गये हैं (वर्ष के दौरान निपटाये गये दावों के राशिवार ब्यौरे संलग्नक XII में दिये गये हैं) 31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार, कुल 254.68 करोड़ रुपये के 94,123 दावे विचाराधीन हैं। बकाये की इतनी बड़ी राशि का कारण यह है कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ऋण संस्थाओं द्वारा भारी मात्रा में दावे प्रस्तुत किये गये।

8.4 वर्ष के दौरान योजना के अन्तर्गत, निगम के प्रत्याहरण अधिकार से हुई वसूली की राशि 25.78 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष के दौरान 30.82 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। 1981 से अब तक प्राप्त वसूली की राशि 31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार कुल 168.76 करोड़ रुपये थी जो अब तक भुगतान किए गए दावों की कुल 941.30 करोड़ रुपये की कुल राशि का 17.93 प्रतिशत है।

8.5 वर्ष के दौरान प्राप्त 270.32 करोड़ रुपये की दावा राशि योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन लघु उद्योग को दिये गये कुल 11,271.33 करोड़ रुपये के गारंटीकृत अग्रिमों का 2.40 प्रतिशत है।

8.6 योजना के अन्तर्गत प्राप्त 8 लाख रुपये और उससे अधिक के उच्च मूल्य दावे के निपटान पर दावा समिति द्वारा विचार करना जारी रहा। लेकिन वर्ष 1996-97 के दौरान समिति के विचार योग्य कोई उच्च मूल्य दावा नहीं था।

लेखा

तुलन पत्र और आय-व्यय लेखा

9.1 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा और 31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, जो निगम की तीनों निधियों अर्थात् सामान्य निधि, निक्षेप बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि की स्थिति अलग-अलग दर्शाता है, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

9.2 वर्ष 1987 से निगम ने बीमांकित आधार पर निक्षेप और ऋण गारंटी निधियों की देयताओं की मूल्यांकन प्रणाली अपनायी है। तदनुसार, तीनों निधियों में विचाराधीन दावों के लिए प्रावधान करने के बाद, निवल घाटा 1316.98 करोड़ रुपये का होता है जबकि वर्ष 1995-96 के दौरान उक्त निवल घाटा 8.70 करोड़ रुपये का था। निक्षेप बीमा निधि में 372.57 करोड़ रुपये का अधिशेष पाया गया जबकि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखा परीक्षकों की समस्त तुष्टि के अनुसार आवश्यक प्रावधान करने के बाद यह अधिशेष 332.97 करोड़ रुपये था। ऋण गारंटी निधि में और वृद्धिशील देयताओं के बीमांकित अनुमानों को हिसाब में लेते हुए 31 मार्च 1997 को 1686.96 करोड़ रुपये का घाटा परिलक्षित हुआ जबकि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के दौरान विचाराधीन दावे, आदि के लिए प्रावधान करने के बाद यह घाटा 332.16 करोड़ रुपये था। इस 1686.96 करोड़ रुपये के घाटे की भरपाई निक्षेप बीमा निधि से 375.02 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष के 2.45 करोड़ रुपये की राशि सहित) का अंतरण करके समायोजित की गई। फिर भी 1311.95 करोड़ रुपये की राशि असमायोजित घाटे के रूप में रह गयी क्योंकि अबतक निगम इस स्थिति में रहता था कि घाटे का समायोजन निक्षेप बीमा निधि के अधिशेष से समतुल्य राशि के अंतरण द्वारा कर ले। सामान्य निधि में 5.03 करोड़ रुपये का घाटा परिलक्षित हुआ जबकि पिछले वर्ष के दौरान 9.51 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक से स्टाफ व्यय के प्रति 7 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को हिसाब में लेते हुए 5.03 करोड़ रुपये की राशि सामान्य आरक्षित निधि से समायोजित कर ली गयी।

9.3 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, वर्ष 1987 से अधिशेष/घाटे के कारण 31 मार्च 1996 को कारोबार

समाप्त की स्थिति के अनुसार ऋण गारंटी निधि से निक्षेप बीमा निधि को 1538.90 करोड़ रुपये देय था। विद्यमान वर्ष के 1686.96 करोड़ रुपये के घाटे को निक्षेप बीमा निधि से समतुल्य राशि के अंतरण द्वारा प्रतिसंतुलित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, निक्षेप बीमा निधि को देय राशि वर्ष के अंत तक बढ़कर 1913.92 करोड़ रुपये हो गयी और ऋण गारंटी निधि खाते में 1311.95 करोड़ रुपये का असमायोजित घाटा रह गया।

बजट नियंत्रण

10. निगम ने प्रबंध सूचना प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न विवरणी तैयार की है और तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के अन्तर्गत आय-व्यय खाते में बजट नियंत्रण किया जाता है।

निवेश

11.1 निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी राशि जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं थी, खजाना बिल सहित केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित कर दी गयी। निवेश संबंधी ब्यौरे संलग्नक XIV में दिये गये हैं। तीनों निधियों के निवेश में मूल्यहास के लिए लेखा-परीक्षकों की तुष्टि के अनुसार पूरे प्रावधान किये गये हैं।

निवेश समिति

11.2 जैसा कि पिछले वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, राय समिति की विभिन्न सिफारिशों (निवेश पर आय में सुधार के उपाय सुझाने के लिए गठित) की जांच की गयी और तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई/उपाय शुरु किये गये हैं।

- (1) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 25 के संशोधन से संबंधित मामला अब भी सरकार के विचाराधीन है। लेकिन इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई के लिए गहन अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।
- (2) निवेश को स्टाक-इन-ट्रेड मानने के लिए निगम को अनुमति प्रदान करने से संबंधित मसले की जांच की गई और हमारे कर-परामर्शदाताओं की सलाह से उक्त मामला बोर्ड को प्रस्तुत किया गया। बोर्ड ने 26 मार्च 1997 को हुई बैठक में निगम के उक्त निवेश को स्टाक-इन-ट्रेड मानने से संबंधित प्रस्ताव पास कर दिया। तदनुसार, 1996-97 के मूल्यांकन वर्ष के लिए आयकर विवरण दाखिल किया गया ताकि मूल्यांकन कार्यालय निगम के उक्त निवेश को स्टाक-इन-ट्रेड मान सके।
- (3) जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के आधार पर कर देयता के निर्धारण के प्रयोजन के लिए आय-कर

अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत निगम को विशेष दर्जा प्रदान करने से संबंधित मसले को भी भारत सरकार के साथ उठाया गया है और निर्णय की प्रतीक्षा है।

सामान्य

लेखा परीक्षक

12.1 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29 (1) के अनुसार बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से मेसर्स हबीब एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार, को 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए निगम का लेखा-परीक्षक नियुक्त किया।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

12.2 निगम द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। निगम का प्रधान कार्यालय, राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित है। निगम के दैनिक-कार्याकलापों में हिन्दी के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने और उनकी निगरानी के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें होती हैं।

प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति

12.3 वर्ष के दौरान निगम ने ऋण गारंटी निगम प्रा.लि., काठमांडु (नेपाल) से 4 अधिकारियों के एक दल को निक्षेप बीमा योजना के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया। ये अधिकारी भारत में निगम की निक्षेप बीमा योजना, 1961 का अध्ययन करने 20 से 25 जनवरी 1997 के दौरान एक सप्ताह के लिए आये थे।

निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में निगम की योजनाओं और उसके अन्तर्गत दावे के निपटान के संबंध में व्याख्यान देने के लिए अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। निगम के कुछ स्टाफ भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किये गये। वर्ष के दौरान 28 अधिकारी और 36 लिपिक कर्मचारी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किये गये। बाह्य संस्था के पास 20 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण और वित्तीय लेखा परीक्षा

12.4 भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण विभाग के प्रणाली और स्टाफ नियुक्ति निरीक्षण रिपोर्ट, 1994 का जहां तक संबंध है, उनके द्वारा बतायी गयी अनियमितताएं / दिये गये सुझाव सुधार ली गयी हैं/ कार्यान्वित कर लिए गये हैं। निरीक्षण विभाग ने कलकत्ता, चेन्नई और

नागपुर स्थित निगम की शाखाओं की भी प्रणाली और स्टाफ नियुक्ति निरीक्षण वर्ष 1996-97 के दौरान किया है। भारिवैंक के क्षेत्रीय लेखा-परीक्षा कक्ष ने निगम के प्रधान कार्यालय का मार्च और सितम्बर 1996 में समाप्त छमाही के लिए लेखा परीक्षा किया है। निगम की चारों शाखाओं की भी मार्च और सितम्बर 1996 में समाप्त छमाहियों के लिए लेखा परीक्षा संबंधित क्षेत्रीय लेखा-परीक्षा कक्षों द्वारा पूरी हो गयी है।

कम्प्यूटर

13. टैप और कागजात के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे एनआइ. 11 और एनआइ.15 प्रपत्रों पर कार्रवाई के लिए साफ्टवेयर प्रोग्राम सुविधापूर्वक चल रहे हैं। प्रपत्र एनआइ. 17 में प्रस्तुत दावों पर कार्रवाई के लिए तैयार किये गए प्रोग्रामों का परीक्षण वास्तविक-आँकड़ों की सहायता से किया जा रहा है। प्रबंध सूचना प्रणाली और निक्षेप बीमा स्कीम में सम्बन्धित प्रोग्राम भी सुस्थिर किए जा रहे हैं।

प्रबंधन

14. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (i) (ख) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने निगम के निदेशक के रूप में श्री जे.आर. प्रभु, कार्यपालक निदेशक के स्थान पर 1 मई 1997 से श्री एस. गुरुमूर्ति, कार्यपालक निदेशक को नामित किया। भारत सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 (i) (ग) के अधीन निगम के निदेशक के रूप में श्री सुधीर श्रीवास्तव, उप-सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) को 27 मई 1996 से सुश्री मोना शर्मा के स्थान पर नामित किया। श्री बी.बी. व्यास 4 फरवरी 1997 से श्री सुधीर श्रीवास्तव की जगह नामित किये गये हैं। श्री के.एल. खेतरपाल के स्थानान्तरण पर 8 जुलाई 1996 से श्री डी. एस.आर. सिंहदु ने मुख्य महाप्रबंधक का कार्यभार सम्हाला है।

15. 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम के निदेशक मंडल की पांच बैठकें हुई।

16. कारोबारी निपुणता और कार्यकुशलता को बनाये रखने के लिए निगम के कर्मचारियों के प्रयास की बोर्ड भूरि-भूरि सराहना करता है।

निक्षेप बीमा और
प्रत्यय गारंटी निगम
मुंबई - 400 039

निदेशक मंडल की ओर से
और
उनके लिए

(आर. वी. गुप्ता)

28 जून 1997

अध्यक्ष

संलग्नक - I

वर्ष 1962 से निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंकों की संख्या दर्शानेवाला विवरण

वर्ष/ अवधि	वर्ष/अवधि के प्रारंभ में पंजीकृत बैंकों की संख्या	वर्ष/अवधि के दौरान पंजीकृत बैंकों की संख्या	उन विपंजीकृत बैंको की संख्या जहाँ निगम में देयता			वर्ष/अवधि के अंत में पंजीकृत बैंकों की संख्या (2 + 3 + 6)
			आयी	नहीं आयी	जोड़ (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1962	287	—	2	9	11	276
1963 से 1965	276	1	7	161	168	109
1966 से 1970	109	1	5	22	27	83
1971 से 1975	83	544	—	16	16	611
1976 से 1980	611	995	9	15	24	1582
1981 से 1985	1582	280	8	17	25	1837
1986 से 1989-90	1837	102	8	10	18	1921
1990-91	1921	8	5	2	7	1922
1991-92	1922	14	2	3	5	1931
1992-93	1931	3	2	1	3	1931
1993-94	1931	63	1	3	4	1990
1994-95	1990	36	—	1	1	2025
1995-96	2025	99	1	1	2	2122
1996-97	2122	176	1	1	2	2296

संलग्नक - I क

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के अंत में बीमाकृत बैंकों की श्रेणीवार स्थिति का अलग-अलग विवरण

वर्ष	बीमाकृत बैंकों की संख्या			
	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	जोड़
1994-95	90	196	1739	2025
1995-96	102	196	1824	2122
1996-97	108	196	1992	2296

संलग्नक - II

बीमाकृत बैंकों की स्थिति का सार
(31 मार्च 1997 की स्थिति)

i) वाणिज्य बैंक	108
ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196
iii) सहकारी बैंक	1992
कुल	<u>2296</u>

सहकारी बैंकों का राज्यवार अलग-अलग विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अपैक्स	सेन्ट्रल	प्राइमरी	जोड़
राज्य				
1. आंध्र प्रदेश	1	22	72	95
2. असम	1	1	8	10
3. बिहार	1	34	5	40
4. दिल्ली	1	—	16	17
5. गोवा	1	—	6	7
6. गुजरात	1	21	311	333
7. हरियाणा	1	14	8	23
8. हिमाचल प्रदेश	1	2	4	7
9. जम्मू और कश्मीर	1	3	3	7
10. कर्नाटक	1	22	241	264
11. केरल	1	14	61	76
12. मध्य प्रदेश	1	45	67	113
13. महाराष्ट्र	1	31	507	539
14. मणिपुर	1	—	5	6
15. उड़ीसा	1	17	14	32
16. पंजाब	1	17	5	23
17. राजस्थान	1	27	31	59
18. तमिलनाडु	1	22	133	156
19. त्रिपुरा	1	—	1	2
20. उत्तर प्रदेश	1	57	56	114
21. पश्चिम बंगाल	1	17	49	67
संघ शासित क्षेत्र				
1. पाँडिचेरी	1	—	1	2
2. दमण और दीव	—	—	—	—
जोड़	22	366	1604	1992

संलग्नक - II क

वर्ष 1996-97 के दौरान पंजीकृत/बीमाकृत बैंक

क. पंजीकृत

I. वाणिज्य बैंक

1. चायना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक लि.
2. ओवरसीज चाइनीज बैंकिंग कार्पोरेशन लि.
3. कुंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लि.
4. दि टोरोन्टो डोमिनियन बैंक लि.
5. सुमिटोमो बैंक लि.
6. हनील बैंक
7. कमर्शियल बैंक आफ कोरिया लि.

II. सहकारी बैंक

राज्य

बैंक का नाम

आन्ध्र प्रदेश (8)

- 1. यूनिवर्सल को-आप. अर्बन बैंक लि.
2. क्रांती को-आप. अर्बन बैंक लि.
3. श्री लक्ष्मी महिला क्रो-आप. अर्बन बैंक लि.
4. जामपेटा को-आप. अर्बन बैंक लि.
5. दि सेवा को-आप. अर्बन बैंक लि.
6. दि बेलामपल्ली को-आप. अर्बन बैंक लि.
7. जवाहर को-आप. बैंक लि.
8. नवनिर्माण को-आप. बैंक लि.

बिहार (1)

1. बेगुसराय अर्बन को-आप. बैंक लि.

दिल्ली (1)

1. दि केशव सहकारी बैंक लि.

गुजरात (15)

1. सुर्यपुर को-आप. बैंक लि.
2. उद्यना सिटीजन को-आप. बैंक लि.
3. टेक्सटाइल को-आप. बैंक आफ सुरत लि.
4. कमर्शियल को-आप. बैंक लि.
5. सिटी को-आप. बैंक लि.
6. मेहसाणा समाज सहायक सह. मंडली लि.
7. श्री पार्श्वनाथ को-आप. बैंक लि.
8. राजकोट महिला नागरिक सहकारी बैंक
9. कर्णावती को-आप. बैंक लि.
10. नवसर्जन इंडस्ट्रीयल को-आप. बैंक लि.
11. रिशीका महिला नागरिक बैंक लि.
12. श्री लक्ष्मी महिला सहकारी बैंक लि.

13. मेहसाणा महिला सहकारी बँक लि.
14. नरोडा इंडस्ट्रियल को-आप. बँक लि.
15. दि विकास को-आप. बँक लि.

हरियाणा (1)

कर्नाटक(21)

1. यमुना नगर सेन्ट्रल को-आप. बँक लि.
1. दि जनता को-आप. बँक लि.
2. जनता को-आप. क्रेडीट बँक लि.
3. दि मुस्लीम को-आप. क्रेडीट सोसायटी लि.
4. मंगागेर गोल्डस्मिथ को-आप. सोसायटी लि.
5. श्री रामनगर पट्टाना सह. बँक नियामित
6. श्री गणेश को-आप. बँक लि.
7. मंजीरा महिला अर्बन को-आप. बँक लि.
8. स्वामी विवेकानंद अर्बन को-आप. बँक नियामित
9. अभिनंदन सह. बँक नियामित
10. श्री मल्लीकांजुन पट्टाना सहकारी बँक नियामिता
11. बागलकोट अर्बन को-आप. बँक लि.
12. श्री सिद्धेश्वर को-आप. बँक लि.
13. शिगांव अर्बन को-आप. बँक लि.
14. बेलगांव जिला रानी चन्नमा महिला सह. बँक नियामिता
15. श्री शरण विरेश्वर पट्टना सह. बँक नियामिता
16. बासवकल्याण सह. बँक नियामिता
17. श्री बंगेशंकरी महिला को-आप. बँक लि.
18. विकास को-आप. बँक लि.
19. श्री अंबा भवानी अर्बन को-आप. बँक लि.
20. हणमसागर अर्बन को-आप. बँक लि.
21. अनुभव को-आप. बँक लि.

केरल (4)

1. फिरोके को-आप. अर्बन बँक लि.
2. तनूर को-आप. अर्बन बँक लि.
3. तलीराम्ब को-आप. अर्बन बँक लि.
4. इरिजलकुडा टाऊन को-आप. बँक लि.

मध्य प्रदेश (16)

1. सर्वोदय महिला को-आप. बँक लि.
2. शाजापुर नागरिक सहकारी बँक मर्यादित
3. सद्भाव नागरिक सह. बँक मर्यादित
4. सरदारसिंह नागरिक सह. बँक मर्यादित
5. रेणुका नागरिक सह. बँक मर्यादित
6. भिंड नागरिक सह. बँक मर्यादित
7. गढा को-आप. बँक लि.
8. रायपुर अर्बन मर्केन्टाईल को-आप. बँक लि.

महाराष्ट्र (90)

9. अस्था महिला नागरिक सह. बँक मर्यादित
10. बिलास महिला नागरिक सह. बँक मर्यादित
11. सुविधा महिला नागरिक सह. बँक मर्यादित
12. गुना नागरिक सहकारी बँक मर्यादित
13. लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सह. बँक मर्यादित
14. नागरिक सहकारी बँक मर्यादित, रजध (ब्योरा)
15. इंदिरा महिला नागरिक सह. बँक मर्यादित
16. जबलपुर महिला नागरिक सह. बँक मर्यादित
1. भुरगुड सहकारी बँक लि.
2. कुंभी कसारी सहकारी बँक लि.
3. सुवर्णा नागरिक सहकारी बँक लि.
4. शिवम सहकारी बँक लि.
5. श्रीराम अर्बन को-आप. बँक लि.
6. कुपवाड अर्बन को-आप. बँक लि.
7. पीपल्स को-आप. बँक लि, देऊलगांव, राजा बुलढाणा
8. मानवत अर्बन को-आप. बँक लि.
9. दि अचलपुर अर्बन को-आप. बँक लि.
10. श्री एस. के. पाटील को-आप. बँक लि.
11. साईबाबा नागरी सहकारी बँक लि.
12. तिरुपती अर्बन को-आप. बँक लि.
13. विरदेव सहकारी बँक लि.
14. जलगांव मर्चेट सह. बँक लि.
15. लोहा अर्बन को-आप. बँक लि.
16. मीरा-भायंदर को-आप. बँक लि.
17. अंबेजोगाई पीपल्स को-आप. बँक लि.
18. श्रीराम सहकारी बँक लि., इचलकरंजी
19. दि माघेश्वरी अर्बन डेव्हलपमेंट को-आप. बँक लि.
20. श्रीराम को-आप. बँक लि, पंचवटी, नाशिक
21. केदारनाथ अर्बन को-आप. बँक लि.
22. शिरपुर पीपल्स को-आप. बँक लि.
23. इचलकरंजी जिवेश्वर सह. बँक मर्यादित
24. सांगोला अर्बन को-आप. बँक लि.
25. अंदरसुल अर्बन को-आप. बँक लि.
26. भाऊसाहेब बिराजदार नागरी सह. बँक मर्यादित
27. रुक्मिणी नागरी सहकारी बँक लि.
28. साधना को-आप. बँक लि.
29. पाटण अर्बन को-आप. बँक लि.
30. कर्नाला नागरी सह. बँक लि.

31. जनता सहकारी बैंक लि, येवला
32. हुतात्मा सहकारी बैंक लि.
33. समर्थ नागरीक सहकारी बैंक लि.
34. दि बिजनेस को-आप. बैंक लि.
35. दि प्रगति अर्बन को-आप. बैंक लि.
36. श्री आदिनाथ को-आप. बैंक लि.
37. समती सहकारी बैंक लि.
38. कोहिनूर सहकारी बैंक लि.
39. जनकल्याण अर्बन को-आप. बैंक मर्यादित, कलम उस्मानाबाद
40. श्री आनंद नागरी सहकारी बैंक लि.
41. अशोक सहकारी बैंक लि.
42. श्री बालाजी को-आप. बैंक लि.
43. अर्जुन अर्बन को-आप. बैंक लि.
44. जयकालीमाता अर्बन को-आप. बैंक लि.
45. देवयानी को-आप. बैंक लि.
46. राजमाता अर्बन को-आप. बैंक लि.
47. हीना सहकारी को-आप. बैंक लि.
48. सिद्धार्थ सहकारी बैंक मर्यादित
49. कोयना सहकारी बैंक लि.
50. उमरगा सहकारी बैंक लि.
51. जिजामाता महिला सहकारी बैंक लि.
52. अग्रसेन अर्बन को-आप. बैंक लि.
53. यशवन्त अर्बन को-आप. बैंक लि.
54. निशीगंधा सहकारी बैंक लि.
55. जनकल्याण को-आप. बैंक लि.
56. ज्ञानोपासक अर्बन को-आप. बैंक लि.
57. नवजीवन नागरी सह. बैंक मर्यादित, येरवडा
58. शिवनेरी सहकारी बैंक लि.
59. वैश्य नागरी सहकारी बैंक लि.
60. कविता अर्बन को-आप. बैंक लि.
61. जवाहर सहकारी बैंक लि.
62. महेश अर्बन को-आप. बैंक लि.
63. श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि.
64. जामशेट मर्चेट्स को-आप. बैंक लि.
65. श्री अग्रसेन को-आप. बैंक लि.
66. श्री गणेश सहकारी बैंक लि.
67. संजीवनी अर्बन को-आप. बैंक लि.
68. सिद्धेश्वर अर्बन को-आप. बैंक लि.

69. भादगांव पीपल्स को-आप. बैंक मर्यादित
70. समर्थ अर्बन को-आप. बैंक लि.
71. विठ्ठल नागरी सहकारी बैंक लि.
72. जनसेवा को-आप. बैंक लि.
73. यशवन्त अर्बन को-आप. बैंक लि.
74. शंकर नागरी सहकारी बैंक लि.
75. विश्वास को-आप. बैंक लि.
76. पद्मश्री डॉ विठ्ठलराव विरवे पाटील को-आप. बैंक लि.
77. श्री महेश को-आप. बैंक लि नाशिक
78. महेश अर्बन को-आप. बैंक लि. परमणी
79. तेरना नगरी सहकारी बैंक लि.
80. सर्वोदय को-आप. बैंक लि.
81. ब्रह्मपुरी अर्बन को-आप. बैंक लि.
82. जय तुळजा भवानी अर्बन को-आप. बैंक लि.
83. इंदिरा महिला सहकारी बैंक लि.
84. महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक लि.
85. दीनदयाल नागरी सहकारी बैंक लि.
86. भीमाशंकर नागरी सह. बैंक लि.
87. मन्देशी महिला सह. बैंक लि.
88. साईबाबा जनता सह. बैंक लि.
89. चम्पावती अर्बन को-आप बैंक लि.
90. दि आर एस को-आप बैंक लि.

उत्तर प्रदेश (7)

1. नोएडा कमर्शियल को-आप बैंक लि.
2. अर्बन को-आप बैंक लि. बरैली
3. बांदा अर्बन को-आप बैंक लि.
4. गोमती नागोरया सहकारी बैंक लि.
5. सिटीजन को-आप बैंक लि., नोएडा
6. खालियाबाद नागरी सहाकारी बैंक लि.
7. नागरिक सहकारी बैंक लि., राजाजी पुरम

राजस्थान (3)

1. धौलपुर अर्बन को-आप बैंक लि.
2. राजसमन्द अर्बन को-आप बैंक लि.
3. दउसा सेमी अर्बन को-आप बैंक लि.

तमिलनाडु (1)

1. तिरुवन्नमले संबूरयार डी. सी. सी.को-आप बैंक लि.

पश्चिम बंगाल (1)

1. प्रणवानन्द को-आप बैंक लि.

ख. विपंजीकृत

महाराष्ट्र (2)

1. ठाणे पीपल्स को-आप बैंक लि.
- रुपी. को-आप बैंक लि., पुणे में समामेलन के कारण
2. बैंक ऑफ कराड़ लि. परिसमापन के कारण

संलग्नक - III

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण

(वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक)

(दिसंबर 1961 के अंतिम शुक्रवार और जून 1981 से जून 1996 तक के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति)

वर्ष	पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या ^० (लाखों)	खातों की कुल संख्या (लाखों)	(3) के प्रति (2) का प्रतिशत	बीमाकृत जमाशियाँ ^० (करोड़ रुपये में)	कुल निर्धारणीय जमाशियाँ (करोड़ रुपये में)	(6) के प्रति (5) का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1,693.74	23.1
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	2,000.97	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8
1985	2,145.16	2,238.37	95.8	56,211.15	76,517.22	73.5
1986	2,320.05	2,359.60	98.0	62,878.13	86,213.96	72.9
1987	2,518.01	2,568.51	98.0	75,511.19	1,03,044.15	73.3
1988-89	2,704.87	2,780.88	97.3	90,191.69	1,26,864.19	71.1
1989-90	3,059.11	3,141.68	97.4	1,01,681.96	1,40,745.95	72.2
1990-91	2,982.52	3,089.12	96.5	1,09,315.52	1,56,891.90	69.7
1991-92	3,169.18	3,287.00	96.4	1,27,924.91	1,86,307.39	68.7
1992-93	3,395.03	3,543.02	95.8	1,64,526.57	2,44,375.38	67.3
1993-94	3,497.10	3,529.03	99.1	1,68,404.82	2,49,033.83	67.6
1994-95	4,956.05	4,993.99	99.2	2,66,746.65	3,64,057.60	73.3
1995-96	4,818.63	4,868.07	99.0	2,95,574.97	3,92,071.69	75.4
1996-97	4,273.23	4,351.26	98.2 \$	3,37,671.00	4,50,674.17	74.9

० खातों की संख्या जिनमें शेषशियाँ 1967 के अंत तक 1,500 रुपये, 1981 से 1992-93 तक 30,000 रुपये और 1993-94 के बाद 1,00,000 रुपये से कम रहीं।

\$ 2,296 बीमाकृत बैंकों में से केवल 1,345 बैंकों ने जमाशियों के वर्गीकरण (डीआइ-02 विवरणी) पर आधारित आंकड़े भेजे हैं। शेष बैंकों से इस मामले पर कार्रवाई चल रही है।

संलग्नक - IV

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के लिए बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को (वर्गवार)

वर्ष	बैंकों की श्रेणी	बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या	सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमा राशियाँ (करोड़ रुपये में)	कुल निर्धारण योग्य जमा राशियाँ (करोड़ रुपये में)	(6) के प्रति (5) का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1994-95	(I) वाणिज्य बैंक	90	67	2,15,264.62	3,03,895.17	70.84
	(II) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	152	5,784.95	6,386.63	90.58
	(III) सहकारी बैंक	1,739	1,053	45,697.08	53,775.81	84.98
	जोड़ (I+II+III)	2,025	1,272	2,66,746.65	3,64,057.61	73.27
1995-96	I वाणिज्य बैंक					
	i) स्टेट बैंक समूह	8	7	79,647.32	94,046.17	84.69
	ii) सरकारी क्षेत्र	19	17	1,47,740.78	1,92,612.38	76.70
	iii) विदेशी बैंक	35	25	6,301.90	24,293.30	25.94
	iv) निजी बैंक					
	क) अनुसूचित	38	32	17,056.62	26,036.61	65.51
	ख) गैर अनुसूचित	2	2	62.45	67.52	92.94
	जोड़	102	83	2,50,809.07	3,37,055.98	74.41
	II क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	160	7,643.56	8,077.91	94.62
	III सहकारी बैंक	1,824	1,380	37,122.34	46,937.80	79.09
जोड़ I+II+III	2,122	1,623	2,95,574.97	3,92,071.69	75.38	
1996-97	I वाणिज्य बैंक					
	i) स्टेट बैंक समूह	8	7	86,694.48	1,09,604.57	79.10
	ii) सरकारी क्षेत्र	19	19	1,81,227.77	2,32,858.23	77.83
	iii) विदेशी बैंक	42	25	5,719.22	24,758.74	23.10
	iv) निजी बैंक					
	क) अनुसूचित	36	29	18,466.46	28,331.31	65.18
	ख) गैर-अनुसूचित	3	1	1.27	1.73	73.41
	जोड़	108	81	2,92,109.20	3,95,554.58	73.84
	II क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	163	9,805.29	10,436.05	93.96
	III सहकारी बैंक	1,992	1,101	35,756.51	44,683.54	80.02
जोड़ I+II+III	2,296	1,345	3,37,671.00	4,50,674.17	74.92	

संलग्नक - V

निक्षेप बीमा दावे जो अदा किए गए व जिनके लिए प्रावधान किया गया और जिनकी चुकौती प्राप्त हो गई
- 31 मार्च 1997 की स्थिति

(राशि लाख रुपये)

क्रम. सं.	बैंक का नाम (कोष्ठक में दर्शाया गया है कि दावा किस वर्ष निपटाया गया)	बीमाकृत कुल जमाराशियाँ जिनके लिए भुगतान और प्रावधान किया गया	निगम द्वारा प्राप्त चुकौतियाँ	शेष राशि (3) - (4)
1	2	3	4	5
I. वाणिज्य बैंक				
i) ऐसे बैंकों का विवरण जिनसे निगम को पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है				
\$	1) बैंक आफ चाइना, कलकत्ता (1963)	9.25	9.25	—
*	2) श्री जादेय शंकर लिंग बैंक लिमिटेड, बीजापुर (1965)	0.12	0.12	—
*	3) बैंक आफ बिहार लि., पटना (1970)	46.32	46.32	—
*	4) कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964)	7.04	7.04	—
*	5) लैटिन क्रिश्चियन बैंक लि., एर्नाकुलम् (1964)	2.08	2.08	—
	जोड़ 'क' :	64.81	64.81	—
ii) ऐसे बैंकों का विवरण जिनसे निगम को आंशिक प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई और बकाया बट्टेखाते डाल दी गई				
*	6) यूनिटी बैंक लिमिटेड, मद्रास (1963)	2.53	1.37 (1.16)	—
*	7) उन्नाव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, उन्नाव (1964)	1.08	0.31 (0.77)	—
*	8) चावला बैंक लि., देहरादून (1969)	0.18	0.14 (0.04)	—
*	9) मेट्रोपालिटन बैंक लि., कलकत्ता (1964)	8.80	4.42 (4.38)	—
*	10) सदरन बैंक लि., कलकत्ता (1964)	7.34	3.73 (3.61)	—
*	11) बैंक आफ अलगपुरी लि., अलगपुरी (1963)	0.28	0.18 (0.10)	—
	जोड़ 'ख' :	20.21	10.15 (10.06)	—
(कोष्ठकों में दर्शाए गए आँकड़े बट्टे खाते डाली गयी राशि को दर्शाते हैं)				

संलग्नक - V (जारी)

1	2	3	4	5
iii)	ऐसे बैंकों का विवरण जिनसे निगम को पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है।			
*	12) नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान, कलकत्ता (1966)	0.99 (0.85)	0.88	0.11 (0.85)
*	13) हबीब बैंक लिमिटेड, मुम्बई (1966)	17.26 (1.18)	16.78 —	0.48 (1.18)
		(कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े समामेलन योजना के अंतर्गत निषिद्ध भुगतानों से सम्बद्ध है।)		
*	14) नेशनल बैंक आफ लाहौर लि., दिल्ली (1970)	9.69	—	9.69
*	15) बैंक आफ कोचीन लि., कोचीन (1986)	1,162.78	611.90	550.88
*	16) मिरज स्टेट बैंक लि., मिरज (1987)	146.59	57.49	89.10
*	17) लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., दिल्ली (1987)	3,340.62	772.82	2,567.80
*	18) हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि., दिल्ली (1988)	2,191.67	219.96	1971.71
*	19) यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक कलकत्ता (1990)	3,501.58	58.05	3,443.53
*	20) ट्रेडर्स बैंक लि., नई दिल्ली (1990)	306.34	133.76	172.58
*	21) बैंक आफ तंजावुर लि., तंजावुर (1990)	1,078.36	400.50	677.86
*	22) बैंक आफ तमिलनाडु लि. (1990)	764.50	190.35	574.15
*	23) परर सेंट्रल बैंक लि., नार्थ परर (1990)	260.92	79.81	181.11
*	24) पूर्वांचल बैंक लि., गुवाहाटी (1990)	725.77	58.84	666.93
@	25) बैंक आफ कराड़ लि., मुम्बई (1992)	3,700.00	3,625.00	75.00
	जोड़ 'ग' :	17,207.07	6,226.14	10,980.93
	जोड़ 'क' + 'ख' + 'ग' :	17,292.09	6,301.14	10,980.93
II.	सहकारी बैंक			
i)	ऐसे सहकारी बैंकों का विवरण जिनसे निगम को पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है			
\$\$	26) मालवन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., मालवन (1977)	1.84	1.84	+
%	27) बाम्बे पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., मुम्बई (1978)	10.72	10.72	++
@	28) दाधीच सहकारी बैंक लि., मुम्बई (1984)	18.37	18.37	+++
@	29) रामदुर्ग अर्बन को-आप लि., रामदुर्ग (1981)	2.19	2.19	++++
	जोड़ 'घ' :	33.12	33.12	—
ii)	ऐसे सहकारी बैंकों का विवरण जिनसे निगम को पूर्ण प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है			
@	30) मुम्बई कमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., मुम्बई (1976)	5.73	—	5.73
@	31) घाटकोपर जनता सहकारी बैंक लि., मुम्बई (1977)	2.76	—	2.76
@	32) आरे मिलक कालोनी को-आपरेटिव बैंक लि., मुम्बई (1978)	0.60	—	0.60

(जारी)

संलग्नक - V (जारी)

1	2	3	4	5
*	33) रत्नागिरि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी (1978)	46.43	12.39	34.04
*	34) विश्वकर्मा को-आप. बैंक लि., मुम्बई (1979)	11.57	5.60	5.97
*	35) प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि., मुम्बई (1979)	7.02	3.06	3.96
*	36) कलाविहार को-आप. बैंक लि., मुम्बई (1979)	13.17	3.31	9.86
*	37) वैश्य को-आप. बैंक लि., बंगलूर (1982)	91.31	12.95	78.36
@	38) कोल्लूर पार्वती को-आप. बैंक लि., कोल्लूर (1985)	13.96	—	13.96
@	39) आदर्श को-आपरेटिव बैंक लि., मैसूर (1985)	2.74	0.65	2.09
*	40) कुर्दूवाडी मर्चेण्ट्स अर्बन को-आप. बैंक लि., कुर्दूवाडी (1986)	4.85	3.80	1.05
@	41) गदग अर्बन को-आप. बैंक लि., गदग (1986)	22.85	12.16	10.69
@	42) मणिहाल अर्बन को-आप. क्रेडिट बैंक लि., मणिहाल (1987)	9.61	2.28	7.33
@	43) हिन्द अर्बन को-आप. क्रेडिट बैंक लि., लखनऊ (1988)	10.95	—	10.95
@	44) येलामंचिली को-आप. बैंक., येलामंचिली (1990)	4.36	—	4.36
@	45) वसावी को-आप. अर्बन बैंक लि., गुरजाला (1991)	3.89	—	3.89
@	46) कुंडारा को-आप. अर्बन बैंक लि., कुंडारा (1991)	17.37	8.02	9.35
@	47) मनोली श्री पंचलिंगेश्वर अर्बन को-आप. बैंक लि., मनोली (1991)	17.44	5.00	12.44
@	48) सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि., बड़ौदा (1991)	74.85	6.00	125.00
@	49) मैट्रोपालिटन को-आप. बैंक लि., मुंबई (1992)	125.00	—	125.00
*	50) बेलगांव मुस्लिम को-आप. बैंक लि., बेलगांव (1993)	37.11	1.16	35.95
@	51) भद्रावती टाउन को-आप. बैंक लि., भद्रावती (1994)	0.26	—	0.26
@	52) भिलोड़ा नागरिक सहकारी बैंक लि., भिलोड़ा (1994)	19.84	—	19.84
@	53) सिटीजन्स अर्बन को-आप. बैंक लि., इन्दौर (1994)	220.57	—	220.57
@	54) चेतना को-आप. बैंक लि., मुम्बई (1995)	875.49	—	875.49
@	55) बीजापुर इंडस्ट्रियल को-आप. बैंक लि., हुबली (1996)	24.73	—	24.73
@	56) हिन्दुपुर को-आप. टाउन बैंक लि., हिन्दुपुर (1996)	1.09	—	1.09
@	57) द पीपल्स को-आप. बैंक लि., इचलकरंजी (1996)	365.40	—	365.40
	जोड़ 'ड' :	2,030.95	76.38	1,954.57
	जोड़ 'घ' + 'ड' :	2,064.07	109.50	1,954.57
	जोड़ 'क' + 'ख' + 'ग' + 'घ' + 'ड' :	19,356.16 **	6,410.60	12,935.50

\$ बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया।

\$\$ बैंक ने पुनः कार्यात्म किया तथा स्वेच्छापूर्वक 1984 में सारस्वत को-आप. बैंक में समाहित हुआ।

* समामेलन योजना

@ परिसमापन में लिए गए बैंक

+ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.02 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 2.07 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

+++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.14 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

++++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.11 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

% बैंक स्वेच्छापूर्वक 1987 में सारस्वत को-आप. बैंक लिमिटेड में समाहित हुआ।

** कालम 3 की राशि में बैंक आफ कराड़ लि., को (37.00 करोड़ रुपये) और मैट्रोपालिटन को-आप. बैंक को (1.25 करोड़ रुपये) किया गया आन एकाउण्ट भुगतान भी शामिल है (दोनों परिसमापनाधीन)।

टिप्पणी : ऊपर दिये गये दावों के आँकड़े समायोजन बाद के हैं।

संलग्नक - VI

लघु उधारकर्ताओं के लिए निगम की ऋण गारंटी योजना में सहभागी ऋण संस्थाओं की 31 मार्च 1997 को वर्गानुसार स्थिति

गारंटी योजना का नाम	31 मार्च 1996 को सहभागियों की कुल संख्या				अप्रैल 1996-मार्च 1997 अवधि के दौरान शामिल होनेवाली (+)/अलग होनेवाली(-)/ हटा दी गयी (-) ऋण संस्थाएं				31 मार्च 1997 को सहभागियों की कुल संख्या			
	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	जोड़	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	जोड़	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	जोड़
1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	22	41	—	63	(-) 7	(-) 20	—	(-) 27	15	21	—	36
2. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	—	—	5	5	—	—	(-) 3	(-) 3	—	—	2	2
3. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	21	32	57	110	(-) 7	(-) 15	(-) 10	(-) 32	14	17	47*	78

* स्टेट को-आपरेटिव बैंक	1
सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक	33
प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंक	13
	<u>47</u>

संलग्नक - VII

वर्ष 1996-97 के दौरान सहभागी ऋण संस्थाओं की सूची से बाहर हुए/हटाए गये बैंकों के योजनावार नाम

क. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

क्र. सं. संस्था का नाम

i) वाणिज्य बैंक

बाहर गये बैंक

1. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर
2. स्टेट बैंक आफ मैसूर
3. स्टेट बैंक आफ पटियाला
4. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
5. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
6. बैंक आफ बड़ौदा
7. बनारस स्टेट बैंक लि.

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बाहर हो गये बैंक

8. बालासौर ग्राम्य बैंक
9. बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
10. कावेरी ग्रामीण बैंक
11. कटक ग्राम्य बैंक
12. फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
13. कल्पतरु ग्रामीण बैंक
14. लंगपी देहांगी रुरल बैंक
15. महाकौशल क्षेत्रीय बैंक
16. पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक
17. पिनाकिनी ग्रामीण बैंक
18. ठाणे ग्रामीण बैंक
19. शेखावती ग्रामीण बैंक
20. सोलापुर ग्रामीण बैंक
21. सुरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हटाए गए

22. इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
23. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
24. मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक
25. रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
26. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक
27. विन्ध्याचल ग्रामीण बैंक

ख. लघुऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना 1984

बाहर हो गये बैंक

1. चारमीनार को-आप. बैंक लि.

संलग्नक - VII (जारी)

2. बिग कांचीपुरम को-आप. टाउन बैंक लि.
3. दिंडीगल अर्बन को-आप. बैंक लि.

ख. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981

i) वाणिज्य बैंक

1. बैंक आफ बड़ौदा
2. बनारस स्टेट बैंक लि.
3. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर
4. स्टेट बैंक आफ मैसूर
5. स्टेट बैंक आफ पटियाला
6. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
7. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2. बालासोर ग्राम्य बैंक
3. बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
4. कावेरी ग्रामीण बैंक
5. कटक ग्राम्य बैंक
6. कल्पतरु ग्रामीण बैंक
7. लंगपी देहांगी रुल बैंक
8. मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक
9. रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
10. सोलापुर ग्रामीण बैंक
11. शेखावती ग्रामीण बैंक
12. सुरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
13. ठाणे ग्रामीण बैंक
14. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक
15. विन्ध्यवासिनी ग्रामीण बैंक

iii) सहकारी बैंक

1. बिग कांचीपुरम को-आप. टाउन बैंक लि. (तमिलनाडु)
2. बीजापुर श्री सिद्धेश्वर अर्बन को-आप. बैंक लि. (कर्नाटक)
3. बुलढाणा डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-आप. बैंक लि. (महाराष्ट्र)
4. चिन्नूर डिस्ट्रीक्ट को-आप. सेन्ट्रल बैंक लि. (आंध्र प्रदेश)
5. गडचिरोली डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-आप. बैंक लि. (महाराष्ट्र)
6. जिला सह. केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलांसपुर (मध्य प्रदेश)
7. जूनागढ डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-आप. बैंक लि. (गुजरात)
8. नागपुर डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-आप. बैंक लि. (महाराष्ट्र)
9. तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-आप. बैंक लि. (तमिलनाडु)
10. तिरुपुर को-आप. अर्बन बैंक लि. (तमिलनाडु)

संलग्नक - VIII

निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)															
योजना/उधारकर्ता की श्रेणी	जून के अंत की स्थिति						मार्च के अंत की स्थिति						कुल के प्रति 15 का %		
	1972	1981	1984	1986	1987	1988	1989 [^]	1990 [^]	1991 [^]	1992 [^]	1993 [^]	1994 [^]		1995 [^]	1996 [^]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
लघु उधारकर्ता															
(क) गैर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं															
I. लघु ऋण गारंटी योजना 1971	205.71	3546.24	7045.38	10345.10	10998.22	14145.67	25562.66	27676.73	29166.66	24429.24	26339.75	25474.28	18906.40	17260.80	100.00
i) कृषक और काश्तकार	134.67	2267.52	4181.98	6020.34	6428.29	8504.48	10542.04	18565.55	19788.04	16572.80	17868.89	17075.41	12364.79	11335.17	65.67
ii) परिवहन चालक	28.29	477.56	1239.58	1608.00	1664.73	1665.58									
iii) खुदरा व्यापारी	28.34	398.86	709.84	1191.85	1257.99	1795.38									
iv) व्यवसायी व स्वनि. व्यक्ति	9.14	165.66	326.94	656.56	700.15	964.99	14519.56 ^s	8727.03 ^s	8973.00 ^s	7514.44 ^s	8102.11 ^s	7840.98 ^s	6172.94 ^s	5632.20 ^s	32.63
v) व्यावसायिक उद्यम	5.27	150.08	322.51	609.51	694.64	923.18									
vi) विभेदक व्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की शेष श्रेणी	—	86.56	264.53	260.84	252.42	292.06	501.06	384.15	405.62	342.00	368.75	557.89	368.67	293.43	1.70
II. लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971	2.56	10.89	52.68	85.19	92.28	108.68	2.70	4.17	—	#	#	#	#	#	#
III. सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971	0.12	1.32	0.50	0.72	0.72	1.84	0.20	0.44	0.39	#	#	#	#	#	#
IV. लघु ऋण (सह. बैंक) गारंटी योजना, 1984	—	—	5.69 [*]	14.96	25.00	35.19									
i) परिवहन चालक	—	—	1.84	5.49	8.54	13.31									
ii) खुदरा व्यापारी	—	—	2.64	5.53	7.67	8.51	20.70 ^s	10.98 ^s	13.77 ^s	14.34 ^s	8.08 ^s	9.59 ^s	3.33 ^s	0.19 ^s	—
iii) व्यवसायी और स्वनि. व्यक्ति	—	—	1.05	1.87	4.08	6.74									
iv) व्यावसायिक उद्यम	—	—	0.16	2.07	4.71	6.63									
जोड़ I, II, III व IV	208.39	3558.45	7104.25	10445.97	11116.22	14291.38	25586.26	27692.32	29180.82	24443.58	26347.83	25483.87	18909.73	17260.99	100.00

संलग्नक - VIII (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
लघु उद्योग उधारकर्ता															
(ख) औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजना															
V. लघु ऋण (लघु उद्योग)															
गारंटी योजना, 1981															
कुटीर उद्योगों आदि सहित सभी लघु उद्योग यूनिट															
	—	3716.43 [●]	4890.86	7497.46	7738.03	10464.66	14094.00	16826.21	17362.36	19161.92	15502.66	14176.95	13847.33	11271.33	
सकल जोड़ (क) + (ख)															
	208.39	7274.88	11995.11	17943.43	18854.25	24756.04	39680.26	44518.53+	46543.18+	43605.50+	41850.49	39660.82	32757.06	28532.32	

● 31 मार्च 1981 की स्थिति के अनुसार

* 31 दिसम्बर 1984 की स्थिति के अनुसार

^ विभिन्न सहभागी ऋण संस्थाओं से विवरण नहीं प्राप्त होने के कारण इन कालमों में दर्शाए गए आँकड़े (1) वर्ष के दौरान गारंटी शुल्क के रूप में प्रेषणों से वास्तविक प्राप्तियों (2) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की निवेश सूची के आकलनों पर आधारित हैं।

\$ गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

+ वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए ऋण संस्थाओं को कुछ श्रेणी के अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल न करने की अनुमति दिये जाने के कारण 31 मार्च 1990 और 1991 के गारंटीकृत अग्रिमों के संशोधित अंतिम आँकड़े क्रमशः 35851.33 करोड़ रुपये और 37410.16 करोड़ रुपये हैं।

1 अप्रैल 1992 से समाप्त।

संलग्नक - IX

लघु ऋणकर्ताओं के संबंध में निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये)

अवधि	प्राप्त दावे		निपटारे गये दावे		(कॉलम 4 और 5) के अनुसार निपटारे गये दावों में से					
					अदा किये गये दावे		वापस लिए गये दावे		अस्वीकृत दावे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1983 के अंत तक	5,70,724	110.46	4,07,510	66.07	3,92,223	57.67	5,692	2.08	9,595	6.32
1984 के दौरान	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09	2,28,419	30.99	741	0.22	7,465	0.88
1985 के दौरान	4,53,722	114.91	4,66,611	114.45	3,36,663	71.80	1,19,770	41.97	10,178	0.68
1986 के दौरान	6,30,365	140.94	6,44,090	176.39	4,84,852	86.86	1,47,419	87.18	11,819	2.35
1987 के दौरान	10,71,221	255.27	7,67,080	148.41	7,42,061	141.92	25	0.07	24,994	6.42
1988-89 के दौरान	15,28,391	364.08	12,90,945	280.61	12,60,266	272.29	515	0.11	30,164	8.21
1989-90 के दौरान	15,03,349	355.75	15,98,791	346.58	15,72,389	338.58	1,209	0.30	25,193	7.70
1990-91 के दौरान	20,87,562	505.05	19,00,904	427.17	18,62,697	4,15.35	4,202	1.42	34,005	10.40
1991-92 के दौरान	16,52,076	409.97	15,91,028	360.14	15,39,574	345.06	4,421	1.58	47,033	13.50
1992-93 [⊙] के दौरान	36,81,272 [⊙]	883.29	24,92,375	565.95	24,08,086	538.63	62	0.06	84,227	27.26
1993-94 [⊙] के दौरान	46,72,885 [⊙]	1167060	33,58,702	1026.36	32,88,353	816.44	5,782	188.79	64,567	21.13
1994-95 [⊙] के दौरान	47,93,205 [⊙]	1348.11	39,11,870	1100.26	38,60,522	1078.15	3,428	0.88	47,920	21.23
1995-96 [⊙] के दौरान	62,64,590 [⊙]	1841.06	35,09,601	1031.42	34,52,981	1006.28	738	1.53	55,882	23.61
जोड़ "क"	2,91,64,054	7558.20	2,21,76,132	5675.90	2,14,29,086	5200.02	2,94,004	326.19	4,53,042	149.69

संलग्नक - IX (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1996-97 के दौरान										
1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	59,97,049 [⊕]	1842.05 [⊕]	13,11,663	402.89	12,58,230	373.40	—	—	53,433	29.49
2. लघु ऋण (वित्तीय कंपनी) गारंटी योजना, 1971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. लघु ऋण (सह. बैंक) गारंटी योजना, 1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़ "ख" (1 + 2 + 3)	59,97,049 [⊕]	1842.05 [⊕]	13,11,663	402.89	12,58,230	373.40	—	—	53,433	29.49
समस्त (क + ख)	3,51,61,103 [⊕]	9400.25 [⊕]	2,34,87,795	6078.79	2,26,87,316	5573.42	2,94,004	326.19	5,06,475	179.18
वापस किये गये टेप "ग"			23,68,384 \$	707.21 \$			23,68,384 \$	707.21 \$		
सकल जोड़ (क + ख + ग)	3,51,61,103 [⊕]	9400.25 [⊕]	2,58,56,179	6786.00	2,26,87,316	5573.42	26,62,388	1033.40	5,06,475	179.18

विचाराधीन दावों का विवरण

	संख्या	करोड़ रुपये
1. दावों पर कार्रवाई की गयी परन्तु विभिन्न कारणों से भुगतान रोका गया	8,37,429	293.46
2. कार्रवाई/स्पष्टीकरण के अधीन दावे	84,67,495 [⊕]	2600.87 [⊕]
जोड़	93,04,924 [⊕]	2894.33 [⊕]

\$ मैग्रेटिक टेप पर प्रस्तुत किये गए उन दावों की संख्या और मूल्य राशि जो टेप पाठन त्रुटि आदि के कारण बैंको को लौटा दिए गये तथा जब ये दावे पुनः प्राप्त होंगे तो इन्हें नया दावा माना जाएगा।

⊕ अनंतिम

टिप्पणी : विचाराधीन दावों के विवरण में दर्शाया गया दावों का जोड़, प्राप्ति कालम के सकल जोड़ और निपटारे गए दावों के कालम का अंतर सूचित करता है। वर्ष 1996-97 के लिये दावों की कुल संख्या को निपटारे गए दावों के औसत मूल्य से गुणा करके इस मूल्य का आकलन किया गया है।

संलग्नक - X

लघु उधारकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	उधारकर्ताओं की श्रेणी	31 मार्च 1996 तक प्राप्त कुल दावे		अप्रैल 1996 से मार्च 1997 के दौरान प्राप्त दावे		कॉलम 5 की कुल संख्या की प्रतिशतता	कॉलम 6 की कुल राशि की प्रतिशतता	31 मार्च 1997 तक संचयी जोड़		कॉलम 10 की कुल राशि की प्रतिशतता
		संख्या@	राशि@	संख्या@	राशि@			संख्या@	राशि@	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कृषक और काश्तकार	1,39,12,060	3432.68	31,02,274	887.87	51.73	48.20	1,70,14,334	4320.55	45.96
2.	परिवहन चालक	10,36,457	591.79	1,73,315	129.86	2.89	7.05	12,09,772	721.65	7.68
3.	खुदरा व्यापारी	80,01,810	2239.42	17,07,959	517.42	28.48	28.09	97,09,769	2756.84	29.33
4.	व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति	23,39,998	581.69	3,76,015	131.15	6.27	7.12	27,16,013	712.84	7.58
5.	कारोबारी उद्यम	21,77,874	548.19	5,22,343	153.26	8.71	8.32	27,00,217	701.45	7.46
6.	विभेदक ब्याजदर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की शेष श्रेणी	16,04,816	144.88	93,554	12.17	1.56	0.66	16,98,370	157.05	1.67
7.	उपभोग और मकान की खरीद या निर्माण हेतु ऋण सुविधाएँ	91,039	19.55	21,589	10.32	0.36	0.56	1,12,628	29.87	0.32
कुल		2,91,64,054	7558.20	59,97,049	1842.05	100.00	100.00	3,51,61,103	9400.25	100.00

@ अनन्तिम

संलग्नक - XI

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये)

अवधि	प्राप्त दावे		निपटारे गये दावे		अदा किये गये दावे		निपटारे गये दावों में से वापस लिए गये दावे/ आपत्तिवाले लौटाये गये दावे		निरस्त दावे		वर्ष के अंत में विचाराधीन दावे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1 अप्रैल 1981 से 31 दिसंबर 1981	1,308	1.74	—	—	—	—	—	—	—	—	1,308	1.74
1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1982	4,013	9.40	3,105	2.13	1,542	0.37	1,537	1.72	26	0.04	2,216	9.01
1 जनवरी 1983 से 31 दिसंबर 1983	9,325	32.58	7,328	12.93	5,184	3.43	2,066	9.00	78	0.50	4,213	28.66
1 जनवरी 1984 से 31 दिसंबर 1984	18,300	53.98	9,522	13.73	7,855	9.91	1,610	2.92	57	0.90	12,991	68.91
1 जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 1985	22,048	71.99	22,791	25.08	18,264	12.06	4,116	11.61	411	1.41	12,248	115.82
1 जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986	33,723	104.92	30,299	67.07	19,695	24.10	10,261	40.30	343	2.67	15,672	153.67
1 जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987	44,711	131.68	40,206	88.16	38,099	69.09	1,580	8.26	527	10.81	20,177	197.19
1 जनवरी 1988 से 31 मार्च 1989 (15 माह)	93,716	216.90	81,351	156.56	67,002	92.78	13,542	48.54	807	15.24	32,542	257.53
1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990	74,894	192.58	1,01,579	368.08	82,046	169.96	16,971	126.85	2,562	71.27	5,857	82.03
1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991	83,809	243.71	76,148	249.25	65,694	131.81	8,968	71.53	1,486	45.91	13,518	76.49
1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992	78,447	217.26	80,510	255.67	66,728	117.23	12,825	106.83	957	31.61	11,455	38.08
1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1993	1,29,968	259.98	1,18,147	243.21	1,00,751	94.92	16,261	110.35	1,135	37.94	23,276	54.85
1 अप्रैल 1993 से 31 मार्च 1994	1,44,165	323.16	1,23,031	287.72	93,008	73.55	25,728	162.22	4,295	51.95	44,410	90.29
1 अप्रैल 1994 से 31 मार्च 1995	1,89,593	378.71	1,92,791	409.31	1,53,743	100.86	34,446	235.51	4,602	72.94	41,212	59.69
1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 1996	1,91,034	524.17	1,55,448	308.01	78,857	35.99	69,005	180.39	7,586	91.63	76,798	275.85
1 अप्रैल 1996 से 31 मार्च 1997	1,81,423	270.32	1,01,098	291.49	6,967	5.24	72,715	193.59	21,416	92.66	94,123	254.68
जोड़	12,37,477	3033.08	11,43,354	2778.40	8,05,435	941.30	2,91,631	1309.62	46,288	527.48		

31 मार्च 1997 को विचाराधीन दावों की शाखावार स्थिति

(राशि करोड़ रुपये)

	संख्या	राशि
कलकत्ता	34,873	106.76
चेन्नई	1,356	4.67
नागपुर	5,168	13.77
नई दिल्ली	52,726	129.48
जोड़	94,123	254.68

संलग्नक - XII

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान दावों की राशिवार प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये)

दावा राशि	31 मार्च 1996 को विचाराधीन दावे		वर्ष के दौरान प्राप्ति		वर्ष के दौरान निपटान						वर्ष के दौरान कुल निपटान		31 मार्च 1997 की को विचाराधीन दावे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अदा किये गये दावे		वापस लिए गए दावे/ आपत्तिवाले लौटाये गये दावे		निरस्त दावे		संख्या	राशि	संख्या	राशि
					संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि				
25,000 रुपये तक	53,267	48.85	99,699	52.68	6,584	4.01	59,273	43.40	16,641	13.40	82,498	60.81	70,468	40.72
25,000 रुपये से अधिक और 1.00 लाख रुपये तक	19,247	81.55	14,265	47.32	371	1.04	10,697	49.82	3,072	12.06	14,140	62.92	19,372	65.95
1.00 लाख रुपये से अधिक और 5.00 लाख रुपये तक	3,527	78.78	3,365	70.21	12	0.19	2,141	48.77	1,312	30.88	3,465	79.84	3,427	69.15
5.00 लाख रुपये से अधिक और 8.00 लाख रुपये तक	344	21.59	493	31.35	—	—	274	17.68	182	11.41	456	29.09	381	23.85
8.00 लाख रुपये से अधिक	413	45.08	601	68.76	—	—	330	33.92	209	24.91	539	58.83	475	55.01
जोड़ :	76,798	275.85	1,18,423	270.32	6,967	5.24	72,715	193.59	21,416	92.66	1,01,098	291.49	94,123	254.68

संलग्नक - XIII

वर्ष 1981 से 1996-97 के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क का योजनावार विवरण

(राशि करोड़ रुपये)

योजना	1981	1982	1983	1984	1986	1987	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
	(15 माह)														
1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	23.29	30.50	35.70	47.69	69.00	79.56	101.51	389.32	331.90	351.44	431.74	665.36	631.64	496.90	396.43
2. लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना 1971@	0.05	0.08	0.25	0.36	0.55	0.39	0.33	0.12	0.06	—	—	—	—	—	—
3. सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना 1971@	*	*	*	*	*	*	*	0.01	0.01	0.01	—	—	—	—	—
4. लघु ऋण (सह. बैंक) गारंटी योजना, 1984	—	—	—	0.01	0.09	0.14	0.26	0.31	0.16	0.20	0.21	0.12	0.14	0.03	0.01
5. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	16.87	27.09	35.22	39.85	57.61	65.08	89.79	204.07	192.59	214.23	270.83	180.61	197.35	207.71	167.58
जोड़ :	40.21	57.67	71.17	87.91	127.25	145.17	191.89	593.83	524.72	565.88	702.78	846.09	829.13	704.64	564.02

* 1981 ₹.39,000/- * 1984 ₹.25,000/-
 * 1982 ₹.73,000/- * 1986 ₹.1,000/-
 * 1983 ₹.14,000/- * 1987 ₹.7,000/-
 * 1988-89 ₹.58,000/-

@ ये योजनाएँ 1 अप्रैल 1992 से समाप्त कर दी गई हैं।

संलग्नक - XIV

31 मार्च 1997 को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि से निवेश

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	निक्षेप बीमा निधि					ऋण गारंटी निधि					सामान्य निधि			
		दर	अंकित मूल्य	बही मूल्य	दर के अनुसार मूल्य	बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत	अंकित मूल्य	बही मूल्य	दर के अनुसार मूल्य	बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत	अंकित मूल्य	बही मूल्य	दर के अनुसार मूल्य	बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(क) जिन प्रतिभूतियों में मूल्यहास हुआ															
1.	88008 11.50% ऋण 2008	88.31	13.84	13.32	12.22	91.74	0.36	0.34	0.32	94.12	—	—	—	—	
2.	89009 11.50% ऋण 2009	87.95	125.96	126.25	110.78	87.75	86.02	86.03	75.65	87.93	—	—	—	—	
3.	91012 11.50% ऋण 2011	87.23	82.18	81.20	71.69	88.29	7.82	7.58	6.82	89.97	—	—	—	—	
4.	94007 11.64% जी.एस. 2000	97.02	105.56	105.96	102.41	96.65	34.44	34.46	33.41	96.95	—	—	—	—	
5.	94009 11.75% जी.एस. 2001	95.65	51.87	51.09	49.61	97.10	96.89	93.20	92.68	99.44	—	—	—	—	
6.	91020 12% ऋण 2011	90.33	121.45	121.12	109.71	90.58	303.66	301.21	274.30	91.07	—	—	—	—	
7.	92003 12% ऋण 2007	94.29	160.15	160.78	151.01	93.92	223.85	224.79	211.07	93.90	—	—	—	—	
8.	94003 12.50% जी.एस. 2004	96.00	39.53	40.39	37.94	93.93	100.00	101.25	96.00	94.81	—	—	—	—	
9.	93002 12.70% जी.एस. 2001	98.69	—	—	—	—	75.00	75.15	74.02	98.50	—	—	—	—	
10.	93001 12.60% जी.एस. 2000	99.47	—	—	—	—	45.00	45.09	44.76	99.27	—	—	—	—	
11.	95020 13.85% जी.एस. 2000	102.19	—	—	—	—	10.40	10.65	10.63	99.81	—	—	—	—	
12.	82005 9% ऋण 2013	70.36	107.91	106.04	75.93	71.60	1.34	1.34	0.94	70.15	6.88	6.89	4.84	70.25	
13.	84010 10.50% ऋण 2014	79.56	55.98	55.96	44.53	79.57	—	—	—	—	7.39	7.38	5.88	79.67	
14.	86007 11.50% ऋण 2006	89.48	105.85	107.04	94.71	88.48	—	—	—	—	2.00	2.00	1.79	89.50	
15.	85007 11.50% ऋण 2015	86.24	87.12	87.14	75.13	86.22	—	—	—	—	11.10	11.12	9.57	86.06	
16.	83004 10% ऋण 2014	76.57	80.48	80.35	61.63	76.70	—	—	—	—	10.33	10.35	7.91	76.43	
17.	84005 10.25% ऋण 2012	79.00	39.57	39.62	31.26	78.90	—	—	—	—	10.26	10.27	8.11	78.96	
18.	75002 6.50% ऋण 2003	72.38	2.66	2.66	1.93	72.56	—	—	—	—	—	—	—	—	
19.	78002 6.75% ऋण 2006	65.43	18.86	18.86	12.34	65.43	—	—	—	—	—	—	—	—	
20.	78007 6.75% ऋण 2007	62.72	1.12	1.12	0.70	62.50	—	—	—	—	—	—	—	—	
21.	79002 7% ऋण 2009	61.91	40.68	40.71	25.18	61.85	—	—	—	—	—	—	—	—	
22.	80003 7.50% ऋण 2010	63.43	58.45	56.48	37.08	65.65	—	—	—	—	—	—	—	—	
23.	81005 8% ऋण 2011	65.53	135.83	126.03	89.01	70.62	—	—	—	—	—	—	—	—	
24.	82013 8.75% ऋण 2010	70.02	3.79	3.78	2.65	70.10	—	—	—	—	—	—	—	—	
25.	84002 9.50% ऋण 2008	77.13	23.84	23.61	18.39	77.89	—	—	—	—	—	—	—	—	
26.	87011 11.50% ऋण 2007	88.65	0.03	0.03	0.03	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	
27.	93007 13.12% जी.एस. 1999	101.28	1.55	1.68	1.57	93.45	—	—	—	—	—	—	—	—	
28.	95011 13.50% जी.एस. 1997	101.40	38.37	39.26	38.91	99.11	—	—	—	—	—	—	—	—	
29.	95003 13.25% जी.एस. 2000	101.09	110.01	111.27	111.21	99.95	—	—	—	—	—	—	—	—	
जोड़ (क)			1612.64	1601.75	1367.56		984.78	981.09	920.60		47.96	48.01	38.10		

(जारी)

संलग्नक - XIV (जारी)

(राशि करोड़ रुपये)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(ख) जिन प्रतिभूतियों में मूल्यवृद्धि हुई															
1.	92006	12.30% जी.एस. 1998	101.78	36.40	36.40	37.05	101.79	44.55	44.61	45.34	101.64	—	—	—	—
2.	93005	13.40% जी.एस. 2002	100.50	70.92	71.27	71.27	100.00	88.88	89.32	89.32	100.00	—	—	—	—
3.	94004	12% जी.एस. 1999	101.78	—	—	—	—	6.00	5.82	6.11	104.98	—	—	—	—
4.	94010	11.55% जी.एस. 2002	93.89	—	—	—	—	41.61	38.68	39.07	101.00	—	—	—	—
5.	95003	13.25% जी.एस. 2000	101.09	—	—	—	—	47.89	48.28	48.41	100.27	—	—	—	—
6.	92004	12% जी.एस. 1997	100.00	—	—	—	—	51.00	50.99	51.00	100.02	—	—	—	—
7.	96001	13.65% जी.एस. 1999	102.10	11.86	11.98	12.11	109.09	8.02	8.19	8.19	100.00	—	—	—	—
8.	95016	4 वर्ष भारत सरकार अस्थायी दर बांड 1999													
9.	95012	14% जी.एस., 2005 (किस्त)	103.65	5.90	5.90	6.12	103.73	30.60	30.60	31.72	103.66	13.50	13.50	13.99	103.63
10.	96006	13.50% जी.एस. 1998 (परिवर्त)	103.20	47.48	47.49	49.00	103.18	99.99	100.33	103.19	102.85	—	—	—	—
11.	96007	13.75% 5 वर्ष जी.एस. 2001	101.88	8.60	8.60	8.76	101.86	10.09	10.09	10.28	101.88	—	—	—	—
12.	96008	13.70% जी.एस. 1999	103.11	21.40	21.56	22.06	102.32	33.07	33.24	34.09	102.56	—	—	—	—
13.	94006	12.08% जी.एस. 2001	96.81	—	—	—	—	13.72	12.87	13.29	103.26	—	—	—	—
14.	94002	'भारत सरकार '0' कूपन बांड 1999	80.55	110.18	61.07	88.75	145.32	4.12	2.96	3.32	112.16	—	—	—	—
15.	94013	भारत सरकार 0 कूपन बांड 2000 (दूसरी श्रेणी)	68.88	0.01	0.01	0.01	100.00	17.96	10.68	12.37	115.82	—	—	—	—
16.	96014	13.62% जी.एस. 1998 (2 वर्ष)	102.70	35.15	35.32	36.10	102.21	7.60	7.63	7.80	102.36	—	—	—	—
17.	96016	13.82% जी.एस. 2002	102.10	6.19	6.22	6.32	101.61	53.25	53.48	54.36	101.65	2.06	2.06	2.10	101.94
18.	96004	13.85% जी.एस. 2001	102.25	94.32	95.50	96.44	100.98	9.88	10.10	10.10	100.00	6.80	6.95	6.95	100.00
19.	95006	14% जी.एस. 2005	103.65	—	—	—	—	29.12	29.88	30.18	101.00	0.48	0.49	0.50	102.04
20.	96018	13.55% जी.एस. 2001	102.20	—	—	—	—	1.25	1.25	1.28	102.40	—	—	—	—
21.	96019	13.40% जी.एस. 1999	102.35	—	—	—	—	5.00	5.00	5.12	102.40	—	—	—	—
22.	95010	13.65% जी.एस. 1998	103.03	20.37	20.42	20.99	102.79	120.91	121.10	124.58	102.87	—	—	—	—
23.	95011	13.50% जी.एस. 1997 (दूसरा निर्गम)	101.40	—	—	—	—	104.03	104.70	105.49	100.75	0.05	0.05	0.05	100.00
24.	94009	11.75% जी.एस., 2001	95.65	—	—	—	—	—	—	—	—	0.19	0.18	0.18	100.00
25.	72001	5.75% ऋण 2000	73.17	3.00	1.86	2.19	117.74	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	95001	भारत सरकार '0' कूपन बांड 2000	69.95	3.93	2.12	2.75	129.71	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	95006	14% जी.एस. 2005	103.65	53.40	54.82	55.35	100.97	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	95020	13.85% जी.एस. 2000	102.19	1.95	1.96	1.99	101.53	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	96013	भारत सरकार '0' कूपन बांड 2000	68.88	3.10	1.88	2.14	113.83	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़ 'ख'				534.16	484.38	519.40		843.96	835.22	850.18		23.08	23.23	23.77	
जोड़ 'क'				1612.64	1601.75	1367.56		984.78	981.09	920.60		47.96	48.01	38.10	
जोड़ 'क' + 'ख'				2146.80	2086.13	1886.96		1828.74	1816.31	1770.78		71.04	71.24	61.87	

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हबीब एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
पठारिया पैलेस,
75, मोहम्मद अली रोड,
मुम्बई-400 003.

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च 1997 तक के (i) जमा बीमा निधि तथा ऋण गारंटी निधि और (ii) सामान्य निधि के उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्रों तथा उक्त निधियों के संलग्न आय-व्यय लेखों की भी लेखा-परीक्षा की है। इस संबंध में हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है :

1. लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार अपेक्षित सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण हमने प्राप्त किए हैं।
2. उपर्युक्त तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार और घोषित किये गये हैं।
3. हमारे विचार से और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, सहायक अभिलेखों के मिलान की शर्तों के अधीन, उक्त खाते, निक्षेप बीमा योजना के अन्तर्गत सहभागी बैंकों के खातों में शेष राशि के, संबंध में नोट-1 की शर्तों के अधीन, और लेखांकन नीति और तत्संबंधी अन्य नोटों के साथ पठित, सत्य और सही स्वरूप दर्शाते हैं :
(क) (i) निक्षेप बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि और (ii) सामान्य निधि के तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार निगम के क्रियाकलापों की स्थिति;
और
(ख) निगम के उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखे में (i) निक्षेप बीमा निधि के मामले में अधिशेष और (ii) ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के मामले में घाटे की स्थिति।

कृते हबीब एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(ए.वाई. कबली)
पार्टनर

मुम्बई
दिनांक : 28 जून 1997

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(विनियम 18 -
31 मार्च 1997 को कारोबार समाप्ति की स्थिति के अनुसार
I - निक्षेप बीमा निधि

पिछले वर्ष		देयताएँ	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
रुपये	रुपये		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
2027300000.00	17754300000.00	1. निधि (वर्ष के अंत में शेष)	2985100000.00		29259300000.00	
24511676.95	—	2. अधिशेष (संलग्न आय-व्यय लेखा के अनुसार शेष)	—		—	
1842276558.67	672021315.52	3. निवेश रिजर्व : वर्ष के आरंभ में शेष जोड़िए : वर्ष के दौरान उपलब्ध करायी गयी राशि	2607262145.88	1039161606.91		
764985577.21	367140291.39		—	—		
2607262145.88	1039161606.91		2607262145.88	1039161606.91		
	128580280.65	4. प्राप्त और स्वीकृत किंतु भुगतान न किए गए दावे	—		3083455974.89	
66799000.00	17117845000.00	5. प्राप्त किंतु स्वीकार न किए गए दावों के संबंध में अनुमानित देयता	452739000.00		27052883000.00	
8776063.20	—	6. दावा न की गई बीमा राशियां	8211228.45		—	
614587909.96	123166791.24	7. अन्य देयताएं				
15388989750.84	—	i) फुटकर लेनदार	—	316075770.52		
1208145000.00	—	ii) ऋण गारंटी निधि	19139173252.89	—		
17211722670.80	123166791.24	iii) आयकर हेतु प्रावधान	1208145000.00	—		
		iv) फुटकर जमा खाता	732755301.31	—		
			21080073554.20	316075770.52		
21946371556.83	36163053678.80	जोड़	27133385928.53	60750876352.32		

इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मै. हबीब एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

आर.वी. गुप्ता
अध्यक्ष

एस. गुरुमूर्ति
निदेशक

गंगाधर गाडगिल
निदेशक

पार्टनर

एस. एच. खान
निदेशक

डी.एस. आर. सिंहडु
मुख्य महाप्रबन्धक

मुम्बई

दिनांक : 28 जून 1997

प्रत्यय गारंटी निगम

अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत
फार्म 'क')

तुलन-पत्र

और ऋण गारंटी निधि

पिछले वर्ष		आस्तियाँ	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
रुपये	रुपये		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
1821338.62	40922861.63	1. भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ	21150154090.13	867310.29	18175756576.97	25833718.37
19321577351.51	18433643181.36	2. केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, खजाना बिलों में निवेश (लागत पर) दिनांकित प्रतिभूतियाँ	2735157704.90	23885311795.03	7006248214.02	25182004790.99
		निक्षेप बीमा निधि (रुपये)				
		ऋण गारंटी निधि (रुपये)				
		अंकित मूल्य	21467985400.00		18287376000.00	
		बाजार मूल्य	18869600899.22		17707898434.30	
575959861.30	523248266.95	3. निवेशकों पर प्रोदभूत ब्याज		741269188.78		934635127.24
		4. अन्य आस्तियाँ				
83973450.45	33370186.36	i) बैंकों/ऋण संस्थाओं में किस्त गारंटी शुल्क और अधिक दावा अदाकृत के रूप में बकाया	6860565.88		164220.67	
9699893.40	9883552.66	ii) अतिदेय किस्त और गारंटी शुल्क पर बकाया ब्याज	—		896765.41	
6463.55	—	iii) गैर संबितरित दावों के भुगतान के रूप में बैंक/बैंकों के परिसमापक के पास राशि	6463.55		—	
—	—	iv) लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी)	—		—	
—	15388989760.84	v) निक्षेप बीमा निधि	—		19139173252.89	
1953333198.00	1732995869.00	vi) स्रोत पर आयकर की कटौती	2134043616.00		1791695523.00	
—	—	vii) विविध देनदार	—		—	
		viii) प्राप्य आयकर रिफंड	365026989.00	2505937634.43	557012042.00	21488941803.97
		5. असमायोजित आय की तुलना में व्यय का आधिक्य		—		13119460911.75
21946371556.83	36163053678.80	जोड़	27133385928.53		60750876352.32	

बी.बी. व्यास
निदेशक

पी.एन. जोशी
निदेशक

के. प्रसाद
उप महाप्रबन्धक

एन. पी. सारडा
निदेशक

रशीद जिलानी
निदेशक

पी. डब्ल्यू. सेगे
निदेशक

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत
(विनियम 18 -
31 मार्च 1997को कारोबार समाप्त
I - निक्षेप बीमा निधि

पिछले वर्ष		व्यय	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
रुपये	रुपये		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
		दावे				
87548323.09	10194198571.76	(क) वर्ष के दौरान अदाकृत	39121865.34		36496150.55	
—	128580280.65	(ख) स्वीकृत किंतु अदा न किए गए दावे	—		3083455974.89	
		जोड़िये:				
66799000.00	17117845000.00	वर्ष की समाप्ति पर ऐसे दावों के मामले में अनुमानित देयता जो प्राप्त तो हो गए किंतु स्वीकृत नहीं हुए	452739000.00		27052883000.00	
154347323.09	27440623852.41		491860865.34		33785943125.44	
		घटाइये :				
159236000.00	10173290000.00	उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जो प्राप्त हो चुके थे किंतु पिछले वर्ष के अंत तक स्वीकृत नहीं हुए	66799000.00		17117845000.00	
		जोड़िए :				
71687000.00	—	पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान (दुतरफा)	55204009.66			
66798323.09	17267333852.41	निवल दावे	480265875.00		16668098125.44	
764985577.21	367140291.39	निवेशों के मूल्यों में मूल्याहास का प्रावधान और आकस्मिकताएं (संदर्भ नोट सं. 1)	—		—	
		निवेशों के विक्रय से हानि			1322547.17	
				5991996.25	626150.00	
2027300000.00	17754300000.00	वर्ष के अंत में निधि (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार नीचे लाया गया शुद्ध अधिशेष	2985100000.00		29259300000.00	
3329742921.47	—		3725671815.10		—	
6188826821.77	35388774143.80		7197029686.35		45929346822.61	
—	3321619714.43	नीचे लाया गया शुद्ध घाटा	—		16869644403.80	
3321619714.43		निक्षेप बीमा निधि में अंतरण (दुतरफा)	—		—	
24511676.95	—	ऋण गारंटी निधि में अंतरण	3750183492.05		—	
		शेष-तुलनपत्र में ले जाया गया जोड़	—		—	
3346131391.38	3321619714.43		3750183492.05		16869644403.80	

इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मै. हबीब एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

पार्टनर

मुम्बई

दिनांक : 28 जून 1997

आर.वी. गुप्ता
अध्यक्ष

एस. एच. खान
निदेशक

एस. गुरुमूर्ति
निदेशक

डी.एस. आर. सिंह
मुख्य महाप्रबन्धक

गंगाधर गाडगिल
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
'ख')

वर्ष का आय-व्यय लेखा
और ऋण गारंटी निधि

पिछले वर्ष		आय	निक्षेप बीमा	ऋण गारंटी	निक्षेप बीमा	ऋण गारंटी
निधि	निधि		निधि	निधि	निधि	निधि
रुपये	रुपये		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
1688500000.00	17927100000.00	वर्ष के आरंभ में निधि शेष	2027300000.00	17754300000.00		
2264288982.69	—	निक्षेप बीमा किस्तों से (अतिदेय किस्तों पर ब्याज सहित)	2536709530.75	—		
—	7046492937.88	गारंटी शुल्क से (अतिदेय शुल्क पर ब्याज सहित)	—	5720030330.63		
197764379.86	4263255965.81	निक्षेप बीमा संबंधी दावों के निपटान/प्रदत्त गारंटी दावों से संबंधित वसूलियाँ (अतिदेय चुकौतियों पर ब्याज सहित)	75343872.66	2593500176.16		
71687000.00	—	पुनरांकित निक्षेप बीमा दावों के लिए अतिरिक्त प्रावधान (दुतरफा)	55204009.66	—		
509300.00	26350425.00	निवेश से प्राप्त आय (सकल)	2431821891.28	2884063134.02		
1865317395.22	2757365593.68	निवेश से लाभ				
			निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		
			(रुपये)	(रुपये)		
		स्रोत पर कर की कटौती वर्ष 1996-97 के लिए	475087025.00	507902918.00		
		गत वर्ष	379066591.00	548371103.00		
100759764.00	46589407.00	अग्रिम कर/टीडीएस पर ब्याज	70650382.00	107808778.00		
3321619714.43		नीचे लाया गया शुद्ध घाटा		16869644403.80		
6188826821.77	35388774043.80	जोड़ :	7197029686.35	45929346822.61		
16388469.91	—	पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष	24511676.95			
3329742921.47	—	नीचे लाया गया शुद्ध अधिशेष	37525671815.10			
—	3321619714.43	निक्षेप बीमा निधि से अंतरण (दुतरफा)	—	3750183492.05		
		शेष - तुलन पत्र में ले जाया गया		13119460911.75		
3346131391.38	3321619714.43	जोड़ :	3750183492.05	16869644403.80		

टिप्पणी : संदिग्ध बकाये के लिए प्रावधान का सूचक है।

बी.बी. व्यास
निदेशक

एन. पी. सारडा
निदेशक

पी. डब्ल्यू. रंगे
निदेशक

पी. एन. जोशी
निदेशक

रशीद जिलानी
निदेशक

के. प्रसाद
उप महाप्रबन्धक

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(विनियम 18 -
31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष का
II - सामान्य

पिछले वर्ष (धनराशि)	देयताएँ	(धनराशि)	(धनराशि)
500000000.00	1. पूँजी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त.		500000000.00
88710643.56	2. प्रारक्षित निधियाँ (क) सामान्य रिज़र्व वर्ष के आरंभ में शेष	133590333.62	
140000000.00	जोड़िए : कर्मचारी व्यय के लिए भा.रि. बैंक से वित्तीय सहायता.	70000000.00	
95120309.94	घटाइए : आय व्यय लेखा से अंतरित घाटा	203590333.62	
133590333.62	वर्ष के अंत में शेष	50301636.22	153288697.40
163847374.26	(ख) निवेश रिज़र्व वर्ष के आरंभ में शेष		163847374.26
2250640.32	(ग) पूँजी रिज़र्व		2250640.32
78039914.33	3. चालू देयताएँ और प्रावधान बकाया व्यय	62924699.01	
1436276.60	विविध लेनदार	465893.95	
22300000.00	आयकर के लिए प्रावधान	22300000.00	
101776190.93			85690592.96
901464539.13	जोड़		905077304.94

इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मै. हबीब एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

आर.वी. गुप्ता
अध्यक्ष

एस. गुरुमूर्ति
निदेशक

गंगाधर गाडगिल
निदेशक

पार्टनर

एस. एच. खान
निदेशक

डी.एस. आर. सिंहडु
मुख्य महाप्रबन्धक

मुम्बई
दिनांक : 28 जून 1997

प्रत्यय गारंटी निगम
अधिनियम, 1961 के अधीन)
फार्म 'क'
का तुलन-पत्र
निधि

(राशि रुपये में)

पिछले वर्ष (धनराशि)	आस्तियाँ	(धनराशि)	(धनराशि)
	1. नकद		
12221.03	i) हाथ में	14352.38	
766875.26	ii) भारतीय रिजर्व बैंक के पास	778875.29	
779096.29			793227.67
	2. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		
768821977.90	खजाना बिल	712480852.90	
	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	44736219.00	757217071.90
774710000.00	अंकित मूल्य	710380000.00	
619511217.22	बाजार मूल्य	618743694.88	
23741046.37	3. निवेश पर प्रोदभूत व्याज		21677034.69
	4. अन्य आस्तियाँ		
4516005.61	क) मूल्यहास घटाकर फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण (संदर्भ नोट I)	4370115.11	
178230.95	ख) लेखन सामग्री का स्टॉक	595003.93	
84227.86	ग) पूर्वदत्त व्यय	133840.36	
9807259.15	घ) व्ययों के लिए अग्रिम, भारतीय रिजर्व बैंक से वसूली योग्य स्टाफ को दिये गये भत्ते और अन्य जमा राशियाँ	4302804.28	
93536695.00	ङ) आयकर कटौती स्रोत पर	95116939.00	
	च) प्राप्य रिफंड	20871268.00	
	छ) बकाया राशि		
	i) ऋण गारंटी निधि में	—	
1081224118.57	ii) निक्षेप बीमा निधि में	—	125389970.68
9014645539.13	जोड़		905077304.94

टिप्पणी : अधिकारी निवास सुसज्जा योजना के अन्तर्गत मदों के मूल्य स्वरूप 7,67,188 रुपये की राशि शामिल है.

बी.बी. व्यास
निदेशक

एन. पी. सारडा
निदेशक

पी.डब्ल्यू. रेगे
निदेशक

पी.एन. जोशी
निदेशक

रशीद जिलानी
निदेशक

के. प्रसाद
उप महाप्रबन्धक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अंतर्गत)
(फॉर्म 'ख') 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

II - सामान्य निधि

(राशि रुपये में)

पिछले वर्ष (राशि)	व्यय	राशि	पिछले वर्ष राशि	आय	राशि
128678595.60	वेतन और भत्ते तथा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	103318846.79	67557857.17	निवेशों से आय (सकल) (स्रोत पर आयकर की कटौती) (18411912.00 रुपये) (पिछले वर्ष : 16602127.00 रुपये)	80463892.82
9673701.10	कर्मचारी पेंशन और उपदान निधि में अंशदान	5568412.15			
800.00	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	6300.00	2310423.94	लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन दावा अदाकृत लेखों से प्राप्त बसूलियाँ	1567170.68
34833.00	निदेशकों और समिति के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते	38114.10			
19296881.04	किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि	14496041.70	93762.21	विविध प्राप्तियाँ	161608.85
1773980.50	स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते	1710053.05			
254843.00	कम्प्यूटर उपभोज्य सामग्री (संदर्भ नोट :1)	63133.75	2057909.00	अग्रिम कर पर ब्याज/स्रोत पर कर कटौती	4039600.00
621757.27	मुद्रण और लेखन सामग्री	742616.84			
507042.53	डाक, तार और टेलीफोन	534186.80	95120309.94	वर्ष के लिए आय की तुलना में अधिक खर्च को कम करने पर शेष नीचे लाया गया	50301636.22
49000.00	लेखा परीक्षकों का शुल्क	49000.00			
736779.00	विधि प्रभार	305963.00			
4490123.11	विविध व्यय(संदर्भ नोट II)	8577046.83			
1021926.11	मूल्य-हास	1124193.56			
	— निवेश पर मूल्य-हास के लिए प्रावधान	—			
	— वर्ष के लिए आय की तुलना में अधिक खर्च नीचे लाया गया	—			
167140262.26	जोड़ :	136533908.57	167140262.26	जोड़ :	136533908.57
95120309.94	शेष नीचे लाया गया	50301636.22	95120309.94	सामान्य रिजर्व में अंतरित आय से अधिक व्यय शेष	50301636.22
	— आय की तुलना में अधिक खर्च सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित किया गया.	—		— शेष नीचे लाया गया	—
95120309.94	जोड़ :	50301636.22	95120309.94	जोड़ :	50301636.22

टिप्पणी: 1 पिछले वर्ष से संबंधित 220729 रुपये का निवल समायोजन.

टिप्पणी: 2 इसमें ऋण गारंटी लघु उद्योग (पुरानी) योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षों से संबंधित दावे की चुकौती दशनिवाली 2760000 रुपये की राशि शामिल है.

इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मै. हबीव एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार	आर. वी. गुप्ता अध्यक्ष	एस. गुरुमूर्ति निदेशक	वी.वी. व्यास निदेशक	एन. पी. सारडा निदेशक	पी. डब्ल्यू. रेगे निदेशक
पार्टनर	एस.एच खान निदेशक	पी.एन. जोशी निदेशक	रशीद जिलानी निदेशक	गंगाधर गाडगिल निदेशक	
मुम्बई दिनांक: 28 जून 1997		डी.एस.आर. सिंह मुख्य महाप्रबन्धक		के. प्रसाद उप महाप्रबन्धक	

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. सामान्य

विद्यमान महत्त्वपूर्ण संकल्पनाओं का अनुपालन करते हुए और ऐतिहासिक लागत आधार पर तथा देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और पद्धति के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं।

2. आय और व्यय का निर्धारण

- i) यदि अन्य प्रकार से उल्लेख न किया गया हो तो आय और व्यय की मदें सामान्यतः उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।
- ii) निक्षेप बीमा किस्तों और गारंटी शुल्क प्राप्तियों का सामान्यतः जमाराशियों और गारंटीकृत अग्रियों से संबंधित विवरण प्राप्त होने के पश्चात् विनियोजन राजस्व आय में किया जाता है। यदि लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तक ऐसे विवरण प्राप्त न हों तो सहभागी ऋण संस्थाओं द्वारा किये गये तदर्थ भुगतान, यदि कोई हो, को आय माना जाता है परन्तु, पिछले वर्षों के अभिलेखों की तुलना में यह राशि पर्याप्त होनी चाहिए। असमायोजित राशियाँ 'विविध लेनदार' शीर्ष के अंतर्गत आगे ले जायी जाती हैं।
- iii) ऋण गारंटी स्कीम छोड़ चुके बैंकों/ऋण संस्थाओं से प्राप्य गारंटी शुल्क का आकलन उनके दावों के सम्बन्ध में बकाया है जो उन्होंने स्कीम छोड़ने के बाद प्रस्तुत किए, इन्हें प्राप्ति के आधार पर लिया जाता है।
- vi) सहभागी ऋणदाता संस्थाओं से सम्बद्ध विवरण प्राप्त होने तक जमा बीमा प्रीमियम और गारण्टी शुल्क की अप्राप्त राशि को आय के रूप में नहीं लिया जाता है।
- v) गारंटी शुल्क और बीमा किस्तों के भुगतान में विलम्ब के लिए दंडस्वरूप ब्याज को ऐसे भुगतान की तारीख तक की आय में गिना जाता है और किस्तों/गारंटी शुल्क की बकाया राशि पर ब्याज को आय नहीं माना जाता है।
- vi) निपटाये गये जमा बीमा दावों/अदाकृत गारंटी दावों के संबंध में प्रत्याहरण अधिकारों के बल पर वसूली (दंडस्वरूप ब्याज सहित) को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा जिस वर्ष यह प्राप्त होती है। इसी प्रकार निपटाये गये दावों और बाद में अपात्र पायी गयी वसूलियों को वसूली/समायोजन के बाद ही हिसाब में लिया जाता है।
- vii) निवेशों पर ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

viii) ऋण गारंटी निधि से संबंधित ऐसे दावे जो सूचित किए गए हैं परन्तु स्वीकार नहीं किए गए हैं, के संबंध में वर्ष के अंत में देयता-प्रावधान पिछली प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण आधार पर किया जाता है।

ix) गारंटी फ्रीस लौटाने के दावों और निपटाए गए दावों के लिए की गई चुकौती को इस प्रकार के लौटाए गए दावों और निगम द्वारा स्वीकृत दावों के रूप में गिना जाता है। इस प्रकार के चुकौती दावों (कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना-1990 के अन्तर्गत आने वाले मामलों सहित) की वर्ष के अंत तक की देयता और निधि के राशि शेष के बीमांकित मूल्यांकन पर इसके प्रभाव वर्ष के अंत तक सुस्थिर नहीं हैं।

x) ऋण गारंटी निधि और निक्षेप बीमा निधि के संबंध में वर्ष के अन्त में निधि शेष के रूप में देयता का बीमांकिक आधार पर मूल्यांकन करके पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

xi) गारंटी शुल्क की वापसी के लिए दावे और निपटाये गये दावों के बदले चुकौतियां निगम द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद हिसाब में ली जाती हैं, ऐसे वापसी दावों के संबंध में वर्ष के अन्त में देयता (कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत आनेवाले मामलों सहित) और वर्ष की समाप्ति के समय निधिशेष के बीमांकिक मूल्यांकन पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं हो पाया है।

xii) भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ संस्थागत व्ययों, यथा लुट्टी, वेतन आदि से संबंधित प्रतिपूर्ति दावों को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3. निवेश

- i) सभी निवेश चालू निवेश हैं और इन्हें स्टाक-इन-ट्रेड में रखा जाता है। उनका मूल्यांकन स्क्रिपवार मूल्य या बाजार भाव, इनमें से जो भी अपेक्षाकृत कम हो, उस पर किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक / राष्ट्रीय शेयर बाजार भाव, जहां जैसा उपलब्ध हो, उसे बाजार दर मान लिया जाता है और जहां हाल के भाव उपलब्ध नहीं हैं, वहां भारतीय रिजर्व बैंक के बैंको/वित्तीय संस्थानों पर लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार परिपक्वता पर आय पद्धति के आधार पर सूचक बाजार भाव पर प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाता है। चूंकि निवेश को हमेशा चालू निवेश के रूप में रखा जाता है, अधिग्रहण मूल्य और प्रतिदान मूल्य के अन्तर का परिशोधन नहीं किया जाता है।

ii) प्रतिभूतियों के लिए मूल्य-हास का प्रावधान तुलन पत्र में निवेशों में कटौती करके नहीं किया जाता, अपितु ऐसा प्रावधान लेखों के विवरण के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुरूप निवेश रिजर्व लेखा में संचयन के रूप में किया जाता है।

iii) जीरो कूपन बांड्स की अधिग्रहण लागत और प्रतिदेय मूल्य में अन्तर को आय माना जाता है तथा उसे बांड की अवधि की समाप्ति पर प्रत्येक वित्त-वर्ष के हिसाब में आनुपातिक रूप से बीमांकन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

iv) प्रतिभूतियों का अन्तर निधि अन्तरण लागत मूल्य पर किया जाता है।

4. अचल आस्तियाँ

i) अचल आस्तियों को लागत में मूल्यहास कम कर के दर्शाया जाता है।

ii) कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरणों के अलावा अचल परिसम्पत्तियों का मूल्य-हास निकालने के लिए निम्नलिखित दरों पर हासमान शेष राशि की विधि का प्रयोग किया जाता है :-

भवन -	5 प्रतिशत
फर्नीचर और जुड़नार-	10 प्रतिशत
कार्यालय उपकरण-	15 प्रतिशत

कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरणों का मूल्यहास 20 प्रतिशत की दर पर स्थिर शेष राशि की विधि से किया जाता है।

iii) परिसम्पत्तियों में होने वाली वृद्धि पर पूरे वर्ष का मूल्यहास निकाला जाता है ओर वर्ष के दौरान बेची/निपटाई गई परिसम्पत्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं दिया जाता।

iv) अधिकारियों की आवास सुसज्जा योजना के अन्तर्गत अधिकारियों को दी गई वस्तुओं का मूल्यहास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विधि से इस योजना के अन्तर्गत ली गई वस्तु के मूल्यानुसार प्रतिवर्ष जून माह से अगले कैलेंडर वर्ष के अंत तक के लिए किया जाता है।

5. लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी)

सरकार के साथ की गयी व्यवस्था के अनुसार लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अन्तर्गत भुगतान किए गए दावों के संबंध में प्रत्याहरण अधिकार के बल पर समय-समय पर प्राप्त वसूलियों को

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 24 के अन्तर्गत उक्त योजना के शेष कार्यों के प्रबंध के लिए संस्थागत लागत खर्च के रूप में सामान्य निधि के आय व्यय लेखा के हिसाब में लिया जाता है।

6. कर्मचारी लागत

वेतन भत्तों, भविष्य निधि और उपदान निधि में योगदान के रूप में कर्मचारियों पर होनेवाले लागत खर्च भारतीय रिजर्व बैंक की व्यवस्था के अनुसार किए जाते हैं चूंकि निगम का संपूर्ण स्टाफ भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर आया है।

7. रिजर्व बैंक से वित्तीय सहायता

भारतीय रिजर्व बैंक से स्टाफ व्यय के प्रति वित्तीय सहायता को प्राप्ति के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है और सामान्य आरक्षित खाते में नामे किया जाता है, अतः वित्तीय सहायता निगम की नियमित रूप से उपार्जित आय की प्रकृति की नहीं है।

8. पूर्वावधि आय/व्यय

- भूल-चूक वश चालू अवधि में पूर्वावधि मदों से संबंधित हर मामले में 25,000/- रुपये से अधिक के आय-व्यय को पूर्वावधि नामे /जमा माना जाता है।
- पूर्वदत्त व्यय तबतक मान्य नहीं होते जबतक कि प्रत्येक मामले में राशि 1000/- रुपये से अधिक नहीं होती।

लेखाओं से संबंधित नोट

- निक्षेप बीमा योजना के मामले में नया कम्प्यूटर प्रोग्राम पूरी तरह सुस्थिर नहीं होने के कारण बीमाकृत बैंकों के सहायक अभिलेखों को अद्यतन किया जाना बाकी है और इसलिए तुलनपत्र में दर्शायी गयी क्रमशः 7327.55 लाख रुपये और 68.60 लाख रुपये की देय/प्राप्य राशि सहायक अभिलेखों से मिलान और आवश्यक समायोजन के अधीन है।
- निक्षेप बीमा निधि से संबंधित अग्रिम कर भुगतान और स्रोत पर कटौती के 9855.13 लाख रुपये की राशि, ऋण गारंटी निधि से संबंधित तदनु रूप 2862.18 लाख रुपये की राशि और सामान्य निधि से संबंधित तदनु रूप 429.77 लाख रुपये की राशि का समायोजन आय कर अधिकारियों ने मूल्यांकन वर्ष 1990-91 से 1995-96 के मूल्यांकन कर के रूप कर दिया है, जो अपील में विवादग्रस्त है जिसके लिए निक्षेप बीमा निधि में 12,081.45 लाख रुपये, और सामान्य निधि में 223.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा

प्रस्तावना

1.1 बैंकों की जमाराशियों का बीमा करने का उद्देश्य बैंक के फेल हो जाने पर, विशेषकर छोटे जमाकर्ताओं को उनकी बचत राशि के डूबने के जोखिम से रक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार के संरक्षण से जनता के मन में विश्वास पैदा होता है, जिससे बैंकिंग सम्बन्धी आदतों का विकास होता है और बैंकिंग प्रणाली के विकास में तथा बैंकों द्वारा संसाधनों का संग्रह करने में योगदान मिलता है, इन संसाधनों का उपयोग राष्ट्रीय प्राथमिकताप्राप्त प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। छठे दशक तथा सातवें दशक के प्रारंभिक वर्षों में कुछ बैंक फेल होने के परिणामस्वरूप निक्षेप बीमा निगम की स्थापना की गई और लोगों के हितों को रक्षा प्रदान करके बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ता जनता का विश्वास पुनः अर्जित करने का प्रयास किया गया।

1.2 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो ऋण गारंटी योजनायें शुरू की गई थीं, वे अब तक अपेक्षा किये गये क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सातवें दशक के पारवर्ती भाग में की गई कार्रवाई की शृंखला के रूप में शुरू की गई थीं। वर्ष 1968 में प्रारंभ किये गये सामाजिक नियंत्रण संबंधी कार्यों और उसके बाद प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि वे ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को अधिकाधिक ऋण प्रदान करें जो संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। एक ओर जहां बैंकों के बीच ऐसे उधारकर्ताओं को अधिक ऋण प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता थी, वहीं दूसरी ओर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी थीं। ये कठिनाइयाँ मुख्यतः ऋण के नये और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में पदार्पण करने की हिचकिचाहट और सरलता से वसूल होनेवाली जमानत को छोड़कर अन्य किसी जमानत पर ऋण देने में विशेषकर आधारभूत स्तर पर, उनकी झिझक के कारण उत्पन्न हुई थीं। इस प्रकार भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड की कल्पना एक ऐसी एजेंसी के रूप में की गई थी जो उस प्रकार के छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के लिए सरल परंतु व्यापक श्रेणी वाली गारंटियों की प्रणाली की व्यवस्था कर सके।

1.3 उपर्युक्त प्रतिरूपी और मिलते-जुलते कार्यों का एकीकरण करने की दृष्टि से जुलाई 1978 में दोनों संगठनों का विलयन किया गया तथा निगम को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का नया नाम दिया गया।

निक्षेप बीमा योजना :

संस्थागत व्याप्ति

2. निक्षेप बीमा योजना 1 जनवरी 1962 से शुरू की गई थी। यह योजना (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी वाणिज्य बैंकों की भारत में प्राप्त जमाराशियों के लिए स्वचालित सुरक्षा प्रदान करती है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के सहकारी बैंकों की जमाराशियों के लिए भी इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है, जिन्होंने अपने स्थानीय सहकारी समिति अधिनियमों में संशोधन करने के लिए समर्थक विधान पारित कर लिये हैं। यदि भौगोलिक क्षेत्र की परिव्याप्ति के अनुसार देखा जाए तो निक्षेप बीमा का लाभ अब संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को प्राप्त हो रहा है, परन्तु इसके अंतर्गत उन राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के केवल 10 सहकारी बैंक नहीं आते जिन्हें अभी आवश्यक विधान पारित करना है।

बीमा सुरक्षा की सीमा

3. इस योजना के अधीन किसी बीमाकृत बैंक का परिसमापन, पुनर्गठन अथवा समामेलन होने की स्थिति में उस बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता संबंधित बैंक की सभी शाखाओं में एक ही हैसियत और अधिकार से उसकी जमाराशियों के लिए 1,00,000/- रुपये की अधिकतम मौद्रिक सीमा तक की अदायगी प्राप्त करने का हकदार है।

बीमा प्रीमियम

4. बैंकों को जो बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है वह प्रति सौ रुपये के लिए 5 पैसे वार्षिक की दर पर छमाही आधार पर अदा की जानेवाली बीमा प्रीमियम के बदले में की जाती है। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रीमियम को वहन करें ताकि जमाकर्ताओं को बीमा-संरक्षण निःशुल्क प्राप्त हो सके। अतिदेय किस्त पर बैंक दर से 8% अधिक की दर से दंडस्वरूप ब्याज की वसूली की जाती है।

बीमा के दावों की अदायगी

5.1 जब किसी बैंक का परिसमापन हो जाता है तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को परिसमापक के माध्यम से 1,00,000/- रुपये तक की जमाराशियों की अदायगी करता है। जब किसी बैंक का दूसरे बैंक में समामेलन कर दिया जाता है और समामेलन की योजना में जमाकर्ता को यह अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी जमाराशियों का पूरा पैसा प्राप्त कर सके, तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को उसकी पूरी जमाराशि तथा समामेलन की योजना के अधीन उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त की

गई राशि के बीच (अथवा 1,00,000/- रुपये में से जो भी कम हो उस तक) के अंतर की अदायगी करता है।

5.2 किसी दावे का निपटान करने के बाद परिसमापक/हस्तांतरिती बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार के अधिकार ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप उसके द्वारा परिसमापन/समामेलन किये जानेवाले बीमाकृत बैंक की आस्तियों में से की गई वसूलियों की अदायगी निगम को करे।

ऋण गारंटी योजनाएं

गारंटी सहायता प्रदान करना

6.1 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड लघु उधारकर्ताओं की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को दिए गये अग्रिमों से संबंधित तीन ऋण गारंटी योजनाओं को चला रहा था और उस उपक्रम के जुलाई 1978 में निक्षेप बीमा निगम को अंतरित किये जाने के फलस्वरूप निक्षेप बीमा निगम ने ऋण गारंटी के उसके कार्यों को भी अपने हाथ में ले लिया। भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो तीन ऋण गारंटी योजनाएं तैयार की गई थीं उन्हें निगम द्वारा जारी रखा गया, जिनका उद्देश्य है कि वित्तीय संस्थाओं को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाये ताकि वे (किसानों सहित) गैर औद्योगिक कार्यकलापों में लगे छोटे उधारकर्ताओं को उनकी आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान कर सके।

6.2 भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित और तैयार की गई ऋण गारंटी योजना (भारतीय रिजर्व बैंक) जुलाई 1960 से चल रही है। सरकार द्वारा 1979 में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय किया गया था कि सभी ऋण गारंटी योजनाओं को एक ही संगठन के अधीन एकीकृत किया जाए। तदनुसार मार्च 1981 में इस योजना को भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया और उसके बदले में 1 अप्रैल 1981 से एक ऐसी योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिम आते हैं। निगम को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि वह रद्द की गई योजना के फलस्वरूप और उसके अधीन रद्द किये जाने की तारीख तक प्रोद्भूत होनेवाली देनदारियों की अदायगी सरकार के एजेंट के रूप में करे। निगम लघु उद्योग से संबंधित ऋण गारंटी कार्यों का एकीकरण किये जाने से ऋण की भारी मात्रा के लिए गारंटी सहायता प्रदान करता आ रहा है।

6.3 विशेषज्ञ समिति, 1987 की सिफारिशों के अनुसार ऋण गारंटी योजनाओं की सीमा को 1 अप्रैल 1989 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को गारंटी रक्षा के लिए लागू किया गया। परन्तु कुछ ऋण संस्थाओं के अनुरोध पर निगम ने केन्द्र/राज्य सरकारों, निर्यात ऋण गारंटी निगम आदि द्वारा गारंटीकृत

अग्रिमों की कुछ श्रेणियों को गारंटी शुल्क की अदायगी की दृष्टि से सम्पूर्ण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों से अलग रखने की अनुमति दी है। परिणामस्वरूप इन अग्रिमों के मामले में निगम की गारंटी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

उद्देश्य, विवरण और व्याप्ति

7.1 मार्च 1992 के अंत तक निगम की विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएँ इस प्रकार थीं :

- (i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971
- (ii) लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971
- (iii) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971
- (iv) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981
- (v) लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982
- (vi) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

7.2 योजना संख्या (ii), (iii) और (v) को 1 अप्रैल 1992 से समाप्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप निगम द्वारा निम्नलिखित तीन योजनाएँ परिचालित की जाती हैं :

क) लघु ऋण गारंटी योजना 1971, 1 अप्रैल 1971 से लागू की गयी। इस योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के अतिरिक्त प्राथमिकता क्षेत्र को रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार स्वीकृत अग्रिम शामिल हैं। इनमें कृषकों और खेतिहरों, लघु सड़क और जलपरिवहन चालकों, फुटकर व्यापारियों, लघु व्यावसायिक उपक्रमों, व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण सुविधाएँ तथा शिक्षा, आवास और उपभोग ऋण आते हैं।

ख) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 पहली अप्रैल 1981 से शुरू की गई और उसके अंतर्गत अचल आस्तियों अथवा उपकरण के अर्जन या मरम्मत या उन्हें बदलने तथा उत्पादों की पैदावार और विपणन के लिए कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के निमित्त लघु उद्योग यूनिटों को वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और राज्य विकास एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधाएँ आती हैं।

ग) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 के अंतर्गत वे ऋण सुविधाएँ शामिल हैं जो पात्र प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र परिभाषा के अंतर्गत स्वीकृत की गयी हैं। इनमें कृषि की सहायक गतिविधियाँ, सड़क और जल परिवहन चालक, फुटकर व्यापारी, छोटे व्यावसायिक उपक्रम, व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति और शिक्षा, आवास और उपभोग

ऋण शामिल है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (जीजी) की परिभाषा के अनुसार सभी पात्र लाइसेंस प्राप्त (शहरी) सहकारी बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पात्रता प्राप्त के रूप में अनुशंसित पात्र गैर-लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक योजना की सहभागिता के लिए पात्र हैं।

विभिन्न योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं को संलग्नक में सारणीबद्ध किया गया है।

गारंटी शुल्क

8. ऋण संस्थाओं द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (कुछ विशिष्ट श्रेणियों को छोड़कर) के अधीन बकाया जमा राशियों पर निर्धारित दरों पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी करने पर ही गारंटी रक्षा प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के मामले में गारंटी शुल्क 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में उनके शामिल होने की तारीख से पहले पांच वर्ष तक सामान्य दर से आधा (अर्थात् 1.25 प्रतिशत वार्षिक) गारंटी शुल्क अदा करने के लिए अनुमति दी गई है। अन्य दो योजनाओं अर्थात् लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 और लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के मामले में गारंटी शुल्क की दर 1.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। गारंटी को बनाये रखने के उद्देश्य से वार्षिक आधार पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी नियमित रूप से की जानी चाहिए। अतिदेय गारंटी शुल्क पर बैंक दर से 8 प्रतिशत अधिक की दर से दंडस्वरूप ब्याज की वसूली की जाती है।

गारंटी सुरक्षा - प्रमुख विशेषताएं

क) स्वचालित सामूहिक सुरक्षा

9.1 निगम की गारंटी योजनाओं में भाग लेना ऐच्छिक है और गारंटी-सुरक्षा केवल उन्हीं संस्थाओं को उपलब्ध है जो निगम के साथ आवश्यक करार करके इन योजनाओं में शामिल हैं तथा निर्धारित दरों पर नियमित रूप से गारंटी शुल्क अदा करती हैं। ये योजनायें स्वचालित सामूहिक सुरक्षा के आधार पर चलाई जाती हैं और इसके अंतर्गत सभी पात्र अग्रिम स्वतः ठीक उसी तारीख से सुरक्षित हो जाते हैं जिस तारीख को उनका पहली बार संवितरण किया जाता है और उनके अंतर्गत प्रदान की गई प्रत्येक ऋण सुविधा की सुरक्षा के लिए ऋण संस्थाओं को पूर्व-आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः सहभागी ऋण संस्थाएं गारंटी सुरक्षा की परिधि से किसी भी पात्र ऋण सुविधा को अलग करने के लिए मुक्त नहीं हैं।

ख) लाभ प्राथमिकताप्राप्त उधारकर्ताओं तक ही सीमित

9.2 गारंटी योजनाओं का प्रयोजन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में ऐसे

छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है जिनके लिए इस प्रकार की सहायता के बिना संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए की इन योजनाओं के लाभ अधिक समृद्ध व्यक्तियों तक ही केन्द्रित न हो जाएँ, गारंटी योजनाओं के लिए कई शर्तें निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं :- फुटकर व्यापारियों के मामले में ऋण राशि सीमा, कारोबारी उद्यमों के मामले में उपकरणों का मूल्य तथा लघु उद्योग के यूनितों के मामले में संयंत्र और मशीनों का मूल्य। इसके अलावा निगम की दावा संबंधी देयता की संपूर्ण सीमाओं को भी निर्धारित किया गया है।

गारंटी को लागू करना

10. निगम ने 1 अप्रैल 1995 से गारंटी लागू करने की शर्तों में संशोधन किया है। शर्तें इस प्रकार हैं :

(i) सहभागी ऋण संस्था को सक्षम अधिकारी के आदेश से संस्था की लेखा बहियों में खाते में बकाया राशि बट्टे खाते डालने के बाद ही दावा दायर करना चाहिए।

(ii) निगम की गारंटी ऋण संस्था द्वारा स्वीकृत केवल मूलधन को ही सुरक्षा प्रदान करेगी और नकदी ऋण/ओवर ड्रफ्ट अन्य चक्रीय ऋण सुविधाओं के मामले में प्रत्येक प्रकार की ऋण सुविधा के अंतर्गत स्वीकृत नियमित सीमा तक की बकाया राशि को सुरक्षा प्रदान करेगी।

(iii) ऐसे खाते के मामले में ऋण संस्थाओं के कोई दावे नहीं स्वीकार किये जायेंगे जहाँ किसी खाते में उधारकर्ता से प्राप्त वसूली की राशि बट्टे खाते डालने की तारीख को खाते में कुल नामे की राशि के 25 प्रतिशत से कम है, सिर्फ निम्नलिखित अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर :

(क) यदि उधारकर्ता की मृत्यु हो चुकी है;

(ख) यदि क्षेत्र किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गया है;

(ग) किसी क्षेत्र विशेष या उधारकर्ताओं के वर्ग विशेष के संदर्भ में निगम के ध्यान में लाई गई सामान्यतः परिस्थितियों का ऐसा आधार जो अपवाद माने जाने का पात्र हो।

(iv) ऋण संस्था की खाता-बहियों में राशि को बट्टे खाते डालने की तारीख के बाद एक वर्ष के अंदर दावे निगम में प्रस्तुत किए जाएँ।

(v) ऐसे सभी दावे जो पहली अप्रैल 1995 को या इसके पश्चात् देय थे, इनके संदर्भ में दावे प्रस्तुत करने के लिए 3 वर्ष की अवरुद्धता अवधि के अनुपालन की शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

पात्र क्रियाकलापों के विभिन्न वर्गों के संबंध में योजनाओं में निर्धारित परिशुद्ध सीमाओं की शर्तों के अनुसार निगम द्वारा मूलधन का 50 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाता है। छोटे उधारकर्ताओं को निगम द्वारा सापेक्षिक रूप से उच्चतर सुरक्षा प्रदान की जाती है। दावों का भुगतान कर देने के पश्चात् दावा दायर करने वाली संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कर्ज दी गई राशि को वसूल करने के लिए कारगर उपाय करना जारी रखें और प्राप्त वसूली में से वसूली खर्च काट कर राशि

प्रत्याहरण अधिकार के तहत निगम के हिस्से की राशि लौटा दें। ऋण संस्थाओं को 22 फरवरी 1994 से यह शक्ति दे दी गई है कि वे जमानत/जामिन में परिवर्तन/निर्मुक्ति, कानूनी कार्रवाई में छूट, समझौते और वसूली योग्य राशि में कमी करने तथा बट्टे खाते डालने जैसे मामलों में निर्णय ले सकती हैं और उन्हें निगम से पूर्वानुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। तथापि संबंधित संस्था के कर्मचारियों की जिम्मेदारी, धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन इत्यादि से संबंधित प्रस्ताव निगम के पूर्वानुमोदनार्थ भेजे जाने चाहिए। किसी उधारकर्ता के संबंध में गारंटी का अवलंब लेने और दावे का भुगतान हो जाने के पश्चात् उसी उधारकर्ता को दिए गए किसी अन्य ऋण के लिए निगम द्वारा गारंटी सुरक्षा तबतक नहीं दी जाएगी जबतक कि पहले ही निपटाए गये दावे के फलस्वरूप निगम को देय राशि की चुकौती न कर दी गई हो।

संलग्नक
ऋण गारंटी योजनाएं - प्रमुख विशेषताएं

योजनाएँ	सहभागी पात्र संस्थाएं	उधारकर्ताओं की श्रेणी	गारंटी शुल्क	गारंटी सुरक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) छोटे उधारकर्ता				
i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)	i) परिवहन चालक	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 2.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 1.25 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक)	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रुपये में से जो कम हो
		ii) फुटकर व्यापारी	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25,000 रुपये में से जो कम हो
		iii) व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये में से जो कम हो
		iv) कृषकों तथा कृषिकारोंको प्रत्यक्ष वित्त		
		1) फसल उगाना	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपये में से जो कम हो
		2) विकास कार्यों के लिए	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 20,000 रुपये में से जो कम हो
		3) विशेष परिस्थितियों के अधीन फसल ऋणों के अधिकतम तीन परिवर्तनों के लिए	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 30,000 रुपये (अर्थात् 3 x 10,000 रुपये) में से जो कम हो
		4) संबद्ध कार्यकलापों के लिए		
		i) मछलीपालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 37,500 रुपये में से जो कम हो
		ii) रेशमउत्पादन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 18,750 रुपये में से जो कम हो
		iii) पशुपालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो
		iv) मुर्गीपालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 22,500 रुपये में से जो कम हो
		v) डेरी उद्योग	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो
(एक से अधिक कार्यकलाप के लिए उच्चतम सीमा रु. 60,000/- है।)				
<p>§ दिनांक 1.4.1995 से निगम द्वारा दी जानेवाली गारंटी में ऋण संस्था द्वारा स्वीकृत राशि में केवल मूलधन को और नकद क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट तथा अन्य परिभ्रमणशील क्रेडिट सुविधाओं के मामले में प्रत्येक प्रकार की क्रेडिट सुविधा के तहत स्वीकृत नियमित सीमा तक बकाया धनराशि को ही शामिल किया जाएगा।</p>				

(जारी)

अनुबंध (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
v)	कृषि उद्योग के लिए अप्रत्यक्ष वित्त (शीतगार के निर्माण तथा संचालन और सीमा शुल्क सेवा इकाइयों, जो लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 में अंतर्भूत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार हैं) को छोड़कर	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 2.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 1.25 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक)		चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था जो कम हो
vi)	शैक्षणिक पात्र ऋण संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ की गई विशेष योजनाओं के अंतर्गत व्यक्तियों को शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए दी गई ऋण सुविधार्ण ।	वही		चूक की राशि का 50 प्रतिशत
vii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य प्रायोजित संगठन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य प्रायोजित संगठनों को खरीद के विशिष्ट प्रयोजनों और निविष्ट वस्तुओं के समर्थन और/या इन संगठनों के हिताधिकारियों के उत्पादों के विपणन के लिए अग्रिम ।	वही		चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो उस तक (प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था)
*viii)	आवास के लिए अप्रत्यक्ष वित्त			
क)	उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपये तक के ऋण	वही		चूक की राशि का 50 प्रतिशत
ख)	उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों को क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए 25,000 रुपये तक के ऋण ।	वही		वही
*ix)	आवास के लिए अप्रत्यक्ष वित्त			
i)	केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और निम्न आय वर्गों के लाभ के लिए आवास निर्माण हेतु किसी सरकारी एजेन्सी को दी गयी सहायता, जहाँ ऋण घटक प्रति आवास इकाई 2 लाख रुपये से कम हो ।	वही		चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा रु. 60,000/- में से जो भी कम हो (प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था)
ii)	गंदी बस्ती निर्मूलन और गंदी बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए किसी सरकारी एजेन्सी को सहायता जहाँ ऋण घटक प्रति इकाई 2 लाख रुपये से कम हो ।	वही		वही
x)	उपभोग उपभोग ऋण योजना के अधीन दिये गये शुद्ध उपभोग ऋण	वही		चूक की राशि का 50 प्रतिशत

* गारंटी सुरक्षा और निगम को देय गारंटी फीस का आकलन करने के प्रयोजनार्थ 1.4.1995 से सभी आवास-निर्माण ऋणों को अलग कर दिया गया है ।

(जारी)

अनुबंध (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ii)	लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक	i) परिवहन चालक	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाए।	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रुपये में से जो कम हो
			ii) फुटकर व्यापारी	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25,000 रुपये में से जो कम हो
			iii) व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति तथा कारोबारी उद्यम	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये में से जो कम हो
			iv) शैक्षणिक ऋण	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत
			v) 500 रुपये तक व्यक्तिगत उपभोग ऋण	वही	वही
			vi) निम्नलिखित के लिए आवास ऋण रुपये 25,000 से अधिक नहीं		
			क) व्यक्तिगत	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत
			ख) सरकारी एजेन्सी	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो उस तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था
			vii) कृषि से संबद्ध कार्यकलाप		
			i) मछलीपालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 37,500 रुपये में से जो कम हो
			ii) रेशमउत्पादन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 18,750 रुपये में से जो कम हो
			iii) पशुपालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो
			iv) मुर्गीपालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 22,500 रुपये में से जो कम हो
			v) डेरी उद्योग	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो
			vi) बैलगाड़ियों, ऊँटगाड़ियों, भारवाही जानवरों आदि की खरीद	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपये में से जो कम हो

(एक से अधिक कार्यकलाप के लिए उच्चतम सीमा रु. 60,000/- है।)

* गारंटी सुरक्षा और निगम को देय गारंटी फीस का आकलन करने के प्रयोजनार्थ 1.4.1995 से सभी आवास-निर्माण ऋणों को अलग कर दिया गया है।

(जारी)

अनुबंध (जारी)


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ख) लघु उद्योग				
iii) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	वाणिज्य (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), सहकारी बैंक, राज्य वित्त निगम और राज्य विकास एजेंसियाँ	i) लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकाइयों सहित) जिन्हें समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता घटक 2 लाख रुपये से कम ऋण सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। ii) सीमा रहित ऋण सुविधाओं वाले पिछड़े क्षेत्रों में लघु औद्योगिक इकाइयाँ iii) 2.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण सुविधाओं वाली पिछड़े क्षेत्र के अलावा अन्य में स्थित लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकाइयों सहित)	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाए।	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये (अलग से या बराबर विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यशील पूंजी के लिए 10 लाख रुपये) में से जो कम हो
			वही	वही
		लघु उद्योग क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त		
		i) कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की निवेश वस्तुओं की आपूर्ति और उत्पादन के विपणन में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की सहायता में लगी एजेंसियाँ।	वही	(क) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये से कम की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में जो कम हो। (ख) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये से कम की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में जो कम हो।
		ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्गों को निधि प्रदान करनेवाले सरकार द्वारा प्रायोजित निगम/संगठन (बशर्ते कि उन्हें सरकार या किसी अन्य की गारंटी रक्षा प्राप्त न हो।)	वही	वही
		iii) शीतगार के निर्माण और उनको चलाने के लिए ऋण	वही	(ऊपर बताये अनुसार) चूक की राशि का 50 प्रतिशत या 20 लाख रुपये (कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋणों प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये) जो भी कम हो।
		iv) ट्रैक्टरों, बुलडोजरों, कुआँ खोदने के उपकरणों, श्रेशर्स, कंबाइन आदि के बड़े का रखरखाव करनेवाले और ठेके पर किसानों का कार्य करनेवाले व्यक्तिगत संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रबंध की गयी ग्राहक सेवा इकाइयों को अग्रिम।	वही	वही
		v) औद्योगिक संपदा औद्योगिक संपदा की स्थापना के लिए ऋण	वही	वही

बीमाकृत खातों की संख्या
(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)

NUMBER OF INSURED ACCOUNTS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)

तालिका CHART - I

संख्या लाखों में
NUMBER IN LAKHS




बीमाकृत जमा राशियाँ
(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)

AMOUNT OF INSURED DEPOSITS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)

तालिका CHART - II

करोड़ रुपये
CRORES OF RUPEES





बीमाकृत बैंकों की जमा राशियों
को बीमा सुरक्षा की सीमा
(जून 1996 के अंतिम शुक्रवार को)

EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO
DEPOSITS TO INSURED BANKS
(LAST FRIDAY OF JUNE 1996)

खातों की कुल संख्या 4,351.26 लाख
TOTAL NUMBER OF ACCOUNTS
4,351.26 LAKHS

निर्धारणीय जमा राशियों की कुल रकम 4,50,674.17 करोड़ रुपये
TOTAL AMOUNT OF ASSESSABLE DEPOSITS
Rs. 4,50,674.17 CRORES


अंशतः संरक्षित खाते (1.8%) PARTIALLY PROTECTED ACCOUNTS



छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि
(करोड़ रुपये)

GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CREDIT
GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS
(CRORES OF RUPEES)

तालिका CHART - IV




जून के अंत तक
(END OF JUNE)

* मार्च के अंत तक
END OF MARCH

छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्र-वार विश्लेषण
(मार्च 1996 के अंत की स्थिति)

SECTOR-WISE ANALYSIS OF GUARANTEED ADVANCES
IN RESPECT OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS
(AS AT THE END OF MARCH 1996)

तालिका CHART - V




छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान


RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

संख्या
NUMBERS
70,00,000

तालिका CHART-XXI




तालिका CHART-XXII




लघु उद्योगों से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजना के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि
 (करोड़ रुपये)
 GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE
 SCHEME RELATING TO SMALL SCALE INDUSTRIES
 (RUPEES IN CRORES)

तालिका CHART- VIII



लघु उद्योगों के लिए निगम की ऋण गारंटी योजना के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान
 RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF
 CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES

(करोड़ रुपये)
 CRORES OF RUPEES



DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Established by an Act of Parliament)

**Head Office : 6th Floor, New India Centre,
17, Cooperage Road, Mumbai 400 039**

**35th Annual Report of the Board of Directors,
Balance Sheets and Accounts
for the year ended
31 March 1997**

CONTENTS

	Page No.
1. Letters of Transmittal	iii & iv
2. Board of Directors	v
3. Organisation Chart	vi
4. Offices of the Corporation	vii
5. Principal Officers of the Corporation	viii
6. Corporate Profile	ix
7. Highlights – Progress at a glance	x
8. Directors' Report	1
9. Annexures to the Directors' Report	8
10. Balance Sheets & Accounts	34
11. An Outline of Functions & Activities	43

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Reserve Bank of India)

**DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION**

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Mumbai 400 039.

DICGC/18/06.02.15/97-98

30 June 1997
9 Aashadha 1919 (Saka)

The Chief General Manager and Secretary,
Reserve Bank of India,
Secretary's Department,
Central Office,
Central Office Building,
Mumbai 400 001.

Dear Sir,

Balance Sheets and Annual Report for the year 1996-97

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of :

- i) the audited Balance Sheets and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1997 together with a signed copy of the Auditors' Report and
- ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1997.

Yours faithfully,

Sd/-

(D.S.R. Simhudu)
Chief General Manager

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Government of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Mumbai 400 039.

DICGC/19/06.02.16/97-98

30 June 1997
9 Aashadha 1919 (Saka)

The Secretary to the Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Banking Division)
Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi 110 001

Dear Sir,

Balance Sheets and Annual Report for the year 1996-97

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of :

- i) the audited Balance Sheets and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1997 together with a signed copy of the Auditors' Report and
 - ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1997.
2. Copies of the above Balance Sheets and Annual Report have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies thereof are also sent herewith.
 3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (viz. the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act *ibid.*

Yours faithfully,

Sd/-

(D.S.R. Simhudu)
Chief General Manager

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

R.V. GUPTA

Deputy Governor, Reserve Bank of India, Mumbai

DIRECTORS

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

S. GURUMURTHY

Executive Director, Reserve Bank of India, Mumbai

Nominated by the Central Government under Section 6(1)(c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

B.B. VYAS (from 4 February 1997)

Deputy Secretary, Department of Economic Affairs (Banking Division), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

Nominated under Section 6(1)(d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

S.H. KHAN

Chairman & Managing Director, Industrial Development Bank of India, Mumbai

N.P. SARDA

Chartered Accountant, Mumbai

P.W. REGE

Ex-Chairman, Saraswat Co-operative Bank Ltd., Mumbai

Nominated under Section 6(1)(e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

GANGADHAR GADGIL

Economist, Mumbai


P.N. JOSHI

Chairman, United Western Bank Ltd., Satara, Maharashtra

RASHID JILANI

Chairman & Managing Director, Punjab National Bank, New Delhi

ORGANISATION CHART



OFFICES OF THE CORPORATION

Fax No. 022-2874168

		Tel. Nos.	Telegram
HEAD OFFICE	New India Centre, 4th, 5th, 6th & 7th Floors, 17, Cooperage Road, Post Box No. 1076, Mumbai 400 039.	202 0299	CREDITGARD
	Chief General Manager	202 7323 (D)	
	(i) General Manager	204 4876 (D)	
	(ii) General Manager	202 2408 (D)	
	(iii) General Manager	287 4281 (D)	
	(i) Dy. General Manager	287 4291 (D)	
	(ii) Dy. General Manager	287 4362 (D)	
 BRANCHES			
1) NAGPUR	Reserve Bank of India Additional Office Building Near High Court Nagpur 440 001	521406 (D) 532321 532357	CREDITGARD
2) CALCUTTA	4th floor Reserve Bank of India Building 15, N S Road Calcutta 700 001	2481154 (D) 2486019	DISINGUAR
3) CHENNAI	Kuralagam Building 3rd floor Esplanade Post Box No.5021 Chennai 600 108	5341524 (D) 5340239	CREDITGARD
4) NEW DELHI	Reserve Bank of India Building 6, Sansad Marg Post Box No.123 New Delhi 110 001	3716487 (D) 3710538 to 42	DEPOSITINS

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

CHIEF GENERAL MANAGER

K.L. Khetarpaul (from 16 January 1996 to 5 July 1996)
D.S.R. Simhudu (from 8 July 1996)

GENERAL MANAGERS

D.N. Prasad
S.G. Sargaonkar
J.P. Sharma

DEPUTY GENERAL MANAGERS

K. Prasad
G.K. Joshi
L. N. Ramaswamy

MANAGER & SECRETARY

Smt. S.S. Shenoy

DEPUTY GENERAL MANAGERS-IN-CHARGE : BRANCHES

NAGPUR

V.C. Kotian

CHENNAI

A.S. Govardhan

CALCUTTA

S.V. Kulkarni

NEW DELHI

Kum. Gulshan Madan

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA

AUDITORS

M/s Habib & Co.
Chartered Accountants
Mumbai 400 003

CORPORATE PROFILE

OBJECTS & PURPOSE

The Deposit Insurance Corporation was established by an Act of Parliament on 1 January 1962. With effect from 15 July 1978, it took over the undertaking of the Credit Guarantee Corporation of India Limited, a public limited company promoted by Reserve Bank of India on 14 January 1971 with a view to integrating the twin and cognate functions of giving insurance protection to small depositors in banks and providing guarantee cover to credit facilities extended to certain categories of small borrowers particularly those belonging to the weaker sections of the society. With the integration of the two organisations, the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. From 1 April 1981, it extended its guarantee support to credit granted to small scale industries also, after cancellation of Government of India's scheme in that behalf.

The Corporation's twin objectives are to provide for the benefit of depositors in banks, insurance against the loss of all or part of their deposits in all branches of a bank to a maximum of Rs 1,00,000 and to provide guarantee support to credit extended by participating institutions viz., commercial banks (including regional rural banks), co-operative banks, state financial corporations and other term lending institutions. Till 31 March 1989, the guarantee support covered certain categories of small borrowers and small scale industries. Effective from 1 April 1989, guarantee cover is extended to entire priority sector (as per Reserve Bank's definition)

advances. Since 1990-91, certain categories of priority sector advances which are guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc., have been excluded from guarantee cover.

The Corporation maintains two separate funds viz., Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund. They are funded by the premia and guarantee fees received and are utilised exclusively for meeting the respective claims. Besides, one more Fund called General Fund, is maintained in which the capital of the Corporation is held and the staff establishment and administrative expenses are met from the investment income out of this Fund. The Corporation was granted exemption from payment of income tax till 31 December 1986.

The authorised capital of the Corporation is Rs 50 crore which is entirely issued and subscribed by Reserve Bank of India.

The management of the Corporation vests in a Board of Directors of which a Deputy Governor, Reserve Bank of India, is the Chairman. The Board is advised by a Claims Committee and an Investment Committee headed by the Reserve Bank's Nominee Director on the Board of the Corporation. The Chief General Manager is the Chief Executive of the Corporation.

The Head Office of the Corporation is at Mumbai. It has four branches at Calcutta, Chennai, Nagpur and New Delhi. The Corporation has no subsidiaries or affiliates.

HIGHLIGHTS — PROGRESS AT A GLANCE

(Amount in crores of Rupees)

At year-end	1962	1972	1982	1984	1987	1988-89	1990-91	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1. CAPITAL	1	1.5	15	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2. DEPOSIT INSURANCE												
i) Deposit Insurance Fund	1	25	154	219	@	@	@	@	@	@	@	@
ii) Insured Banks	276	476	1683	1805	1898	1903	1922	1931	1990	2025	2122	2296
iii) Assessable Deposits	1895	7458	42360	61880	103044	126864	156892	244375	249034	364058	392072	450674
iv) Insured Deposits	448	4656	31774	46340	75511	90192	109316	164527	168405	266747	295575	337671
v) Accounts (in lakh)	77	341	1598	2026	2569	2781	3089	3543	3529	4994	4868	4351
vi) Fully Protected Accounts (in lakh)	60	328	1581	2000	2518	2705	2983	3395	3497	4956	4819	4273
vii) Claims paid	—	1	3	3	44	69	131	178	179	181	190	194
3. CREDIT GUARANTEE												
i) Credit Guarantee Fund	—	—	89	118	@	@	@	@	@	@	@	@
ii) Guaranteed Advances												
a) Small Borrowers	—	208	4840	7104	11116	14291	27692	24444	26348	25484	18910	17261
b) Small Scale Industries	—	—	3822	4891	7738	10465	16826	19162	15503	14177	13847	11271
iii) Claims Received (for the year)												
a) Small Borrowers	—	—	25	62	255	364	505	883	1168	1348	1841	1842
b) Small Scale Industries	—	—	30	71	149	241	247	260	323	379	524	270
iv) Claims Disposed of (for the year)												
a) Small Borrowers	—	—	15	32	225	281	427	566	1026	1100	1031	403
b) Small Scale Industries	—	—	27	47	122	177	260	243	288	409	308	291

@ In view of the amendments to the forms of Balance Sheet and Revenue Account on account of actuarial valuation of the Corporation's liabilities since 1987, the Credit Guarantee Fund disclosed deficit every year thereafter except for the year 1989-90. The deficit/surplus in the Fund was adjusted against surplus in the Deposit Insurance Fund in the respective years. During 1996-97, the deficit in the Credit Guarantee Fund was Rs 1686.96 crore. As on 31 March 1997, a net sum of Rs 1913.92 crore was due to Deposit Insurance Fund from Credit Guarantee Fund leaving an unadjusted amount of Rs 1311.95 crore in Credit Guarantee Fund Account.

REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 1997

In terms of Section 32(1) of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors presents herewith the 35th Annual Report of the Corporation for the year ended 31st March 1997.

Operations of the Corporation – An Overview

1.1 It was mentioned in the Annual Report for the year 1995-96 that with effect from 1st April 1995 certain changes were made in the operation of all the three Credit Guarantee Schemes consequent on the acceptance of the report of the Committee under the Chairmanship of Shri B Rai.

A large number of banks opted out of the schemes from 1st April 1995. Such banks were advised to lodge their claims in respect of advances treated bad/doubtful of recovery on or before 31st March 1995, latest by 31st March 1997.

1.2 The ceiling amount of insurance cover for deposits with an insured bank, viz., of Rs 1,00,000 per depositor per bank in the same right and capacity and the insurance premium @ 5 paise per Rs 100 per annum, have remained unchanged during the year. The total number of insured banks during the period ended 31st March 1997 rose to 2,296 from 2,122 as at the year ended 31st March 1996. Further, the percentage of fully protected deposit accounts numbering 4,273 lakh constituted 98.20 per cent of total deposit accounts. The insured deposits at Rs 3,37,671.00 crore represented 74.92 per cent of the total assessable deposits of Rs 4,50,674.17 crore. The insurance premium received during the year amounted to Rs 253.67 crore as against Rs 226.43 crore received during the previous year. During the year, the Corporation settled the claims received from three co-operative banks for an aggregate amount of Rs 3.91 crore and made provision of Rs 45.27 crore towards contingent liability of claims in respect of eight banks. The aggregate amount of claims paid and provided for in respect of 25 commercial banks and 32 co-operative banks stood at Rs 193.56 crore and repayment received out of the

recoveries etc., amounted to Rs 64.10 crore upto the end of the year which constituted 33.11 per cent of the total claims paid.

1.3 With a view to mitigating the hardships of depositors of the Bank of Karad Ltd. (BOK) (in liquidation) the Corporation had made an 'on account' payment of Rs 37.00 crore for meeting the claims of its depositors. As per the agreed settlement awarded by the High Court of Mumbai, the Liquidator, after the receipt of the sum from Bank of India (which has taken over certain specified assets of BOK) and from the recoveries effected, was to pay to the Corporation the sum so recovered by it. The Liquidator has so far refunded an amount of Rs 36.25 crore. The Corporation is following up for the recovery of the balance amount of Rs 0.75 crore with the Liquidator.

1.4 The guaranteed advances for the year under the Corporation's three Credit Guarantee Schemes in operation aggregated Rs 28,532.32 crore as at the end of March 1996 showing a fall of 12.89 per cent over the previous year. While the guaranteed advances to small borrowers under the Schemes for non-industrial sector decreased by 8.71 per cent, the guaranteed advances to small scale industrial sector decreased by 18.60 per cent as compared to the previous year. The claims received by the Corporation under the three Schemes decreased by 5.26 per cent number-wise and 10.69 per cent amount-wise. The claims settled by the Corporation decreased by 61.45 per cent number-wise and 48.15 per cent amount-wise. The claims disposal rate per month was at 1,17,730 this year as against 3,05,421 during the previous year. The decline in disposal of claims was solely due to non-compliance with the various stipulations such as submission of 'master list,' certification regarding adequate provisions, passing on recoveries from claim paid accounts due to the Corporation etc. The details regarding number and amount of claims received and settled during the year under report and the previous year are furnished below :

(Amounts in crores of Rupees)

	During 1995-96		During 1996-97		Percentage Increase (+) Decrease (-)	
	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
I. Claims received :						
i) Small Borrowers	62,64,590	1841.06	59,97,049	1842.05	(-) 4.27	(+) 0.05
ii) SSIs	1,91,034	524.17	1,18,423	270.32	(-) 38.00	(-) 48.42
Total	64,55,624	2365.23	61,15,472	2112.37	(-) 5.26	(-) 10.69
II. Claims settled :						
i) Small Borrowers	35,09,601	1031.42	13,11,663	402.89	(-) 62.62	(-) 60.93
ii) SSIs	1,55,448	308.01	1,01,098	291.49	(-) 34.96	(-) 5.36
Total	36,65,049	1339.43	14,12,761	694.38	(-) 61.45	(-) 48.15

1.5 The amount of guarantee fee received and the amount of guarantee claims received as also claims

paid during the period 1989-90 to 1996-97 together with the corresponding gaps are as under :

(Amount in crores of Rupees)

Year	Guarantee fee receipts	Guarantee claims receipts	Claims paid	Gap (2) - (3)	Gap (2) - (4)
1	2	3	4	5	6
1989-90	593.83	548.33	508.54	(+) 45.50	(+) 85.29
1990-91	524.72	748.76	547.16	(-) 224.04	(-) 22.44
1991-92	565.88	627.23	462.29	(-) 61.35	(+) 103.59
1992-93	702.78 *	1143.27	633.55	(-) 440.49	(+) 69.23
1993-94	846.09	1490.76	889.99	(-) 644.67	(-) 43.90
1994-95	829.13	1726.82	1179.01	(-) 897.69	(-) 349.88
1995-96	704.64	2365.23	1042.27	(-) 1660.59	(-) 337.63
1996-97	564.02	2112.37	378.64	(-) 1548.35	(+) 185.38

* Includes the ploughed back provisions in respect of earlier years.

1.6 During the year 1989-90 there was considerable increase in receipt of guarantee fee on account of enhancement in the rate of guarantee fee with effect from 1st April 1989. The amount of claims received during that year had declined as compared to the previous year. Since the guarantee fee receipt fell short of claims receipts consecutively for three years, the financial viability of the three Credit Guarantee Schemes was examined keeping in view the gaps between the guarantee fee and claims received and also guarantee fee and claims paid. It was observed that guarantee fee received for the years 1991-92 and 1992-93 was more than the claims paid. This was mainly due to low disposal rate which resulted in increase in pending claims. The ostensible surplus position which has resulted in 1996-97 was mainly due to non-payment of claims pending certain procedural compliance. With a view to making the schemes financially viable, guarantee fee for the Small Loans Guarantee Scheme, 1971, was raised to 2.5 per cent per annum with effect from 1st April 1993. In spite of this hike, the gap between the guarantee fee receipt and claims receipt has been rising. The sudden spurt in receipt of claims during the years 1995-96 and 1996-97 is due to opting out of large number of banks. The scheme-wise position for the year 1996-97 is given below :

Scheme	(Rupees crore)		
	Guarantee claims receipt	Guarantee fee receipt	Gap
i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971	1842.05	396.43	(-) 1445.62
ii) Small Loans (Co-op. Banks) Guarantee Scheme, 1984	-	0.01	(+) 0.01
iii) Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981	270.32	167.58	(-) 102.74
Total	2112.37	564.02	(-) 1548.35

The scheme-wise details of guarantee fee received since 1981 are given in Annexure XIII.

DEPOSIT INSURANCE FUNCTION

2.1 During the year, seven commercial banks and 169 co-operative banks were registered as insured banks and, one co-operative bank and one commercial bank were deregistered. (Details are furnished in Annexure II-A). Thus, the total number of banks insured with the Corporation under the Deposit Insurance Scheme rose from 2,122 as on 31st March 1996 to 2,296 as on 31st March 1997 as stated earlier in Para 1.2 above. Year-wise and category-wise statements showing the number of banks registered by the Corporation since its inception in 1962 are furnished in Annexure I & I-A.

2.2 The Deposit Insurance Scheme, at present, covers all commercial banks including regional rural banks and co-operative banks in 21 States and two Union Territories (Annexure II). The matter regarding extension of the Scheme to co-operative banks in remaining five States viz., Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Sikkim and three Union Territories viz., Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh and Lakshadweep is pending with the concerned Governments for carrying out the necessary amendments to their respective Co-operative Societies Act. Co-operative banks can be covered under the Scheme only if model bye-laws are made applicable to them by respective State Governments.

2.3 The number of accounts and amount of deposits insured with the Corporation as also the extent of

protection afforded to depositors at the end of June 1995 and June 1996 were as under :

Particulars	(Rupees crore)	
	June	
	1995	1996
1. Total No. of accounts (lakh)	4,868	4,351
2. Fully protected accounts (lakh)	4,819	4,273
3. Percentage of 2 to 1	99.0	98.2
4. Assessable deposits	3,92,072	4,50,674
5. Insured deposits	2,95,575	3,37,671
6. Percentage of 5 to 4	75.4	74.9

The above details are furnished in Annexure III & IV.

The amount of deposits in fully protected accounts and partially protected accounts formed 57.62 per cent and 42.38 per cent respectively of the total assessable deposits at the end of June 1996.

2.4 The category-wise break-up of the premium (including interest on overdue premium) collected from insured banks during 1995-96 and 1996-97 is furnished below :

Category of banks	(Rupees crore)	
	Premium received	
	1995-96	1996-97
i) Commercial Banks	197.99	213.11 *
ii) Regional Rural Banks	6.02	
iii) Co-operative Banks	22.42	40.56
Total	226.43	253.67

* includes regional rural banks.

2.5 During the year 1996-97 the Corporation settled claims for Rs 3.91 crore in respect of three co-operative banks as detailed below :

Name of the bank	Rupees crore
1. Bijapur Industrial Co-op. Bank Ltd., Bagalkot (Karnataka)	0.25
2. The Peoples Co-op. Bank Ltd., Ichalkaranji, (Maharashtra)	3.65
3. Hindupur Co-op. Town Bank Ltd., Hindupur (Andhra Pradesh)	0.01
TOTAL	3.91

Further, a provision of Rs 45.27 crore has been made in the accounts towards the claim liabilities in respect of depositors of the under-mentioned banks on the basis of claims applications received from the banks/liquidators.

Name of the Bank	Particulars of claim	Rupees Crore
1. Vasavi Co-op. Urban Bank Ltd., Gurzala, Andhra Pradesh	Supplementary	0.01
2. Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra	Balance	0.34
3. Dharwar Industrial Co-op. Bank Ltd., Hubli, Karnataka	Expected	0.15
4. Karnataka Kurubara Co-op. Bank Ltd., Kurubara, Karnataka	Expected	0.29
5. Bannikoppa Urban Co-op. Bank Ltd., Bannikoppa, Karnataka	Expected	0.11
6. Swastik Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra	Expected	2.37
7. Bari Doab Bank Ltd., Hoshiarpur (amalgamated with Oriental Bank of Commerce, New Delhi w.e.f. 8th April 1997)	Expected	2.00
8. Punjab Co-op. Bank Ltd., Amritsar (amalgamated with Oriental Bank of Commerce, New Delhi w.e.f. 8th April 1997)	Expected	40.00
Total		45.27

2.6 As on 31st March 1997, the aggregate amount (cumulative) of claims paid and provided for in respect of 25 commercial banks remained unchanged at Rs 172.92 crore. The repayments received from liquidators/banks upto March 1997 aggregated Rs 63.01 crore (including Rs 7.46 crore received during the year). A sum of Rs 0.10 crore was written off till 31st March 1997. The total amount of claims paid and provided for since inception till 31st March 1997 in respect of 32 co-operative banks (including Rs 3.91 crore paid and provided for during the year) was Rs 20.64 crore. The repayments received from the liquidators/banks upto 31st March 1997 aggregated Rs 1.09 crore (including Rs 0.10 crore received during the year).

The particulars of 57 banks in respect of which the claims have been paid, written off, provided for and repayments received till 31st March 1997 are furnished in Annexure V.

CREDIT GUARANTEE FUNCTION

A. CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL BORROWERS

3. The Corporation operates two Credit Guarantee

Schemes viz., Small Loans Guarantee Scheme, 1971 and Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 for small borrowers which cover advances granted for agriculture and allied activities, transport operators, retail trade, small business etc. by commercial banks (including regional rural banks) and primary urban co-operative banks.

4. The overall performance of small borrowers Credit Guarantee Schemes is given below :

(Rupees crore)

Category of borrowers	Guaranteed advances as on 31 March 1996	Amount of claims received			Percentage of 5to2
		Upto March 1996	During 1996-97	Upto March 1997 (3+4)	
1	2	3	4	5	6
Farmers and Agriculturists	11335.17	3432.68	887.87	4320.55	38.11
Other priority sector advances	5632.39	3961.09	931.69	4892.78	86.86
Residual category of borrowers under DRI Scheme and credit facilities for consumption and for purchase or construction of houses or tenements	293.43	164.43	22.49	186.92	63.70
TOTAL	17260.99	7558.20	1842.05	9400.25	54.45

Small Loans Guarantee Scheme, 1971

5.1 The Scheme provides guarantee cover for advances granted for agriculture and allied activities, transport, retail trade, small business etc., by commercial banks including regional rural banks.

5.2 During the year, seven commercial banks and 20 regional rural banks were allowed by the Corporation to opt out of the Scheme (Annexure VII). Consequently, as on 31st March 1997, the number of participating credit institutions under the Scheme decreased to 36 (comprising 15 commercial banks and 21 regional rural banks) from 63 as on 31st March 1996 (Annexure VI).

5.3 The total advances guaranteed under the Scheme at Rs 17,260.80 crore as on 31st March 1996 showed decline of 8.70 percent over the previous year. This decrease is mainly due to opting out of 27 credit institutions from the Scheme. The Scheme continued to account for the bulk of the guaranteed advances to small borrowers forming 99.99 percent of the total priority sector advances to Non-SSI segment at Rs 17,260.99 crore. The year-wise and sector-wise break-up of the guaranteed advances is given in Annexure VIII. The sector-wise break-up of the guaranteed advances vis-a-vis amount of claims

received under the Scheme on percentage basis is given below :

Category of borrowers	Per cent of total	
	Guaranteed Advances	Claims Received
i) Farmers and agriculturists	65.67	45.96
ii) Other priority sector advances	32.63	52.05
iii) DRI advances	1.70	1.99
Total	100.00	100.00

5.4 During the year under report the Corporation received 59,97,049 claims for Rs 1842.05 crore as against 62,64,590 claims for Rs 1841.06 crore received during previous year registering a decrease of 4.27 per cent in the number and an increase of 0.05 per cent in amount over previous year. The amount of claims received at Rs 1842.05 crore during the year formed 10.67 per cent of the total guaranteed advances at Rs 17,260.80 crore under the Scheme. The sector-wise break-up of claims received under all the Schemes for small borrowers is given in Annexure X.

The Corporation settled 13,11,663 claims for Rs 402.89 crore as against 35,09,601 claims for Rs 1,031.42 crore during the previous year (the average monthly rate of disposal this year was 1,09,305 claims as against 2,92,467 claims during the corresponding period last year). Besides, 8,37,429 claims for Rs 293.46 crore have been scrutinised but payment is held up for various reasons as detailed in Para 1.4 above. The number of claims to be processed/under clarification as on 31st March 1997 was 84,67,495 for Rs 2,600.87 crore (Annexure IX).

5.5 Recoveries received during the year under report by virtue of subrogation rights, aggregated Rs 233.51 crore compared to Rs 392.82 crore received during the previous year. The total amount of recoveries received since inception of the Scheme, aggregated Rs 1,284.19 crore forming 23.04 per cent of claims paid at Rs 5,573.42 crore.

Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984

6.1 The Scheme, introduced in 1984, covers priority sector advances granted by primary urban co-operative banks for non-agricultural purposes.

6.2 The number of participants in this Scheme decreased from five to two as on 31st March 1997 (Annexure VI). The guaranteed advances as on 31st March 1996 aggregated Rs 0.19 crore as against Rs 3.33 crore as on 31st March 1995. The Corporation has not received any fresh claim during the year under the Scheme.

B. CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL SCALE INDUSTRIES

(a) Government's Credit Guarantee Scheme (since cancelled)

7.1 The Government's Scheme has been closed and the Corporation has finally stopped accepting claims/representations. All the pending claims under the Scheme were disposed of by March 1992. However, as an agent of Government of India, the Corporation continues to pursue with the credit institutions for recoveries in claim paid accounts.

7.2 Out of the total amount of Rs 1.09 crore representing the recoveries received in claim paid accounts during the year 1996-97 under the Scheme, the Corporation has remitted a sum of Rs 0.98 crore to the Government after retaining an amount of Rs 0.11 crore towards administrative expenditure incurred by it.

(b) Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981

8.1 As on 31st March 1997 there were 78 credit institutions (110 as on 31st March 1996) participating in the above Scheme comprising 14 commercial banks, 17 regional rural banks and 47 co-operative banks (Annexure VI). During the year, names of 32 credit institutions were deleted from the list of participating credit institutions either on account of their decision to opt out of the Scheme or on account of default in payment of guarantee fee (Annexure VII).

8.2 The guaranteed advances to SSI sector coming under the priority sector as defined by RBI amounted to Rs 11,271.33 crore as on 31st March 1996 as against Rs 13,847.33 crore as on 31st March 1995 registering a fall by 18.60 per cent. The decrease is mainly due to many credit institutions opting out of the Scheme.

8.3 The Corporation received 1,18,423 claims for Rs 270.32 crore during the year 1996-97 as against 1,91,034 claims for Rs 524.17 crore during the previous year and disposed of 1,01,098 claims for Rs 291.49 crore as against 1,55,448 claims for Rs 308.01 crore during the year 1995-96. The details of claims received and disposed of year-wise, from 1st April 1981 onwards are given in Annexure XI. (Amount-wise break-up of claims settled during the year is given in Annexure XII). As on 31st March 1997, 94,123 claims for Rs 254.68 crore were pending. The large outstanding is mainly on account of heavy lodgement of claims by credit institutions in the last quarter of the financial year.

8.4 The recoveries received under the Scheme during the year under report, by virtue of the Corporation's right of subrogation, amounted to Rs 25.78 crore compared to Rs 30.82 crore received during the previous year. The recoveries since 1981 aggregated Rs 168.76 crore as on 31st March 1997 forming 17.93 per cent of the total amount of claims paid at Rs 941.30 crore.

8.5 The amount of claims received at Rs 270.32 crore during the year formed 2.40 per cent of the total guaranteed advances to SSI units under priority sector at Rs 11,271.33 crore under the Scheme.

8.6 The settlement of high value claims for Rs 8.00 lakh and above received under the Scheme continued to be attended to by the Claims Committee. However, during the year 1996-97 no high value claims were eligible for consideration of the Committee.

ACCOUNTS

Balance Sheets and Revenue Accounts

9.1 Revenue Accounts for the year ended 31st March 1997 and Balance Sheets as at 31st March 1997, showing separately the position of Corporation's three funds viz., General Fund, Deposit Insurance Fund (DIF) and Credit Guarantee Fund (CGF) together with the Auditors Report are attached.

9.2 The Corporation has adopted since 1987 the system of valuation of liabilities of Deposit and Credit Guarantee Funds on an actuarial basis. Accordingly, the net deficit in the three Funds stood at Rs 1316.98 crore after providing for pending claims etc., as against the net deficit of Rs 8.70 crore during the year 1995-96. The Deposit Insurance Fund revealed a surplus of Rs 372.57 crore as against Rs 332.97 crore during the year ended 31st March 1996 after making all the necessary provisions to the satisfaction of Auditors. However, the Credit Guarantee Fund showed a deficit of Rs 1686.96 crore as against Rs 332.16 crore during the earlier year ended 31st March 1996, after providing for pending claims etc., and also taking into account the actuarial estimates of incremental liability for the year ended 31st March 1997. The deficit of Rs 1686.96 crore has been set off by transfer of entire surplus (including previous year surplus of Rs 2.45 crore) to the extent of Rs 375.02 crore from Deposit Insurance Fund and an amount of Rs 1311.95 crore remains as unadjusted deficit since the Corporation was so far in a position to adjust the deficit by transferring an equivalent amount from surpluses in DIF. The General Fund showed a deficit of Rs 5.03 crore as against a deficit of Rs 9.51 crore during the earlier year. The deficit of Rs 5.03 crore has been adjusted against General Reserve after taking into account the financial assistance of Rs 7 crore received from RBI towards staff expenses.

9.3 As mentioned in the last year's Report, a net sum of Rs 1538.90 crore was due to the Deposit Insurance Fund from Credit Guarantee Fund as at the close of business on 31st March 1996 on account of surplus/ deficit from the year 1987 onwards. The current year's deficit of Rs 1686.96 crore in the Credit Guarantee Fund has also been set off only to the extent of Rs 375.02 crore by transfer of equivalent amount from Deposit Insurance Fund. Consequently, the amount due to Deposit Insurance Fund has increased to Rs 1913.92 crore as at the end of the

year leaving unadjusted deficit of Rs 1311.95 crore in CGF Account.

Budgetary Control

10. The Corporation has evolved various returns under Management Information System (MIS) and exercises budgetary control over revenue and expenditure under its three Funds viz., Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund.

Investments

11.1 In accordance with the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the amounts which were not required for the time being were invested in Central Government Securities, including Treasury Bills. The details of investments are furnished in Annexure XIV. The depreciation in the investments of the three Funds has been fully provided for, to the satisfaction of the Auditors.

Investment Committee

11.2 As mentioned in the last Annual Report the various recommendations of the Rai Committee (constituted to suggest ways to improve the yield on investments) were examined and necessary action/ steps initiated.

- i) Regarding amendment to Section 25 of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the matter is still pending with the Government of India. However, it is being followed up vigorously for early action.
- ii) The matter regarding permitting the Corporation to treat the Investments as 'Stock-in-Trade' was examined and in consultation with our Tax Consultants, the matter was put up to the Board. The Board resolved to treat the Investments of the Corporation as 'Stock-in-Trade' at the meeting held on 26th March 1997. Income-Tax Return for the Assessment Year 1996-97 was filed accordingly to enable the Assessment Office to treat the Investments of the Corporation as 'Stock-in-Trade'.
- iii) The matter regarding granting of special status to the Corporation under the relevant provisions of the Income-Tax Act (Section 44/115B) for the purpose of assessing its tax liability on the lines of Life Insurance Corporation and General Insurance Corporation has been taken up with the Government of India and their decision is awaited.

GENERAL

Auditors

12.1 In terms of Section 29(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors appointed with the prior approval of the Reserve Bank of India, M/s Habib & Co, Chartered Accountants, Mumbai as Auditors of the Corporation for the year ended 31st March 1997.

Progressive use of Hindi

12.2 The Corporation ensures the compliance of Section 3(3) of Official Languages Implementation Act. The Head Office of the Corporation has been notified under rule 10(4) of the Official Languages Rules, 1976. The Official Languages Implementation Committee meets regularly every quarter to monitor as well as to facilitate the use of Hindi in the day-to-day functioning of the Corporation.

Training & Deputation

12.3 During the year, the Corporation imparted training on the Deposit Insurance Scheme to a team of four officials from the Credit Guarantee Corporation Pvt. Ltd., Kathmandu (Nepal) who came to India for a week during 20th to 25th January 1997 to study the working procedure of the Deposit Insurance Scheme, 1961 of the Corporation.

The Corporation deputed its Officers to various training institutions of the RBI to deliver talks on the schemes of the Corporation and the settlement of claims thereunder. Staff of the Corporation at all levels were also deputed to the training programmes offered by the RBI at its various training centres. During the year under report 28 Officers and 36 clerical staff were deputed for these training programmes. Twenty employees were deputed for computer training with an external institution.

Inspection & Financial Audit by RBI

12.4. The suggestions made/irregularities pointed out in the Systems & Staffing Inspection Report, 1994 of the Inspection Department of RBI, have mostly been rectified/implemented. During 1996-97, the Inspection Department also conducted the Systems & Staffing Inspection of Calcutta, Chennai and Nagpur branches of the Corporation. The Regional Audit Cell of RBI

conducted audit of the Corporation's Head Office for the half-years ended March and September 1996. The audits of the four branches of the Corporation for half-years ended March and September 1996 have also been completed by the concerned Regional Audit Cells.

Computers

13. Software programmes for processing of NI.11 and NI.15 format submitted on tape and paper are operating smoothly. Programmes developed for processing of claims in NI.17 format are being checked with live data. Programmes on Management Information System and Deposit Insurance Scheme are also getting stabilised.

Management

14. Shri S Gurumurthy, Executive Director, Reserve Bank of India was nominated as a Director in terms of Section 6(1)(b) of DICGC Act, 1961 vice Shri J R Prabhu, Executive Director from 1st May 1997. Government of India nominated Shri Sudhir Srivastava, Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, (Banking Division) under Section 6(1)(c) of the above Act vice Ms Mona Sharma from 27th May 1996. Shri B B Vyas was nominated as Director vice Shri Sudhir Srivastava from 4th February 1997. Shri D S R Simhudu took over as Chief General Manager on 8th July 1996 on transfer of Shri K L Khetarpaul.

15. During the year ended 31st March 1997, five meetings of the Board of Directors of the Corporation were held.

16. The Board highly appreciates the efforts put in by the staff of the Corporation for maintaining the operational efficiency.

DEPOSIT INSURANCE
AND CREDIT
GUARANTEE
CORPORATION
MUMBAI 400 039

Dated : 28 June 1997

For and on behalf of
the
Board of Directors

(R V GUPTA)
Chairman

ANNEXURE - I

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF BANKS COVERED UNDER THE
DEPOSIT INSURANCE SCHEME SINCE 1962

Year/Period	No. of registered banks at the commencement of the year/period	No. of Banks registered during the year/period	No. of banks deregistered where Corporation's liability			Total No. of registered banks at the end of the year/period (2 + 3 - 6)
			was attracted	was not attracted	Total (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1962	287	—	2	9	11	276
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1971 to 1975	83	544	—	16	16	611
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1582
1981 to 1985	1582	280	8	17	25	1837
1986 to 1989-90	1837	102	8	10	18	1921
1990-91	1921	8	5	2	7	1922
1991-92	1922	14	2	3	5	1931
1992-93	1931	3	2	1	3	1931
1993-94	1931	63	1	3	4	1990
1994-95	1990	36	—	1	1	2025
1995-96	2025	99	1	1	2	2122
1996-97	2122	176	1	1	2	2296

ANNEXURE - I A

Category-wise break-up of insured banks at the end of
1994-95, 1995-96 and 1996-97

Year	No. of insured banks			
	Commercial Banks	RRBs	Co-operative Banks	Total
1994-95	90	196	1739	2025
1995-96	102	196	1824	2122
1996-97	108	196	1992	2296

ANNEXURE – II

SUMMARY OF INSURED BANKS
(As on 31st March 1997)

i) Commercial Banks	108
ii) Regional Rural Banks	196
iii) Co-operative Banks	1992
Total	<u>2296</u>

Statewise Break-up of Co-operative Banks

State/Union Territory	Apex	Central	Primary	Total
State				
1. Andhra Pradesh	1	22	72	95
2. Assam	1	1	8	10
3. Bihar	1	34	5	40
4. Delhi	1	—	16	17
5. Goa	1	—	6	7
6. Gujarat	1	21	311	333
7. Haryana	1	14	8	23
8. Himachal Pradesh	1	2	4	7
9. Jammu & Kashmir	1	3	3	7
10. Karnataka	1	22	241	264
11. Kerala	1	14	61	76
12. Madhya Pradesh	1	45	67	113
13. Maharashtra	1	31	507	539
14. Manipur	1	-	5	6
15. Orissa	1	17	14	32
16. Punjab	1	17	5	23
17. Rajasthan	1	27	31	59
18. Tamil Nadu	1	22	133	156
19. Tripura	1	-	1	2
20. Uttar Pradesh	1	57	56	114
21. West Bengal	1	17	49	67
Union Territory				
1. Pondicherry	1	—	1	2
2. Daman & Diu	—	—	—	—
TOTAL	22	366	1604	1992

ANNEXURE – II A

BANKS REGISTERED AND DEREGISTERED DURING THE YEAR 1996-97

A. REGISTERED

I. Commercial Banks

1. Chinatrust Commercial Bank
2. Overseas Chinese Banking Corporation Ltd.
3. Krung Thai Bank Public Company Ltd.
4. The Toronto Dominion Bank Ltd.
5. Sumitomo Bank Ltd.
6. Hanil Bank
7. Commercial Bank of Korea Ltd.

II. Co-operative Banks

<u>State</u>	<u>Name of the Bank</u>
Andhra Pradesh (8)	1. Universal Co-operative Urban Bank Ltd.
	2. Kranti Co-op. Urban Bank Ltd.
	3. Sri Lakshmi Mahila Co-op. Urban Bank Ltd.
	4. Jampeta Co-op. Urban Bank Ltd.
	5. The Seva Co-op. Urban Bank Ltd.
	6. The Belampalli Co-op. Urban Bank Ltd.
	7. Jawahar Co-op. Bank Ltd.
	8. Navnirman Co-op. Bank Ltd.
Bihar (1)	1. Begusary Urban Co-op. Bank Ltd.
Delhi (1)	1. The Keshav Sahakari Bank Ltd.
Gujarat (15)	1. Suryapur Co-op. Bank Ltd.
	2. Udhana Citizen Co-op. Bank Ltd.
	3. Textile Co-op. Bank of Surat Ltd.
	4. Commercial Co-op. Bank Ltd.
	5. City Co-op. Bank Ltd.
	6. Mansana Samaj Sahayak Sah. Mandli Ltd.
	7. Shri Parswanath Co-op. Bank Ltd.
	8. Rajkot Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd.
	9. Karnavati Co-op. Bank Ltd.
	10. Navsarjan Industrial Co-op. Bank Ltd.
	11. Rishika Mahila Nagarik Bank Ltd.

12. Shree Lakshmi Mahila Sahakari Bank Ltd.
13. Mehsana Mahila Sahakari Bank Ltd.
14. Naroda Industrial Co-op. Bank Ltd.
15. The Vikas Co-op. Bank Ltd.

Haryana (1)

1. Yamuna Nagar Central Co-op. Bank Ltd.

Karnataka (21)

1. The Janata Co-op. Bank Ltd.
2. Janata Co-op. Credit Bank Ltd.
3. The Muslim Co-op. Credit Society Ltd.
4. Mangalore Goldsmith Co-op. Society Ltd.
5. Shri Ramnagar Pattana Sahakari Bank Niyamit
6. Shri Ganesh Co-op. Bank Ltd.
7. Manjira Mahila Urban Co-op. Bank Ltd.
8. Swami Vivekanand Urban Co-op. Bank Niyamit
9. Abhinandan Sahakari Bank Niyamit
10. Sri Mallikarjuna Pattana Saha. Bank Niyamit
11. Bagalkot Urban Co-op. Bank Ltd.
12. Shri Shiddeshwar Co-op. Bank Ltd.
13. Shiggaon Urban Co-op. Bank Ltd.
14. Belgaum Zilla Rani Channama Mahila Sahakari Bank Niyamit
15. Shri Sharan Veereshwar Pallana Sahakari Bank Niyamit
16. Basavakalyanpattna Sahakari Bank Niyamit
17. Sri Bangeshankari Mahila Co-op. Bank Ltd.
18. Vikas Co-op. Bank Ltd.
19. Shri Amba Bhavani Urban Co-op. Bank Ltd.
20. Hanamasagar Urban Co-op. Bank Ltd.
21. Anubhav Co-op. Bank Ltd.

Kerala (4)

1. Feroke Co-op. Urban Bank Ltd.
2. Tanur Co-op. Urban Bank Ltd.
3. Taliparamba Co-op. Urban Bank Ltd.
4. Irinjalakuda Town Co-op. Bank Ltd.

Madhya Pradesh (16)

1. Sarvodaya Mahila Co-op. Bank Ltd.
2. Shajapur Nagrik Sahakari Bank Mydt.
3. Sadbhav Nagrik Sahakari Bank Mydt.
4. Sardarsingh Nagrik Sah. Bank Maryadit
5. Renuka Nagrik Sahakari Bank Maryadit
6. Bhind Nagarik Sahakari Bank Maryadit
7. Gaddha Co-op. Bank Ltd.
8. Raipur Urban Mercantile Co-op. Bank Ltd.

9. Bilasa Mahila Nagrik Sahakari Bank Mydt.
10. Aastha Mahila Nagarik Sahakari Bank Mydt.
11. Suvidha Mahila Nagrik Sah. Bank Mydt.
12. Guna Nagrik Sahakari Bank Mydt.
13. Laxmibai Mahila Nagrik Sahakari Bank Mydt.
14. Nagrik Sah. Bank Mydt., Rajadh (Biora)
15. Indira Mahila Nagarik Sah. Bank Mydt.
16. Jabalpur Mahila Nag. Sah. Bank Ltd.

Maharashtra (90)

1. Murgud Sahakari Bank Ltd.
2. Kumbhi Kasari Sahakari Bank Ltd.
3. Suvarna Nagarik Sahakari Bank Ltd.
4. Shivam Sahakari Bank Ltd.
5. Shriram Urban Co-op. Bank Ltd.
6. Kupwad Urban Co-op. Bank Ltd.
7. People's Co-op. Bank Ltd., Deolgaon Raja Buldhana
8. Manvat Urban Co-op. Bank Ltd.
9. The Achalpur Urban Co-op. Bank Ltd.
10. Shri S K Patil Co-op. Bank Ltd.
11. Saibaba Nagari Sahakari Bank Ltd.
12. Tirupati Urban Co-op. Bank Ltd.
13. Birdeo Sahakari Bank Ltd.
14. Jalgaon Merchant Sahakari Bank Ltd.
15. Loha Urban Co-op. Bank Ltd.
16. Meera Bhainder Co-op. Bank Ltd.
17. Ambajogai People's Co-op. Bank Ltd.
18. Shriram Sahakari Bank Ltd., Ichalkaranji
19. The Madheshwari Urban Development Co-op. Bank Ltd.
20. Shriram Co-op. Bank Ltd., Panchawati, Nashik
21. Kedarnath Urban Co-op. Bank Ltd.
22. Shirpur People's Co-op. Bank Ltd.
23. Ichalkaranji Jiveshwar Sahakari Bank Maryadit
24. Sangola Urban Co-op. Bank Ltd.
25. Andarsul Urban Co-op. Bank Ltd.
26. Bhausahab Birajdar Nagari Sah. Bank Maryadit
27. Rukhmini Nagari Sah. Bank Ltd.
28. Sadhana Co-op. Bank Ltd.
29. Patan Urban Co-op. Bank Ltd.
30. Karnala Nagari Sah. Bank Ltd.
31. Janata Sahakari Bank Ltd., Yeola
32. Hutatma Sahakari Bank Ltd.

33. Samarth Nagri Sahakari Bank Ltd.
34. The Business Co-op. Bank Ltd.
35. The Pragati Urban Co-op. Bank Ltd.
36. Shri Adinath Co-op. Bank Ltd.
37. Sanmati Sahakari Bank Ltd.
38. Kohinoor Sahakari Bank Ltd.
39. Jankalyan Urban Co-op. Bank Maryadit, Kalam, Osmanabad
40. Shree Anand Nagri Sahakari Bank Ltd.
41. Ashok Sahakari Bank Ltd.
42. Shri Balaji Co-op. Bank Ltd.
43. Arjun Urban Co-op. Bank Ltd.
44. Jaikalimata Urban Co-op. Bank Ltd.
45. Deoyani Co-op. Bank Ltd.
46. Rajmata Urban Co-op. Bank Ltd.
47. Heena Sahakari Co-op. Bank Ltd.
48. Siddharth Sahakari Bank Maryadit
49. Koyana Sahakari Bank Ltd.
50. Umruga Sahakari Bank Ltd.
51. Agrasen Urban Co-op. Bank Ltd.
52. Jijamata Mahila Sahakari Bank Ltd.
53. Yashwant Urban Co-op. Bank Ltd.
54. Nishigandha Sahakari Bank Ltd.
55. Jankalyan Co-op. Bank Ltd.
56. Dynanopasak Urban Co-op. Bank Ltd.
57. Navjeevan Nagari Sahakari Bank Mydt. Yervada
58. Shivneri Sahakari Bank Ltd.
59. Vaishya Nag. Sahakari Bank Ltd.
60. Jawahar Sahakari Bank Ltd.
61. Kavita Urban Co-op. Bank Ltd.
62. Mahesh Urban Co-op. Bank Ltd.
63. Shri Lakshmi Sahakari Bank Ltd.
64. Jamkhed Merchants Co-op. Bank Ltd.
65. Shri Agrasen Co-op. Bank Ltd.
66. Shri Ganesh Sahakari Bank Ltd.
67. Sanjeevani Urban Co-op. Bank Ltd.
68. Siddheshwar Urban Co-op. Bank Mydt.
69. Bhadgaon Peoples Co-op. Bank Mydt.
70. Samarth Urban Co-op. Bank Ltd.
71. Vithal Nagri Sahakari Bank Ltd.
72. Janaseva Co-op. Bank Ltd.
73. Yeshwant Urban Co-op. Bank Ltd.
74. Shankar Nagari Sahakari Bank Ltd.

75. Vishwas Co-op. Bank Ltd.
76. Padmashri Dr. Vithalrao Vikhe Patil Co-op. Bank Ltd.
77. Shri Mahesh Co-op. Bank Ltd., Nasik
78. Mahesh Urban Co-op. Bank Ltd., Parbhani
79. Terananagari Sahakari Bank Ltd.
80. Sarvodaya Co-op. Bank Ltd.
81. Brahmapuri Urban Co-op. Bank Ltd.
82. Jai Tulaja Bhavani Urban Co-op. Bank Ltd.
83. Indira Mahila Sahakari Bank Ltd.
84. Maharashtra Nagari Sahakari Bank Ltd.
85. Dindayal Nagari Sahakari Bank Mydt.
86. Bhimshankar Nagari Sahakari Bank Ltd.
87. Mandeshi Mahila Sahakari Bank Ltd.
88. Saibaba Janta Sahakari Bank Ltd.
89. Champavati Urban Co-op. Bank Ltd.
90. The R S Co-op. Bank Ltd.

Uttar Pradesh (7)

1. Noida Commercial Co-op. Bank Ltd.
2. Urban Co-op. Bank Ltd., Bareilly
3. Banda Urban Co-op. Bank Ltd.
4. Gomati Nagoraya Sahakari Bank Ltd.
5. Citizen Co-op. Bank Ltd., Noida.
6. Khaliabad Nagari Sahakari Bank Ltd.
7. Nagrik Sahakari Bank Ltd. Rajaji Puram.

Rajasthan (3)

1. The Dhaulpur Urban Co-op. Bank Ltd.
2. Rajsamand Urban Co-op. Bank Ltd.
3. Dausa Semi Urban Co-op. Bank Ltd.

Tamil Nadu (1)

1. Tiruvannamalai Sambuvarayar D.C.C. Bank Ltd.

West Bengal (1)

1. Pranabananda Co-op. Bank Ltd.

B. DEREGISTERED

Maharashtra (2)

1. Thane Peoples Co-op. Bank Ltd. on account of its amalgamation with Rupee Co-op. Bank Ltd., Pune
2. Bank of Karad Ltd. on account of its liquidation.

ANNEXURE – III

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE
DEPOSITORS OF INSURED BANKS

(Commercial Banks, Regional Rural Banks and Co-operative Banks)

(As as on the last Friday of December 1961 and the last working day of June 1981 to June 1996)

Year	No. of fully protected accounts ^e (in lakhs)	Total No. of accounts (in lakhs)	Percentage of (2) to (3)	Insured deposits ^e (Rs. crores)	Total assessable deposits (Rs. crores)	Percentage of (5) to (6)
1	2	3	4	5	6	7
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1,693.74	23.1
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	2,000.97	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8
1985	2,145.16	2,238.37	95.8	56,211.15	76,517.22	73.5
1986	2,320.05	2,359.60	98.0	62,878.13	86,213.96	72.9
1987	2,518.01	2,568.51	98.0	75,511.19	1,03,044.15	73.3
1988-89	2,704.87	2,780.88	97.3	90,191.69	1,26,864.19	71.1
1989-90	3,059.11	3,141.68	97.4	1,01,681.96	1,40,745.95	72.2
1990-91	2,982.52	3,089.12	96.5	1,09,315.52	1,56,891.90	69.7
1991-92	3,169.18	3,287.00	96.4	1,27,924.91	1,86,307.39	68.7
1992-93	3,395.03	3,543.02	95.8	1,64,526.57	2,44,375.38	67.3
1993-94	3,497.10	3,529.03	99.1	1,68,404.82	2,49,033.83	67.6
1994-95	4,956.05	4,993.99	99.2	2,66,746.65	3,64,057.60	73.3
1995-96	4,818.63	4,868.07	99.0	2,95,574.97	3,92,071.69	75.4
1996-97	4,273.23	4,351.26	98.2 ^s	3,37,671.00	4,50,674.17	74.9

^e Number of accounts with balance not exceeding Rs 1,500 till the end of 1967, Rs 30,000 from 1981 onwards till 1992-93 and Rs 1,00,000 from 1993-94 onwards.

^s Out of 2,296 insured banks only 1,345 banks have furnished data on the classification of deposits (Return DI-02). The matter is being followed up with the remaining banks.

ANNEXURE - IV

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE
DEPOSITORS OF INSURED BANKS (CATEGORY-WISE) FOR THE YEARS
1994-95, 1995-96 AND 1996-97

Year	Category of banks	Total No. of insured banks	No. of reporting banks	Insured deposits (Rs. crores)	Total assessable deposits (Rs. crores)	Percentage of (5) to (6)
1	2	3	4	5	6	7
1994-95	I Commercial Banks	90	67	2,15,264.62	3,03,895.17	70.84
	II Regional Rural Banks	196	152	5,784.95	6,386.63	90.58
	III Co-operative Banks	1,739	1,053	45,697.08	53,775.81	84.98
	Total I+II+III	2,025	1,272	2,66,746.65	3,64,057.61	73.27
1995-96	I Commercial Banks					
	i) SBI Group	8	7	79,647.32	94,046.17	84.69
	ii) Public Sector	19	17	1,47,740.78	1,92,612.38	76.70
	iii) Foreign Banks	35	25	6,301.90	24,293.30	25.94
	iv) Private Banks					
	a) Scheduled	38	32	17,056.62	26,036.61	65.51
	b) Non-Scheduled	2	2	62.45	67.52	92.94
	Total	102	83	2,50,809.07	3,37,055.98	74.41
	II Regional Rural Banks	196	160	7,643.56	8,077.91	94.62
	III Co-operative Banks	1,824	1,380	37,122.34	46,937.80	79.09
Total I+II+III	2,122	1,623	2,95,574.97	3,92,071.69	75.38	
1996-97	I Commercial Banks					
	i) SBI Group	8	7	86,694.48	1,09,604.57	79.10
	ii) Public Sector	19	19	1,81,227.77	2,32,858.23	77.83
	iii) Foreign Banks	42	25	5,719.22	24,758.74	23.10
	iv) Private Banks					
	a) Scheduled	36	29	18,466.46	28,331.31	65.18
	b) Non-Scheduled	3	1	1.27	1.73	73.41
	Total	108	81	2,92,109.20	3,95,554.58	73.84
	II Regional Rural Banks	196	163	9,805.29	10,436.05	93.96
	III Co-operative Banks	1,992	1,101	35,756.51	44,683.54	80.02
Total I+II+III	2,296	1,345	3,37,671.00	4,50,674.17	74.92	

ANNEXURE - V

DEPOSIT INSURANCE CLAIMS PAID AND PROVIDED FOR
AND REPAYMENTS RECEIVED AS ON 31ST MARCH 1997

(Rupees lakh)

Sr. No.	Name of the bank (figures in brackets indicate the year in which the claims were met)	Total insured deposits paid & provided for	Repayments received by Corporation	Balance (3)-(4)
1	2	3	4	5
I. COMMERCIAL BANKS				
i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full				
\$	1) Bank of China, Calcutta (1963)	9.25	9.25	—
*	2) Shree Jadeya Shankar Ling Bank Ltd; Bijapur (1965)	0.12	0.12	—
*	3) Bank of Behar Ltd; Patna (1970)	46.32	46.32	—
*	4) Cochin Nayar Bank Ltd; Trichur (1964)	7.04	7.04	—
*	5) Latin Christian Bank Ltd; Ernakulam (1964)	2.08	2.08	—
Total 'A'		64.81	64.81	—
(ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been paid in part and balance due has been written off				
*	6) Unity Bank Ltd., Madras (1963)	2.53	1.37 (1.16)	—
*	7) Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)	1.08	0.31 (0.77)	—
*	8) Chawla Bank Ltd. Dehradun (1969)	0.18	0.14 (0.04)	—
*	9) Metropolitan Bank Ltd., Calcutta (1964)	8.80	4.42 (4.38)	—
*	10) Southern Bank Ltd., Calcutta (1964)	7.34	3.73 (3.61)	—
*	11) Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963)	0.28	0.18 (0.10)	—
Total 'B'		20.21	10.15 (10.06)	—

(Figures in brackets indicate the amount written off)

(Contd.)

ANNEXURE - V (Contd.)

1	2	3	4	5
	iii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full			
*	12) National Bank of Pakistan, Calcutta (1966)	0.99 (0.85)	0.88	0.11 (0.85)
*	13) Habib Bank Ltd., Mumbai (1966)	17.26 (1.18)	16.78	0.48 (1.18)
	(Figures in brackets relate to payments prohibited under the Scheme of amalgamation)			
*	14) National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)	9.69	—	9.69
*	15) Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)	1,162.78	611.90	550.88
*	16) Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)	146.59	57.49	89.10
*	17) Lakshmi Commercial Bank Ltd., Delhi (1987)	3,340.62	772.82	2,567.80
*	18) Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988)	2,191.67	219.96	1,971.71
*	19) United Industrial Bank, Calcutta (1990)	3,501.58	58.05	3,443.53
*	20) Traders Bank Ltd., New Delhi (1990)	306.34	133.76	172.58
*	21) Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur (1990)	1,078.36	400.50	677.86
*	22) Bank of Tamil Nadu Ltd. (1990)	764.50	190.35	574.15
*	23) Parur Central Bank Ltd., North Parur (1990)	260.92	79.81	181.11
*	24) Purbanchal Bank Ltd., Guwahati (1990)	725.77	58.84	666.93
@	25) Bank of Karad Ltd., (1992)	3,700.00	3,625.00	75.00
	Total 'C'	17,207.07	6,226.14	10,980.93
	Total 'A' + 'B' + 'C'	17,292.09	6,301.10	10,980.93
II. CO-OPERATIVE BANKS				
	i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full			
\$\$	26) Malvan Co-op. Urban Bank Ltd. Malvan (1977)	1.84	1.84	+
%	27) Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd; Mumbai (1978)	10.72	10.72	++
@	28) Dadhich Sahakari Bank Ltd; Mumbai (1984)	18.37	18.37	+++
@	29) Ramdurg Urban Co-op. Bank Ltd; Ramdurg (1981)	2.19	2.19	++++
	Total 'D'	33.12	33.12	—
	(ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full			
@	30) Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd. Mumbai (1976)	5.73	—	5.73
@	31) Ghatkopar Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1977)	2.76	—	2.76
@	32) Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1978)	0.60	—	0.60

(Contd.)

ANNEXURE - V (Contd.)

1	2	3	4	5
*	33) Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd. Ratnagiri (1978)	46.43	12.39	34.04
*	34) Vishwakarma Co-op. Bank Ltd. Mumbai (1979)	11.57	5.60	5.97
*	35) Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1979)	7.02	3.06	3.96
*	36) Kalavihar Co-op. Bank Ltd. Mumbai (1979)	13.17	3.31	9.86
*	37) Vysya Co-op. Bank Ltd. Bangalore (1982)	91.31	12.95	78.36
@	38) Kollur Parvathi Co-op. Bank Ltd., Kollur (1985)	13.96	—	13.96
@	39) Adarsh Co-op. Bank Ltd. Mysore (1985)	2.74	0.65	2.09
*	40) Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., Kurduwadi (1986)	4.85	3.80	1.05
@	41) Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Gadag (1986)	22.85	12.16	10.69
@	42) Manihal Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Manihal (1987)	9.61	2.28	7.33
@	43) Hind Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Lucknow (1988)	10.95	—	10.95
@	44) Yellamanchili Co-op. Bank Ltd. Yellamanchili (1990)	4.36	—	4.36
@	45) Vasavi Co-op. Urban Bank Ltd. Gurzala (1991)	3.89	—	3.89
@	46) Kundara Co-op. Urban Bank Ltd. Kundara (1991)	17.37	8.02	9.35
@	47) Manoli Shri Panchlingeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Manoli (1991)	17.44	5.00	12.44
@	48) Sardar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Baroda (1991)	74.85	6.00	68.85
@	49) Metropolitan Co-op. Bank Ltd. Mumbai (1992)	125.00	—	125.00
*	50) Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd. (1993)	37.11	1.16	35.95
@	51) Bhadravathi Town Co-op. Bank Ltd. (1994)	0.26	—	0.26
@	52) Bhiloda Nagrik Sahakari Bank Ltd., Bhiloda (1994)	19.84	—	19.84
@	53) Citizen's Urban Co-op. Bank Ltd., Indore (1994)	220.57	—	220.57
@	54) Chetana Co-op. Bank Ltd. Mumbai (1995)	875.49	—	875.49
@	55) Bijapur Industrial Co-op. Bank Ltd., Hubli (1996)	24.73	—	24.73
@	56) Hindupur Co-op. Town Bank Ltd. Hindupur (1996)	1.09	—	1.09
@	57) The Peoples Co-op. Bank Ltd. Ichalkaranji (1996)	365.40	—	365.40
	Total 'E'	2,030.95	76.38	1,954.57
	Total 'D' + 'E'	2,064.07	109.50	1,954.57
	Total 'A' + 'B' + 'C' + 'D' + 'E'	19,356.16 **	6,410.60	12,935.50

\$ Licence to carry on banking business cancelled by the RBI.

\$\$ The bank was revived and voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-op. Bank Ltd. in 1984.

* Scheme of amalgamation.

@ Banks taken into liquidation.

+ Provision of Rs 0.02 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

++ Provision of Rs 2.07 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

+++ Provision of Rs 0.14 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

++++ Provision of Rs 0.11 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

% The Bank was voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-op. Bank Ltd. in 1987.

** Amount under column 3 includes "On A/c" payments made to Bank of Karad Ltd. (Rs 37.00 crore) and Metropolitan Co-op. Bank Ltd. (Rs 1.25 crore) (Both under liquidation).

Note : The figures of claims given above are after effecting adjustments.

ANNEXURE – VI

CATEGORY-WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES FOR SMALL BORROWERS AS ON 31ST MARCH 1997

Name of the Guarantee Scheme	Total number of participants as on 31st March 1996				Credit institutions joined (+) / withdrawn (-) / ceased (-) during the period April 1996 - March 1997				Total number of participants as on 31st March 1997			
	Comml. Banks	RRBs.	Co-op. Banks	Total	Comml. Banks	RRBs.	Co-op. Banks	Total	Comml. Banks	RRBs.	Co-op. Banks	Total
1. Small Loans Guarantee Scheme, 1971	22	41	—	63	(-7)	(-20)	—	(-27)	15	21	—	36
2. Small Loans (Co-op. Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	—	5	5	—	—	(-3)	(-3)	—	—	2	2
3. Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981	21	32	57	110	(-7)	(-15)	(-10)	(-32)	14	17	47*	78

* State Co-operative Bank	1
Central Co-operative Banks	33
Primary Urban Co-operative Banks	<u>13</u>
	<u>47</u>

ANNEXURE – VII

SCHEME-WISE NAMES OF BANKS WITHDRAWN/DELETED FROM THE LIST OF PARTICIPATING CREDIT INSTITUTIONS DURING THE YEAR 1996-97

A. SMALL LOANS GUARANTEE SCHEME, 1971

Sr. No. Name of Institution

i) Commercial Banks

Withdrawn

1. State Bank of Bikaner & Jaipur
2. State Bank of Mysore
3. State Bank of Patiala
4. State Bank of Saurashtra
5. State Bank of Travancore
6. Bank of Baroda
7. Benares State Bank Ltd.

ii) Regional Rural Banks

Withdrawn

8. Balasore Gramya Bank
9. Begusarai Ksh. Gramin Bank
10. Cauvery Grameena Bank
11. Cuttack Gramya Bank
12. Fatehpur Ksh. Gramin Bank
13. Kalpatharu Grameena Bank
14. Langpi Dehangi Rural Bank
15. Mahakaushal Ksh. Gramin Bank
16. Patliputra Gramin Bank
17. Pinakini Grameena Bank
18. Thane Gramin Bank
19. Shekhavati Gramin Bank
20. Solapur Gramin Bank
21. Surguja Ksh. Gramin Bank

Deleted

22. Allahabad Ksh. Gramin Bank
23. Kanpur Ksh. Gramin Bank
24. Murshidabad Gramin Bank
25. Rani Lakshmibai Ksh. Gramin Bank
26. Thar Anchalik Gramin Bank
27. Vindhyavasini Gramin Bank

B. SMALL LOANS (CO-OPERATIVE BANKS) GUARANTEE SCHEME, 1984

Withdrawn

Sr. No. Name of Institution

1. Charminar Co-operative Urban Bank Ltd.
2. Big Kancheepuram Co-operative Town Bank Ltd.
3. Dindigul Urban Co-operative Bank Ltd.

ANNEXURE -- VII (Contd.)

C. SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

Sr. No. Name of Institution

i) Commercial Banks

1. Bank of Baroda
2. Benares State Bank Ltd.
3. State Bank of Bikaner & Jaipur
4. State Bank of Mysore
5. State Bank of Patiala
6. State Bank of Saurashtra
7. State Bank of Travancore

ii) Regional Rural Banks

1. Allahabad Kshetriya Gramin Bank
2. Balasore Gramya Bank
3. Begusarai Kshetriya Gramin Bank
4. Cauvery Grameena Bank
5. Cuttack Gramya Bank
6. Kalpatharu Grameena Bank
7. Langpi Dehangi Rural Bank
8. Murshidabad Gramin Bank
9. Rani Lakshmibai Kshetriya Gramin Bank
10. Solapur Gramin Bank
11. Shekhavati Gramin Bank
12. Surguja Kshetriya Gramin Bank
13. Thane Gramin Bank
14. Thar Anchalik Gramin Bank
15. Vindhyavasini Gramin Bank

iii) Co-operative Banks

1. Big Kancheepuram Co-op. Town Bank Ltd. (Tamil Nadu)
2. Bijapur Sri Siddheswar Urban Co-op. Bank Ltd., (Karnataka)
3. Buldhana Dist. Central Co-op. Bank Ltd. (Maharashtra)
4. Chittor Dist. Co-op. Central Bank Ltd. (Andhra Pradesh)
5. Gadchiroli Dist. Central Co-op. Bank Ltd. (Maharashtra)
6. Jilla Sah. Kendriya Bank Madt, Bilaspur (Madhya Pradesh)
7. Junagadh Dist. Central Co-op. Bank Ltd. (Gujarat)
8. Nagpur Dist. Central Co-op. Bank Ltd. (Maharashtra)
9. Tiruchirapalli Central Co-op. Bank Ltd. (Tamil Nadu)
10. Tiruppur Co-op. Urban Bank Ltd. (Tamil Nadu)

ANNEXURE - VIII

SECTOR-WISE DISTRIBUTION OF GUARANTEED ADVANCES UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES

(Amount in Rupees crore)

Scheme/Category of Borrowers	As at the end of June						As at the end of March								% to total in Col. 15
	1972	1981	1984	1986	1987	1988	1989 [^]	1990 [^]	1991 [^]	1992 [^]	1993 [^]	1994 [^]	1995 [^]	1996 [^]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SMALL BORROWERS															
(A) SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR															
I. Small Loans Guarantee Scheme, 1971															
	205.71	3546.24	7045.38	10345.10	10998.22	14145.67	25562.66	27676.73	29166.66	24429.24	26339.75	25474.28	18906.40	17260.80	100.00
i) Farmers & Agriculturists	134.67	2267.52	4181.98	6020.34	6428.29	8504.48	10542.04	18565.55	19788.04	16572.80	17868.89	17075.41	12364.79	11335.17	65.67
ii) Transport Operators	28.29	477.56	1239.58	1606.00	1664.73	1665.58									
iii) Retail Traders	28.34	398.86	709.84	1191.85	1257.99	1795.38									
iv) Professional & Self-employed persons	9.14	165.66	326.94	656.56	700.15	964.99	14519.56 ^s	8727.03 ^s	8973.00 ^s	7514.44 ^s	8102.11 ^s	7840.98 ^s	6172.94 ^s	5632.20 ^s	32.63
v) Business Enterprises	5.27	150.08	322.51	609.51	694.64	923.18									
vi) Residual category of borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme	—	86.56	264.53	260.84	252.42	292.06	501.06	384.15	405.62	342.00	368.75	557.89	368.67	293.43	1.70
II. Small Loans (Financial Corpns.) Guarantee Scheme, 1971															
	2.56	10.89	52.68	85.19	92.28	108.68	2.70	4.17	—	#	#	#	#	#	#
III. Service Co-op.Societies Guarantee Scheme, 1971															
	0.12	1.32	0.50	0.72	0.72	1.84	0.20	0.44	0.39	#	#	#	#	#	#
IV. Small Loans (Co-op.Banks) Guarantee Scheme, 1984															
	—	—	5.69 [*]	14.96	25.00	35.19									
i) Transport Operators	—	—	1.84	5.49	8.54	13.31									
ii) Retail Traders	—	—	2.64	5.53	7.67	8.51	20.70 ^s	10.98 ^s	13.77 ^s	14.34 ^s	8.08 ^s	9.59 ^s	3.33 ^s	0.19 ^s	—
iii) Professional & Self-employed persons	—	—	1.05	1.87	4.08	6.74									
iv) Business Enterprises	—	—	0.16	2.07	4.71	6.63									
Total of I,II,III & IV	208.39	3558.45	7104.25	10445.97	11116.22	14291.38	25586.26	27692.32	29180.82	24443.58	26347.83	25483.87	18909.73	17260.99	100.00

(Contd.)

ANNEXURE – VIII (Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SSI BORROWERS															
(B) SCHEME RELATING TO INDUSTRIAL SECTOR															
V. Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981															
All SSI Units including cottage industries etc.	—	3716.43 [@]	4890.86	7497.46	7738.03	10464.66	14094.00	16826.21	17362.36	19161.92	15502.66	14176.95	13847.33	11271.33	
GRAND TOTAL (A)+(B)	208.39	7274.88	11995.11	17943.43	18854.25	24756.04	39680.26	44518.53⁺	46543.18⁺	43605.50	41850.49	39660.82	32757.06	28532.32	

[@] As on 31 March 1981

^{*} As on 31 December 1984

[^] Due to non-receipt of statements from several participating credit institutions the figures furnished in these columns have been estimated on the basis of (i) actual receipt of remittances towards guarantee fee during the year (ii) priority sector advances portfolio of Public Sector Banks, as reported to Reserve Bank of India.

^{\$} The sector-wise break-up of guaranteed advances is not available.

⁺ Consequent on allowing credit institutions to exclude certain categories of advances from priority sector advances for the year 1990-91 and 1991-92, the revised figures of guaranteed advances as at 31 March 1990 and 1991 would be provisionally Rs 35851.33 and Rs 37410.16 crore respectively.

[#] Terminated with effect from 1 April 1992.

ANNEXURE - IX

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES
RELATING TO SMALL BORROWERS

(Amount in crores of Rupees)

Period	Claims received		Claims disposed of		Of the claims disposed of (vide Columns 4 & 5)					
	No.	Amount	No.	Amount	Claims paid		Claims withdrawn		Claims rejected	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upto end of 1983	5,70,724	110.46	4,07,510	66.07	3,92,223	57.67	5,692	2.08	9,595	6.32
During 1984	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09	2,28,419	30.99	741	0.22	7,465	0.88
During 1985	4,53,722	114.91	4,66,611	114.45	3,36,663	71.80	1,19,770	41.97	10,178	0.68
During 1986	6,30,365	140.94	6,44,090	176.39	4,84,852	86.86	1,47,419	87.18	11,819	2.35
During 1987	10,71,221	255.27	7,67,080	148.41	7,42,061	141.92	25	0.07	24,994	6.42
During 1988-89	15,28,391	364.08	12,90,945	280.61	12,60,266	272.29	515	0.11	30,164	8.21
During 1989-90	15,03,349	355.75	15,98,791	346.58	15,72,389	338.58	1,209	0.30	25,193	7.70
During 1990-91	20,87,562	505.05	19,00,904	427.17	18,62,697	415.35	4,202	1.42	34,005	10.40
During 1991-92	16,52,076	409.97	15,91,028	360.14	15,39,574	345.06	4,421	1.58	47,033	13.50
During 1992-93@	36,81,272 @	883.29	24,92,375	565.95	24,08,086	538.63	62	0.06	84,227	27.26
During 1993-94@	46,72,885 @	1167.60	33,58,702	1026.36	32,88,353	816.44	5,782	188.79	64,567	21.13
During 1994-95@	47,93,205 @	1348.11	39,11,870	1100.26	38,60,522	1078.15	3,428	0.88	47,920	21.23
During 1995-96@	62,64,590 @	1841.06	35,09,601	1031.42	34,52,981	1006.28	738	1.53	55,882	23.61
Total A	2,91,64,054	7558.20	2,21,76,132	5675.90	2,14,29,086	5200.02	2,94,004	326.19	4,53,042	149.69

(Contd.2)

ANNEXURE – IX (Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
During 1996-97										
1. S.L.G. Scheme, 1971	59,97,049@	1842.05@	13,11,663	402.89	12,58,230	373.40	—	—	53,433	29.49
2. S.L. (F.C.) G. Scheme, 1971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. S.L. (Co-op. Banks) G. Scheme, 1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total B (1+2+3)	59,97,049@	1842.05@	13,11,663	402.89	12,58,230	373.40	—	—	53,433	29.49
Cum. of A+B	3,51,61,103@	9400.25@	2,34,87,795	6078.79	2,26,87,316	5573.42	2,94,004	326.19	5,06,475	179.18
Tapes Returned C			23,68,384\$	707.21\$			23,68,384\$	707.21\$		
GRAND TOTAL (A+B+C)	3,51,61,103@	9400.25@	2,58,56,179	6786.00	2,26,87,316	5573.42	26,62,388	1033.40	5,06,475	179.18

26

Break-up of Pending Claims

	<u>No.</u>	<u>Rs Crore</u>
1. Claims processed but payment held up for various reasons	8,37,429	293.46
2. Claims to be processed/under clarification	84,67,495 @	2600.87 @
Total	93,04,924 @	2894.33 @

\$ No. and value of claims on magnetic tapes returned to banks due to tape read error.

@ Provisional

Note : The total of claims shown in the break-up of pending claims is the net of grand total under receipts column and the claims disposed of column. The value has been worked out by multiplying the total number of claims with average disposed of claim value for the year 1996-97.

ANNEXURE - X

SECTOR-WISE BREAK-UP OF CLAIMS RECEIVED UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE
SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(Amount in crores of Rupees)

Sr. No.	Category of Borrowers	Total claims received upto 31 March 1996		Claims received during April 1996 to March 1997		% to total number in Col. 5	% to total amount in Col. 6	Cumulative total upto March 1997		% to total amount in Col. 10
		Number@	Amount@	Number@	Amount@			Number@	Amount@	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Farmers and Agriculturists	1,39,12,060	3432.68	31,02,274	887.87	51.73	48.20	1,70,14,334	4320.55	45.96
2.	Transport operators	10,36,457	591.79	1,73,315	129.86	2.89	7.05	12,09,772	721.65	7.68
3.	Retail Traders	80,01,810	2239.42	17,07,959	517.42	28.48	28.09	97,09,769	2756.84	29.33
4.	Professionals and Self-employed persons	23,39,998	581.69	3,76,015	131.15	6.27	7.12	27,16,013	712.84	7.58
5.	Business Enterprises	21,77,874	548.19	5,22,343	153.26	8.71	8.32	27,00,217	701.45	7.46
6.	Residual Category of Borrowers under DRI Scheme	16,04,816	144.88	93,554	12.17	1.56	0.66	16,98,370	157.05	1.67
7.	Credit Facilities for Consumption and for Purchase or Construction of Houses etc.	91,039	19.55	21,589	10.32	0.36	0.56	1,12,628	29.87	0.32
Total		2,91,64,054	7558.20	59,97,049	1842.05	100.00	100.00	3,51,61,103	9400.25	100.00

@ Provisional.

ANNEXURE – XI

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

(Amount in crores of Rupees)

Period	Claims received		Claims disposed of		Of the claims disposed of						Claims pending as at the end of the year	
	No.	Amount	No.	Amount	Claims paid		Claims withdrawn/returned under objection		Claims rejected		No.	Amount
					No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount		
1 Apr 1981 to 31 Dec 1981	1,308	1.74	-	-	-	-	-	-	-	-	1,308	1.74
1 Jan 1982 to 31 Dec 1982	4,013	9.40	3,105	2.13	1,542	0.37	1,537	1.72	26	0.04	2,216	9.01
1 Jan 1983 to 31 Dec 1983	9,325	32.58	7,328	12.93	5,184	3.43	2,066	9.00	78	0.50	4,213	28.66
1 Jan 1984 to 31 Dec 1984	18,300	53.98	9,522	13.73	7,855	9.91	1,610	2.92	57	0.90	12,991	68.91
1 Jan 1985 to 31 Dec 1985	22,048	71.99	22,791	25.08	18,264	12.06	4,116	11.61	411	1.41	12,248	115.82
1 Jan 1986 to 31 Dec 1986	33,723	104.92	30,299	67.07	19,695	24.10	10,261	40.30	343	2.67	15,672	153.67
1 Jan 1987 to 31 Dec 1987	44,711	131.68	40,206	88.16	38,099	69.09	1,580	8.26	527	10.81	20,177	197.19
1 Jan 1988 to 31 Mar 1989 (15 months)	93,716	216.90	81,351	156.56	67,002	92.78	13,542	48.54	807	15.24	32,542	257.53
1 Apr 1989 to 31 Mar 1990	74,894	192.58	1,01,579	368.08	82,046	169.96	16,971	126.85	2,562	71.27	5,857	82.03
1 Apr 1990 to 31 Mar 1991	83,809	243.71	76,148	249.25	65,694	131.81	8,968	71.53	1,486	45.91	13,518	76.49
1 Apr 1991 to 31 Mar 1992	78,447	217.26	80,510	255.67	66,728	117.23	12,825	106.83	957	31.61	11,455	38.08
1 Apr 1992 to 31 Mar 1993	1,29,968	259.98	1,18,147	243.21	1,00,751	94.92	16,261	110.35	1,135	37.94	23,276	54.85
1 Apr 1993 to 31 Mar 1994	1,44,165	323.16	1,23,031	287.72	93,008	73.55	25,728	162.22	4,295	51.95	44,410	90.29
1 Apr 1994 to 31 Mar 1995	1,89,593	378.71	1,92,791	409.31	1,53,743	100.86	34,446	235.51	4,602	72.94	41,212	59.69
1 Apr 1995 to 31 Mar 1996	1,91,034	524.17	1,55,448	308.01	78,857	35.99	69,005	180.39	7,586	91.63	76,798	275.85
1 Apr 1996 to 31 Mar 1997	1,18,423	270.32	1,01,098	291.49	6,967	5.24	72,715	193.59	21,416	92.66	94,123	254.68
Total	12,37,477	3033.08	11,43,354	2778.40	8,05,435	941.30	2,91,631	1309.62	46,288	527.48		

Branch-wise position of pending claims as on 31 March 1997

(Amount in crores of Rupees)

	No.	Amount
Calcutta	34,873	106.76
Chennai	1,356	4.67
Nagpur	5,168	13.77
New Delhi	52,726	129.48
Total	94,123	254.68

ANNEXURE – XII

STATEMENT SHOWING AMOUNT-WISE RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS DURING THE YEAR
1996-97 UNDER CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

(Amount in crores of Rupees)

Claims for amount	Claims pending as on 31 March 1996		Receipt during the year		Disposal during the year						Total disposal during the year		Claims pending as on 31 March 1997	
					Claims paid		Claims withdrawn/ returned under objection		Claims rejected					
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
Upto Rs.25,000/-	53,267	48.85	99,699	52.68	6,584	4.01	59,273	43.40	16,641	13.40	82,498	60.81	70,468	40.72
Above Rs.25,000/- and upto Rs.1 lakh	19,247	81.55	14,265	47.32	371	1.04	10,697	49.82	3,072	12.06	14,140	62.92	19,372	65.95
Above Rs.1 lakh and upto Rs.5 lakhs	3,527	78.78	3,365	70.21	12	0.19	2,141	48.77	1,312	30.88	3,465	79.84	3,427	69.15
Above Rs.5 lakhs and upto Rs.8 lakhs	344	21.59	493	31.35	—	—	274	17.68	182	11.41	456	29.09	381	23.85
Above Rs.8 lakhs	413	45.08	601	68.76	—	—	330	33.92	209	24.91	539	58.83	475	55.01
Total	76,798	275.85	1,18,423	270.32	6,967	5.24	72,715	193.59	21,416	92.66	1,01,098	291.49	94,123	254.68

ANNEXURE - XIII

STATEMENT INDICATING SCHEME-WISE BREAK-UP OF GUARANTEE FEE RECEIVED DURING THE YEARS 1981 TO 1996-97

(Amount in crores of Rupees)

Scheme	1981	1982	1983	1984	1986	1987	1988-89 (15 months)	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1. Small Loans Guarantee Scheme, 1971	23.29	30.50	35.70	47.69	69.00	79.56	101.51	389.32	331.90	351.44	431.74	665.36	631.64	496.90	396.43
2. Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971@	0.05	0.08	0.25	0.36	0.55	0.39	0.33	0.12	0.06	—	—	—	—	—	—
3. Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971@	*	*	*	*	*	*	*	0.01	0.01	0.01	—	—	—	—	—
4. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	—	—	0.01	0.09	0.14	0.26	0.31	0.16	0.20	0.21	0.12	0.14	0.03	0.01
5. Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981	16.87	27.09	35.22	39.85	57.61	65.08	89.79	204.07	192.59	214.23	270.83	180.61	197.35	207.71	167.58
Total	40.21	57.67	71.17	87.91	127.25	145.17	191.89	593.83	524.72	565.88	702.78	846.09	829.13	704.64	564.02

* 1981 Rs 39,000/-

* 1984 Rs 25,000/-

* 1982 Rs 73,000/-

* 1986 Rs 1,000/-

* 1983 Rs 14,000/-

* 1987 Rs 7,000/-

* 1988-89 Rs 58,000/-

@ These Schemes have been terminated with effect from 1 April 1992.

ANNEXURE - XIV

INVESTMENT OF DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND GENERAL FUND
IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON 31 MARCH 1997

(Amount in crores of Rupees)

Sr. No.	Particulars	Rate	Deposit Insurance Fund				Credit Guarantee Fund				General Fund			
			Face value	Book value	Value as per rates	% of value to Book value	Face value	Book value	Value as per rates	% of value to Book value	Face value	Book value	Value as per rates	% of value to Book value
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(A) Securities which have depreciated :														
1.	88008 11.50% Loan 2008	88.31	13.84	13.32	12.22	91.74	0.36	0.34	0.32	94.12	—	—	—	—
2.	89009 11.50% Loan 2009	87.95	125.96	126.25	110.78	87.75	86.02	86.03	75.65	87.93	—	—	—	—
3.	91012 11.50% Loan 2011	87.23	82.18	81.20	71.69	88.29	7.82	7.58	6.82	89.97	—	—	—	—
4.	94007 11.64% G.S. 2000	97.02	105.56	105.96	102.41	96.65	34.44	34.46	33.41	96.95	—	—	—	—
5.	94009 11.75% G.S. 2001	95.65	51.87	51.09	49.61	97.10	96.89	93.20	92.68	99.44	—	—	—	—
6.	91020 12% Loan 2011	90.33	121.45	121.12	109.71	90.58	303.66	301.21	274.30	91.07	—	—	—	—
7.	92003 12% Loan 2007	94.29	160.15	160.78	151.01	93.92	223.85	224.79	211.07	93.90	—	—	—	—
8.	94003 12.50% G.S. 2004	95.00	39.53	40.39	37.94	93.93	100.00	101.25	96.00	94.81	—	—	—	—
9.	93002 12.70% G.S. 2001	98.69	—	—	—	—	75.00	75.15	74.02	98.50	—	—	—	—
10.	93001 12.60% G.S. 2000	99.47	—	—	—	—	45.00	45.09	44.76	99.27	—	—	—	—
11.	95020 13.85% G.S. 2000	102.19	—	—	—	—	10.40	10.65	10.63	99.81	—	—	—	—
12.	82005 9% Loan 2013	70.36	107.91	106.04	75.93	71.60	1.34	1.34	0.94	70.15	6.88	6.89	4.84	70.25
13.	84010 10.50% Loan 2014	79.56	55.98	55.96	44.53	79.57	—	—	—	—	7.39	7.38	5.88	79.67
14.	86007 11.50% Loan 2006	89.48	105.85	107.04	94.71	88.48	—	—	—	—	2.00	2.00	1.79	89.50
15.	85007 11.50% Loan 2015	86.24	87.12	87.14	75.13	86.22	—	—	—	—	11.10	11.12	9.57	86.06
16.	83004 10% Loan 2014	76.57	80.48	80.35	61.63	76.70	—	—	—	—	10.33	10.35	7.91	76.43
17.	84005 10.25% Loan 2012	79.00	39.57	39.62	31.26	78.90	—	—	—	—	10.26	10.27	8.11	78.96
18.	75002 6.50% Loan 2003	72.38	2.66	2.66	1.93	72.56	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	78002 6.75% Loan 2006	65.43	18.86	18.86	12.34	65.43	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	78007 6.75% Loan 2007	62.72	1.12	1.12	0.70	62.50	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	79002 7% Loan 2009	61.91	40.68	40.71	25.18	61.85	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	80003 7.50% Loan 2010	63.43	58.45	56.48	37.08	65.65	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	81005 8% Loan 2011	65.53	135.83	126.03	89.01	70.62	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	82013 8.75% Loan 2010	70.02	3.79	3.78	2.65	70.10	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	84002 9.50% Loan 2008	77.13	23.84	23.61	18.39	77.89	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	87011 11.50% Loan 2007	88.65	0.03	0.03	0.03	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	93007 13.12% G.S. 1999	101.28	1.55	1.68	1.57	93.45	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	95011 13.50% G.S. 1997	101.40	38.37	39.26	38.91	99.11	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	95003 13.25% G.S. 2000	101.09	110.01	111.27	111.21	99.95	—	—	—	—	—	—	—	—
Total (A)			1612.64	1601.75	1367.56		984.78	981.09	920.60		47.96	48.01	38.10	

(Contd.)

ANNEXURE - XIV (Contd.)

INVESTMENT OF DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND GENERAL FUND
IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON 31 MARCH 1997

(Amount in crores of Rupees)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(B) Securities which have appreciated :															
1.	92006	12.30% G.S. 1998	-101.78	36.40	36.40	37.05	101.79	44.55	44.61	45.34	101.64	—	—	—	
2.	93005	13.40% G.S. 2002	100.50	70.92	71.27	71.27	100.00	88.88	89.32	89.32	100.00	—	—	—	
3.	94004	12% G.S. 1999	101.78	—	—	—	—	6.00	5.82	6.11	104.98	—	—	—	
4.	94010	11.55% G.S. 2002	93.89	—	—	—	—	41.61	38.68	39.07	101.00	—	—	—	
5.	95003	13.25% G.S. 2000	101.09	—	—	—	—	47.89	48.28	48.41	100.27	—	—	—	
6.	92004	12% G.S. 1997	100.00	—	—	—	—	51.00	50.99	51.00	100.02	—	—	—	
7.	96001	13.65% G.S. 1999	102.10	11.86	11.98	12.11	109.09	8.02	8.19	8.19	100.00	—	—	—	
8.	95016	4 years GOI Floating Rate Bonds 1999	100.98	—	—	—	—	15.42	15.42	15.57	100.97	—	—	—	
9.	95012	14% G.S. 2005 (Instalment)	103.65	5.90	5.90	6.12	103.73	30.60	30.60	31.72	103.66	13.50	13.50	13.99	103.63
10.	96006	13.50% G.S. 1998 (Conversion)	103.20	47.48	47.49	49.00	103.18	99.99	100.33	103.19	102.85	—	—	—	
11.	96007	13.75% 5 year G.S. 2001	101.88	8.60	8.60	8.76	101.86	10.09	10.09	10.28	101.88	—	—	—	
12.	96008	13.70% G.S. 1999	103.11	21.40	21.56	22.06	102.32	33.07	33.24	34.09	102.56	—	—	—	
13.	94006	12.08% G.S. 2001	96.81	—	—	—	—	13.72	12.87	13.29	103.26	—	—	—	
14.	94002	'O' GOI Coupon Bonds 1999	80.55	110.18	61.07	88.75	145.32	4.12	2.96	3.32	112.16	—	—	—	
15.	94013	'O' GOI Coupon Bonds 2000 (IInd Series)	68.88	0.01	0.01	0.01	100.00	17.96	10.68	12.37	115.82	—	—	—	
16.	96014	13.62% G.S. 1998 (2 years)	102.70	35.15	35.32	36.10	102.21	7.60	7.63	7.80	102.36	—	—	—	
17.	96016	13.82% G.S. 2002	102.10	6.19	6.22	6.32	101.61	53.25	53.48	54.36	101.65	2.06	2.06	2.10	101.94
18.	96004	13.85% G.S. 2001	102.25	94.32	95.50	96.44	100.98	9.88	10.10	10.10	100.00	6.80	6.95	6.95	100.00
19.	95006	14% G.S. 2005	103.65	—	—	—	—	29.12	29.88	30.18	101.00	0.48	0.49	0.50	102.04
20.	96018	13.55% G.S. 2001	102.20	—	—	—	—	1.25	1.25	1.28	102.40	—	—	—	
21.	96019	13.40% G.S. 1999	102.35	—	—	—	—	5.00	5.00	5.12	102.40	—	—	—	
22.	95010	13.65% G.S. 1998	103.03	20.37	20.42	20.99	102.79	120.91	121.10	124.58	102.87	—	—	—	
23.	95011	13.50% G.S. 1997 (IInd Issue)	101.40	—	—	—	—	104.03	104.70	105.49	100.75	0.05	0.05	0.05	100.00
24.	94009	11.75% G.S. 2001	95.65	—	—	—	—	—	—	—	—	0.19	0.18	0.18	100.00
25.	72001	5.75% Loan 2000	73.17	3.00	1.86	2.19	117.74	—	—	—	—	—	—	—	
26.	95001	GOI 'O' Coupon Bonds 2000	69.95	3.93	2.12	2.75	129.71	—	—	—	—	—	—	—	
27.	95006	14% G.S. 2005	103.65	53.40	54.82	55.35	100.97	—	—	—	—	—	—	—	
28.	95020	13.85% G.S. 2000	102.19	1.95	1.96	1.99	101.53	—	—	—	—	—	—	—	
29.	96013	GOI 'O' Coupon Bonds 2000	68.88	3.10	1.88	2.14	113.83	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL 'B'				534.16	484.38	519.40		843.96	835.22	850.18		23.08	23.23	23.77	
TOTAL 'A'				1612.64	1601.75	1367.56		984.78	981.09	920.60		47.96	48.01	38.10	
TOTAL 'A' + 'B'				2146.80	2086.13	1886.96		1828.74	1816.31	1770.78		71.04	71.24	61.87	

AUDITORS' REPORT

Habib & Co.,
Chartered Accountants,
Patharia Palace,
75, Mohamedali Road,
Mumbai-400 003.

We have audited the attached Balance Sheets of (i) Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) the General Fund of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation as at 31 March 1997 and also the Revenue Accounts of the said Funds attached thereto for the year ended on that date and report that :

1. we have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit,
2. the said Balance Sheets and Revenue Accounts have been prepared and set out in the manner prescribed by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961,
3. in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts subject to Note 1 regarding the balances in the accounts of the participating banks under Deposit Insurance Scheme being subject to reconciliation with the subsidiary records and read with the accounting policies and other notes thereon exhibit a true and fair view :
 - (a) in the case of the Balance Sheets of (i) Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) General Fund of the state of affairs of the Corporation as at 31 March 1997
and
 - (b) in the case of the Revenue Accounts (i) of the surplus in the case of Deposit Insurance Fund and (ii) of the deficit in the case of Credit Guarantee Fund and General Fund of the Corporation for the year ended on that date.

For Habib & Company
Chartered Accountants

(A. Y. Kably)
Partner

Place : Mumbai
Dated : 28 June 1997

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 –
Balance Sheet as at the close
I – DEPOSIT INSURANCE FUND

<u>Previous Year</u>		LIABILITIES	<u>Deposit Insurance Fund</u>		<u>Credit Guarantee Fund</u>	
<u>Deposit Insurance Fund</u>	<u>Credit Guarantee Fund</u>					
<u>Rupees</u>	<u>Rupees</u>		<u>Rupees</u>	<u>Rupees</u>	<u>Rupees</u>	<u>Rupees</u>
2027300000.00	17754300000.00	1.	Fund (Balance at the end of the year)	2985100000.00		29259300000.00
24511676.95	—	2.	Surplus Balance (as per Revenue Account annexed)	—		—
1842276568.67	672021315.52	3.	Investment Reserve: Balance at the beginning of the year	2607262145.88	1039161606.91	
764985577.21	367140291.39		Add: Amount provided for during the year	—	—	
2607262145.88	1039161606.91			2607262145.88	1039161606.91	1039161606.91
	128580280.65	4.	Claims intimated and claims admitted but not paid	—		3083455974.89
66799000.00	17117845000.00	5.	Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted	452739000.00		27052883000.00
8776063.20	—	6.	Insured deposits remaining unclaimed	8211228.45		—
614587909.96	123166791.24	7.	Other Liabilities			
15388989760.84	—	i)	Sundry Creditors	—	316075770.52	
1208145000.00	—	ii)	Credit Guarantee Fund	19139173252.89	—	
		iii)	Provision for Income Tax	1208145000.00	—	
17211722670.80	123166791.24	iv)	Sundry Deposit A/c	732755301.31	—	
				21080073554.20		316075770.52
21946371556.83	36163053678.80	Total		27133385928.53		60750876352.32

As per our report of even date.

For M/s Habib & Co.
Chartered Accountants

R.V. Gupta
Chairman

S. Gurumurthy
Director

Gangadhar Gadgil
Director

Partner

S.H. Khan
Director

D.S.R. Simhudu
Chief General Manager

Mumbai
Dated : 28 June 1997

**DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
Revenue Account for the
I — DEPOSIT INSURANCE FUND**

<i>Previous Year</i>		EXPENDITURE	<i>Deposit Insurance Fund</i>		<i>Credit Guarantee Fund</i>	
<i>Deposit Insurance Fund</i>	<i>Credit Guarantee Fund</i>		<i>Rupees</i>	<i>Rupees</i>	<i>Rupees</i>	<i>Rupees</i>
<i>Rupees</i>	<i>Rupees</i>					
		To Claims —				
87548323.09	10194198571.76	a) Paid during the year	39121865.34		36496150.55	
—	128580280.65	b) Admitted but not paid	—		3083455974.89	
		<i>Add:</i>				
66799000.00	17117845000.00	Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the year	452739000.00		27052883000.00	
154347323.09	27440623852.41		491860865.34		33785943125.44	
		<i>Less:</i>				
159236000.00	10173290000.00	Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the previous year	66799000.00		17117845000.00	
		<i>Add:</i>				
71687000.00	—	Excess provision written back (per contra)	55204009.66		—	
66798323.09	17267333852.41	Net Claims		480265875.00		16668098125.44
764985577.21	367140291.39	To Provision for depreciation in the value of investment		—		—
		To Provision and contingencies (Ref.Note 1)				1322547.17
		To Loss on sale of investment		5991996.25		626150.00
2027300000.00	17754300000.00	To Balance of Fund at the end of the year (as per actuarial valuation)		2985100000.00		29259300000.00
3329742921.47	—	To Net surplus carried down		3725671815.10		—
6188826821.77	35388774143.80	Total		7197029686.35		45929346822.61
—	3321619714.43	To Net deficit brought down		—		16869644403.80
3321619714.43		To Transfer to DIF (per contra)		—		—
24511676.95	—	To Transfer to Credit Guarantee Fund		3750183492.05		—
		To Balance carried to Balance Sheet				
3346131391.38	3321619714.43	Total		3750183492.05		16869644403.80

Note 1 represents provision for doubtful dues.

As per our report of even date.

For **M/s Habib & Co.**
Chartered Accountants

R.V. Gupta
Chairman

S. Gurumurthy
Director

Gangadhar Gadgil
Director

Partner

S.H. Khan
Director

D.S.R. Simhudu
Chief General Manager

Mumbai
Dated : 28 June 1997

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
'B')
year ended 31 March 1997
AND CREDIT GUARANTEE FUND

<i>Previous Year</i>		INCOME	<i>Deposit</i>	<i>Credit</i>	<i>Deposit</i>	<i>Credit</i>
<i>Insurance</i>	<i>Guarantee</i>		<i>Insurance</i>	<i>Guarantee</i>	<i>Insurance</i>	<i>Guarantee</i>
<i>Fund</i>	<i>Fund</i>		<i>Fund</i>	<i>Fund</i>	<i>Fund</i>	<i>Fund</i>
<i>Rupees</i>	<i>Rupees</i>		<i>Rupees</i>	<i>Rupees</i>	<i>Rupees</i>	<i>Rupees</i>
1688500000.00	17927100000.00	By	Balance of Fund at the beginning of year		2027300000.00	17754300000.00
2264288982.69	—	By	Deposit insurance premia (including interest on overdue premia)		2536709530.75	—
—	7046492937.88	By	Guarantee Fee (including interest on overdue guarantee fee)		—	5720030330.63
197764379.86	4263255965.81	By	Recoveries in respect of deposit insurance claims settled/guarantee claims paid including interest on overdue repayments		75343872.66	2593500176.16
71687000.00	—	By	Excess provision for Deposit Insurance Claims written back (per contra)		55204009.66	—
509300.00	26350425.00	By	Income from Investments (Gross)		—	—
1865317395.22	2757365593.68	By	Profit from Investment		2431821891.28	2884063134.02
				<i>Deposit Insurance Fund</i>	<i>Credit Guarantee Fund</i>	
			Tax deducted at source for 1996-97	475087025.00	507902918.00	
			Previous year	379066591.00	548371103.00	
100759764.00	46589407.00	By	Interest on Advance Tax/TDS		70650382.00	107808778.00
—	3321619714.43	By	Net deficit carried down		—	16869644403.80
<u>6188826821.77</u>	<u>35388774043.80</u>		Total		<u>7197029686.35</u>	<u>45929346822.61</u>
16388469.91	—	By	Balance brought forward from last year		24511676.95	—
3329742921.47	—	By	Net surplus brought down		3725671815.10	—
—	3321619714.43	By	Transfer from Deposit Insurance Fund (per contra)		—	3750183492.05
		By	Balance carried to Balance Sheet		—	13119460911.75
<u>3346131391.38</u>	<u>3321619714.43</u>		Total		<u>3750183492.05</u>	<u>16869644403.80</u>

B.B. Vyas
Director

N.P. Sarda
Director

P.W. Rege
Director

P.N. Joshi
Director

Rashid Jilani
Director

K. Prasad
Deputy General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 –
Balance Sheet as at the close
II — GENERAL

<i>Previous Year (Rupees)</i>	LIABILITIES	<i>Rupees</i>	<i>Rupees</i>
	1. CAPITAL		
500000000.00	Provided by the Reserve Bank of India under Section 4 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961		500000000.00
	2. RESERVE		
	A) General Reserve		
88710643.56	Balance at the beginning of the year	133590333.62	
140000000.00	Add: Financial Assistance received from RBI to meet staff expenses	<u>70000000.00</u> 203590333.62	
95120309.94	Less: Deficit transferred from Revenue Account	<u>50301636.22</u>	
<u>133590333.62</u>	Balance at the end of the year		153288697.40
	B) Investment Reserve		
163847374.26	Balance at the beginning of the year		163847374.26
<u>2250640.32</u>	C) Capital Reserve		2250640.32
	3. CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
78039914.33	Outstanding Expenses	62924699.01	
1436276.60	Sundry Creditors	465893.95	
<u>22300000.00</u>	Provisions for Income Tax	<u>22300000.00</u>	
101776190.93			85690592.96
<u>901464539.13</u>	Total		<u>905077304.94</u>

As per our report of even date.

For M/s Habib & Co.
Chartered Accountants

R.V. Gupta
Chairman

S. Gurumurthy
Director

Gangadhar Gadgil
Director

Partner

S.H. Khan
Director

D.S.R. Simhudu
Chief General Manager

Mumbai
Dated : 28 June 1997

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A'
of business on 31 March 1997
FUND

<i>Previous Year (Rupees)</i>	ASSETS	<i>Rupees</i>	<i>Rupees</i>
	1. CASH		
12221.03	i) In hand	14352.38	
766875.26	ii) With RBI	778875.29	
<u>779096.29</u>			<u>793227.67</u>
	2. INVESTMENT IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES (AT COST)		—
768821977.90	Treasury Bills	712480852.90	—
	Dated Securities	44736219.00	757217071.90
774710000.00	Face Value	710380000.00	
619511217.22	Market Value	618743694.88	
<u>23741046.37</u>			<u>21677034.69</u>
	3. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENT		
	4. OTHER ASSETS		
4516005.61	a) Furniture, fixture and equipment less depreciation (refer note 1)	4370115.11	
178230.95	b) Stock of stationery	595003.93	
84227.86	c) Pre-paid expenses	133840.36	
9807259.15	d) Advances for expenses, staff allowances receivable from RBI etc. and other deposits	4302804.28	
93536695.00	e) Income Tax deducted at source	95116939.00	
	f) Refund receivable	20871268.00	
	g) Amount Due From		
	i) Credit Guarantee Fund	—	
108122418.57	ii) Deposit Insurance Fund	—	125389970.68
<u>901464539.13</u>	Total		<u>905077304.94</u>

Note 1: Includes an amount of Rs 7,67,188 being the value of items under
Furnishing of Officers' Residences Scheme

B.B. Vyas
Director

N.P. Sarda
Director

P.W. Rege
Director

P.N. Joshi
Director

Rashid Jilani
Director

K. Prasad
Deputy General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Form 'B'
Revenue Account for the year ended 31 March 1997
II — GENERAL FUND

Previous Year (Rupees)	EXPENDITURE	Amount (Rupees)	Previous Year (Rupees)	INCOME	Amount (Rupees)
128678595.60	To Salaries & Allowances and contribution to staff provident fund	103318846.79	67557857.17	By Income from Investment (Gross) (Tax deducted at source Rs.1,84,11,912.00 Previous Year Rs.1,66,02,127.00)	80463892.82
9673701.10	.. Contribution to staff pension and gratuity fund	5568412.15			
800.00	.. Directors' and Committee Members' fees	6300.00	2310423.94	.. Recoveries in claims paid account in Government of India's Credit Guarantee Schemes for Small Scale Industries (Old)	1567170.68
34833.00	.. Directors' and Committee Members' travelling and other allowances	38114.10			
19296881.04	.. Rent, taxes, insurance, lighting etc.	14496041.70	93762.21	.. Miscellaneous Receipts	161608.85
1773980.50	.. Establishment, travelling and halting allowances	1710053.05	2057909.00	.. Interest on Advance Tax / Tax deducted at source	4039600.00
254843.00	.. Computer consumables (Ref Note I)	63133.75	95120309.94	.. Balance being excess of expenditure over income for the year carried down	50301636.22
621757.27	.. Printing and stationery	742616.84			
507042.53	.. Postage, telegrams and telephones	534186.80			
49000.00	.. Auditors' fees	49000.00			
736779.00	.. Legal charges	305963.00			
4490123.11	.. Miscellaneous expenses (Ref Note II)	8577046.83			
1021926.11	.. Depreciation	1124193.56			
—	.. Provision for depreciation on investment	—			
—	.. Balance being excess of income over expenditure for the year carried down	—			
<u>167140262.26</u>	TOTAL	<u>136533908.57</u>	<u>167140262.26</u>	TOTAL	<u>136533908.57</u>
95120309.94	.. Balance brought down	50301636.22	95120309.94	.. Balance being excess of Expenditure over Income transferred to General Reserve	50301636.22
—	.. Balance being excess of income over expenditure transferred to General Fund	—	—	.. Balance brought down	—
<u>95120309.94</u>	TOTAL	<u>50301636.22</u>	<u>95120309.94</u>	TOTAL	<u>50301636.22</u>

Note I. Net adjustment of Rs 2,20,729 relating to previous year.

II. Includes Rs 27,60,000 representing repayment of claims under Credit Guarantee SSI (Old) Scheme relating to earlier years.

As per our report of even date.

For M/s. **Habib & Co.**
Chartered Accountants

R.V. Gupta
Chairman

S. Gurumurthy
Director

B.B. Vyas
Director

N.P. Sarda
Director

P.W. Rege
Director

Partner

S.H. Khan
Director

P.N. Joshi
Director

Rashid Jilani
Director

Gangadhar Gadgil
Director

Mumbai
Dated : 28 June 1997

D.S.R. Sindhud
Chief General Manager

K. Prasad
Dy. General Manager

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. General

The financial statements are prepared by following going concern concept and on the historical cost basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the country.

2. Recognition of Income and Expenditure

- i) Items of income and expenditure are generally accounted for an accrual basis unless otherwise stated.
- ii) Receipts towards deposit insurance premia and guarantee fees are generally appropriated as revenue income on receipt of relevant statements of deposits and guaranteed advances and in cases, where such statements are not received till the finalisation of accounts, ad-hoc payments, if any, made by the participating credit institutions are recognised as income, if considered adequate, when compared with the previous years' records. Un-adjusted amounts are carried forward under the head 'Sundry Creditors'.
- iii) Pending the assessment of the guarantee fees due from the banks/credit institutions, which have opted out of the Credit Guarantee Schemes in respect of the claims lodged by them after their opting out is accounted on receipt basis.
- iv) Unrealised amount of deposit insurance premia and guarantee fee is not recognised as income, unless the relevant statements are received from the participating credit institutions.
- v) Penal interest for delay in payment of guarantee fee and insurance premia is accounted as income upto the date of last such payment by the credit institutions and interest on outstanding amount of premia/guarantee fee is not recognised as income.
- vi) The recovery (including penal interest) by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled/guarantee claims paid is accounted in the year in which it is received. Likewise, recoveries in respect of claims settled and subsequently found not eligible are accounted for when realised/adjusted.
- vii) Interest on investment is accounted on accrual basis.

viii) Provision for year end liability in respect of claims intimated but not admitted pertaining to Credit Guarantee Fund is made on prudential basis taking into consideration the past trends.

ix) In conformity with the Accounting Standard AS-4 issued by the Institute of Chartered Accountants of India adequate provision is made towards the liability estimated to devolve under the Deposit Insurance Scheme on the events like liquidation/amalgamation of weak banks occurring between the date of balance sheet and the date of finalisation of balance sheet.

x) Adequate provision is made on the basis of actuarial valuation of the liability towards fund balances as at the end of the year in respect of Credit Guarantee Fund and Deposit Insurance Fund.

xi) The claims for refund of guarantee fees and of repayments against claims settled are accounted for on such refund claims being admitted by the Corporation. The year end liability towards such refund claims (including cases falling under Agricultural Rural Debt Relief Scheme, 1990) and its impact on the actuarial valuation of fund balances as at the close of the year remain undetermined.

xii) Claims for reimbursement from RBI against certain establishment expenses, such as, salaries and allowances are accounted on realisation basis.

3. Investments

- i) All investments are current investments and held as stock-in-trade. The same are valued scrip-wise at cost or market value whichever is lower. For the purpose of valuation RBI rates/NSE quotations, where available, are taken as market rate and where the recent rates are not available the securities are valued at indicative market rates on the basis of yield to maturity method, as per the guidelines of RBI as applicable to banks/financial institutions. Since the investments are held as current investments the difference, if any, between the acquisition price and the redemption price is not amortised.

- ii) Provision for diminution in the value of securities is not deducted from investments in the balance sheet but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed proforma of statement of accounts.
- iii) The difference between acquisition cost and redemption value of zero coupon bonds is recognised as income on accrual basis proportionately in each financial year over the term of bonds and the interest so recognised is added to the carrying value of such bonds.
- iv) Inter Fund transfer of securities is made at cost price.

4. Fixed Assets

- i) Fixed assets are stated at cost less depreciation.
- ii) Depreciation on fixed assets other than computer and accessories is provided according to the diminishing balance method at the following rates :

Premises	5 per cent
Furniture & Fixtures	10 per cent
Office Equipments	15 per cent

Depreciation on computer and accessories is provided at the rate of 20 per cent on straight line basis.

- iii) Depreciation on addition to the assets is provided for the full year and no depreciation is provided on assets sold/ disposed of during the year.
- iv) In the case of assets provided to staff members under the "Furnishing of Officers' Residence" Scheme, depreciation as per the procedure prescribed by RBI is provided each year in the month of June on the value of the assets acquired under the said scheme till the end of preceding calendar year.

5. Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old)

As per arrangements arrived at with the Government, from time to time part of recoveries effected towards subrogation rights in respect of claims paid under the Government of India's Credit Guarantee Scheme for SSI (Old) is being accounted for the Revenue

Account of General Fund under Section 24 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, towards cost of establishment expenditure for managing the residual work of the said scheme.

6. Employees' Cost

Employees' cost such as salaries, allowances, contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with Reserve Bank of India, since all the staff of the Corporation is on deputation from the Reserve Bank of India.

7. Financial Assistance from RBI

Financial assistance from the Reserve Bank of India towards staff expenses is accounted on realisation basis and it is credited to the General Reserve Account, as such financial assistance is not in the nature of regular revenue income of the Corporation.

8. Prior Period Income/Expenditure

- i) Income and expenditure over Rs.25,000/- in each case pertaining to prior period items arising in current period on account of errors and omissions are considered as prior period credits/debits.
- ii) Prepaid expenses are not recognised unless the amount involved exceeds Rs.1,000/- in each case.

NOTES TO ACCOUNTS

1. In the case of Deposit Insurance Scheme the new computer programme not being fully stabilised, the subsidiary records of the insured banks remain to be updated and hence the amount due to/from them amounting to Rs 7,327.55 lakh and Rs 68.60 lakh respectively, as shown in the balance sheet are subject to reconciliation and necessary adjustments on subsidiary records being compiled.
2. Of the advance tax payments and tax deducted at source of Rs 9855.13 lakh relating to Deposit Insurance Fund, Rs 2862.18 lakh relating to Credit Guarantee Fund and Rs 429.77 lakh relating to General Fund, have been adjusted by the Income Tax authorities against assessed tax for the assessment years 1990-91 to 1995-96, which are disputed in appeals against which provision of Rs 12,081.45 lakh and Rs 223.00 lakh is held in the Deposit Insurance Fund and General Fund respectively.

AN OUTLINE OF FUNCTIONS AND ACTIVITIES

INTRODUCTION :

1.1 Insurance of bank deposits is intended to give a measure of protection to depositors, particularly small depositors, from the risk of loss of their savings arising from bank failures. Such protection by infusing confidence in the minds of the public, contributes to the growth of banking system by assisting in development of banking habits and mobilisation of resources by the banks which in turn can be utilised for purposes accorded national priority. Establishment of the Deposit Insurance Corporation came in the wake of certain bank failures in the fifties and early sixties and consequent efforts to restore the confidence of the depositing public in the banking system by safeguarding their interests.

1.2 The introduction of Credit Guarantee Schemes by the erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was part of a series of measures taken since the late sixties aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit requirements of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of society. In the wake of the social control measures initiated in 1968 followed by nationalisation of major commercial banks, the banks were required to ensure an increased flow of credit to smaller borrowers who found it difficult to have access to institutional credit. While there was an increasing awareness among banks of the need to provide more credit to such borrowers, certain practical difficulties, largely stemming from hesitation on the part of the credit institutions to venture into new and riskier fields of lending as also their inhibition, particularly at the grassroot level, to lend except against easily realisable security, were encountered. The Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was thus visualised as an agency to provide a simple but wide-ranging system of guarantees for loans granted by credit institutions to such small and needy borrowers.

1.3 With a view to integrating the above twin and cognate functions the two organisations were merged in July 1978 and the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

DEPOSIT INSURANCE SCHEME :

Institutional Coverage

2. The Deposit Insurance Scheme was introduced

with effect from 1 January 1962. The Scheme provides automatic coverage for deposits with all commercial banks (including regional rural banks) received in India. Following an amendment to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act in 1968, similar coverage is also extended in respect of deposits with co-operative banks in such of the States/ Union Territories as have passed the necessary enabling legislation amending their local Co-operative Societies Acts. In terms of geographical coverage, the benefit of deposit insurance now stands extended to the entire banking system leaving uncovered only 10 co-operative banks in such of the States/Union Territories as have yet to pass the necessary legislation.

Extent of Insurance Cover

3. Under the Scheme, in the event of liquidation, reconstruction or amalgamation of an insured bank, every depositor of that bank is entitled to repayment of his deposits held by him in the same right and capacity in all branches of that bank upto a monetary ceiling of Rs 1,00,000/-.

Insurance Premium

4. The consideration for extension of insurance coverage to banks is payment of an insurance premium. The premium at the rate of 5 paise per annum per hundred rupees is collected at half yearly intervals. The banks are required to bear this fee so that the protection of insurance is available to the depositors free of cost. Penal interest @8% above Bank Rate is charged on overdue premium.

Payment of Insurance Claims

5.1 When a bank goes into liquidation the Corporation pays to every depositor, through the liquidator, the amount of deposits upto Rs 1,00,000/-. When a bank is reconstructed or amalgamated with another bank and the scheme of reconstruction or amalgamation does not entitle the depositor to get credit for the full amount of his deposit, the Corporation pays to each depositor the difference between the full amount of his deposit (or Rs 1,00,000/- whichever is less) and the amount actually received by him under the scheme of reconstruction/amalgamation.

5.2 After settling a claim, the liquidator/transferee bank is required to repay to the Corporation, by virtue of the rights of subrogation, recoveries effected

by him/it from out of assets of the insured bank in liquidation/amalgamation.

CREDIT GUARANTEE SCHEMES

Extension of Guarantee Support

6.1 The erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was operating three credit guarantee schemes pertaining to advances to certain specified categories of small borrowers and with the transfer of this undertaking to the Deposit Insurance Corporation in July 1978, the Deposit Insurance Corporation took over those credit guarantee functions also. The three credit guarantee schemes which were formulated by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. and continued by the Corporation, were intended to provide the necessary incentive to financial institutions for extending needbased credit to small borrowers (including farmers) engaged in non-industrial activities.

6.2 A credit guarantee scheme for small-scale industries sponsored and formulated by the Government of India and administered by the Credit Guarantee Organisation (Reserve Bank of India) had been in operations since July 1960. In pursuance of the recommendations of a Working Group constituted by the Government in 1979, it was decided to integrate all credit guarantee schemes under one organisation. Accordingly, this scheme was cancelled by the Government of India in March 1981 and the Corporation, in its place introduced a new scheme with effect from 1 April 1981 covering advances to small scale industries by commercial banks and other financial institutions. The Corporation was also entrusted with the responsibility of discharging the obligations arising out of or accruing under the cancelled scheme, upto the date of cancellation, as an agent of the Government. With the integration of credit guarantee functions relating to small scale industries, the Corporation has been providing guarantee support to a substantial amount of credit granted to the priority sectors.

6.3 Effective from 1 April 1989 and pursuant to the recommendations of the Expert Committee, 1987, the scope of the credit guarantee schemes has been enlarged to cover the entire gamut of priority sector advances as defined by the Reserve Bank of India. However, at the request of some participating credit institutions, the Corporation has allowed exclusion of certain categories of advances guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc. from total priority sector advances for the purpose of payment of

guarantee fee and consequently these advances ceased to get Corporation's guarantee cover.

Aims, Description and Coverage

7.1 Corporation's various credit guarantee schemes in operation till end March 1992 were as indicated below :

- (i) Small Loans Guarantee Scheme 1971
- (ii) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971.
- (iii) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971.
- (iv) Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981.
- (v) Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982.
- (vi) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984.

7.2 With the termination of the schemes at (ii), (iii) and (v) above with effect from 1 April 1992, the Corporation presently operates the following three schemes:

- (i) The Small Loans Guarantee Scheme, 1971, which came into force on 1 April 1971, covers credit facilities granted by commercial banks including regional rural banks to the priority sector (other than small scale industries) as defined by Reserve Bank and this includes farmers and agriculturists, small road and water transport operators, retail traders, small business enterprises, professional and self-employed persons and educational, housing and consumption loans.
- (ii) The Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 was introduced from 1 April 1981 and it covers credit facilities granted by commercial banks including regional rural banks, co-operative banks, State Financial Corporations and State Development Agencies to small-scale industries units for acquisition of or repairs to or replacement of fixed assets or equipment and for working capital requirements for production and marketing of products.
- (iii) The Small Loans (Co-operative Banks)

Guarantee Scheme, 1984 covers credit facilities granted by eligible primary (urban) co-operative banks to the priority sector as defined by Reserve Bank, including activities allied to agriculture, road and water transport operators, retail traders, small business enterprises, professional and self-employed persons and educational, housing and consumption loans. All eligible licensed primary (urban) co-operative banks are as defined in clause (gg) of Section 2 of the DICGC Act, 1961 as well as eligible unlicensed primary (urban) co-operative banks recommended by the Reserve Bank of India as eligible, can participate in the Scheme.

The salient features of various schemes in operation are tabulated in the Annexure.

Guarantee Fee

8. The consideration for extension of the guarantee cover is the payment of guarantee fee at the stipulated rates calculated on the balances outstanding under the priority sector advances (except certain specified categories) and paid yearly in advance by the credit institutions. The fee rate is 2.50 per cent per annum for the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 only. The regional rural banks are however, allowed to pay the fee at half the normal rate (i.e. @ 1.25 per cent per annum) for first five years from the date of their joining the Scheme. The guarantee fee rate for two other schemes viz. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 and Small Loans (SSI) Guarantee Scheme 1981, is 1.50 per cent per annum. The fee is required to be paid regularly and in advance on an annual basis in order to keep the guarantee in force. Penal interest @ 8% above Bank Rate is charged on overdue guarantee fee.

GUARANTEE COVER — KEY CHARACTERISTICS

Automatic Bulk Coverage

9.1 The guarantee cover is available to those credit institutions which join the schemes by entering into necessary agreements with the Corporation and paying the fee regularly at the prescribed rates. The schemes are operated on an automatic bulk coverage basis under which all eligible advances get automatically covered right from the date of their first disbursement without requiring the credit institutions to make a prior application to the Corporation for covering each credit facility.

Therefore, it is not open to participating credit institutions to exclude any eligible credit facility from the purview of guarantee cover.

Benefit confined to "Priority Sector" borrowers

9.2 The guarantee schemes are meant to provide cover for advances granted to small borrowers in the priority sector who without such support may find it difficult to have access to institutional credit. To ensure that the benefits thereof do not gravitate to more affluent persons, several stipulations have been made in the guarantee schemes, such as ceilings on amount of credit as in the case of retail traders, the value of equipment as in the case of business enterprises and of plant and machinery in the case of small-scale industrial units. Besides, absolute limits have been placed on the Corporation's claim liability.

Invocation of Guarantee

10. The Corporation has revised the conditions for invocation of guarantee with effect from 1.4.1995. The conditions are as follows:

- (i) The participating credit institutions should lodge the claims only after the outstanding amount in the account is written off in the books of account of the institution under orders of the competent authority.
- (ii) The Corporation's guarantee shall cover only the principal amount sanctioned by the credit institution and in the case of cash credit/overdraft and other revolving credit facilities, amount outstanding upto the regular limit sanctioned under each type of credit facility.
- (iii) No claim shall be admitted from credit institutions in respect of accounts where recovery received from borrowers (excluding adjustment of subsidy) in a particular account is less than 25% of the total debits in the account on the date of write off, except under exceptional circumstances as under:
 - (a) When borrower has expired;
 - (b) When any natural calamity has affected the area;
 - (c) any other ground which may merit exception depending upon the circumstances brought to the notice of the Corporation in general, for a

particular area or category of borrowers;

- (iv) The claims should be lodged with the Corporation within a year from the date of write-off of the amount in the books of credit institution.
- (v) The condition of observance of 3 years lock-in period for lodgement of claims has been deleted in respect of all claims which fell due for lodgement on or after 1st April 1995.

The Corporation pays 50% of the principal amount in default subject to certain absolute limits stipulated in the schemes in regard to different categories of eligible activities. To smaller borrowers, relatively higher cover is provided by the Corporation. After payment

of the claims, the claimant institutions are required to continue effective steps to recover the dues and remit to the Corporation its share of the recoveries effected less expenses incurred for such recoveries, by virtue of the right of subrogation. Since 22 February 1994, credit institutions have been delegated powers to take decisions in matters like change/release of security/surety, waiver of legal action, compromise and scaling down of dues and write-off and they are not required to obtain the Corporation's prior approval. The proposals involving staff accountability, frauds, misappropriation etc., have, however, to be referred to the Corporation for its prior approval. On invocation of a guarantee and payment of a claim in respect of a borrower, the Corporation's guarantee cover is not available for any other credit extended to that borrower till the amount due to the Corporation on account of the claim already settled has been repaid.

ANNEXURE
CREDIT GUARANTEE SCHEMES — SALIENT FEATURES

Schemes	Eligible participants	Category of Borrowers	Guarantee fee	\$Guarantee cover
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A) SMALL BORROWERS				
1) Small Loans Guarantee Scheme, 1971	Commercial Banks (including Regional Rural Banks)	(i) Transport Operators	2.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually. In case of RRBs the rate of guarantee fee is 1.25% p.a. for first five years of their joining this Scheme)	50% of the amount in default or Rs.1,50,000/- whichever is lower.
		(ii) Retail Traders	— do —	50% of the amount in default or Rs.25,000/- whichever is lower.
		(iii) Professional & Self-employed Persons & Business Enterprises	— do —	50% of the amount in default or Rs.50,000/- whichever is lower.
		(iv) Farmers & Agriculturists — Direct Finance		
		1) For raising crops	— do —	50% of the amount in default or Rs.10,000/- whichever is lower.
		2) For developmental activities	— do —	50% of the amount in default or Rs.20,000/- whichever is lower.
		3) For conversion of crop loans upto a maximum of 3 conversions under special circumstances	— do —	50% of the amount in default or Rs.30,000/- (i.e. Rs.10,000 x 3) whichever is lower.
		4) For allied activities		
		i) Pisciculture	— do —	50% of the amount in default or Rs.37,500/- whichever is lower.
		ii) Sericulture	— do —	50% of the amount in default or Rs.18,750/- whichever is lower.
iii) Animal Husbandry	— do —	50% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower.		
iv) Poultry Farming	— do —	50% of the amount in default or Rs.22,500/- whichever is lower.		
v) Dairy Farming	— do —	50% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower.		
(With overall ceiling of Rs.60,000/- for more than one activity)				
<p>\$ With effect from 1.4.1995 the Corporation's guarantee shall cover only the principal amount sanctioned by the credit institution and in the case of cash credit/overdraft and other revolving credit facilities, amount outstanding upto the regular limit sanctioned under each type of credit facility.</p>				

(Contd.)

ANNEXURE (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>(v) Indirect Finance to Agriculture As per RBI definition of priority sector except advances for construction and running of cold storage and to custom service units which will be covered under Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981</p>	<p>2.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually. (In case of RRBs the rate of guarantee fee is 1.25% p.a. for first five years of their joining this Scheme)</p>		<p>50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/institution.</p>
	<p>(vi) Education Credit facilities to individuals for educational purposes granted by eligible credit institutions under special schemes introduced by them for the purpose.</p>		— do —	<p>50% of the amount in default.</p>
	<p>(vii) State Sponsored Organisations for SCs/STs Advances sanctioned by State Sponsored Organisations for SC/ST for the specific purpose of purchase and support of inputs to and/or the marketing of the outputs of the beneficiaries of these organisations.</p>		— do —	<p>50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/institution).</p>
	<p>*(viii) Housing-Direct Finance</p> <p>a) Loans upto Rs.2 lakhs for construction of houses granted to all categories of borrowers.</p>		— do —	<p>50% of the amount in default.</p>
	<p>b) Loans upto Rs.25,000/- for repairs to damaged houses granted to all categories of borrowers.</p>		— do —	— do —
	<p>*(ix) Housing Indirect Finance</p> <p>i) Assistance given to any governmental agency for the purpose of constructing house exclusively for the benefit of SC/ST and low-income groups and where loan component does not exceed Rs.2 lakhs per housing unit.</p>		— do —	<p>50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/institution).</p>
	<p>ii) Assistance to any government agency for slum clearance and rehabilitation of slum dwellers where loan component does not exceed Rs.2 lakhs per housing unit.</p>		— do —	— do —

* All Housing Loans have been excluded with effect from 1.4.1995 for the purposes of guarantee cover and computation of guarantee fee payable to the Corporation.

(Contd.)

ANNEXURE (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(x) Consumption Pure consumption loans granted consumption loans granted under the Consumption Credit Scheme.	— do —	50% of the amount in default.
II) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	Primary Urban Co-operative Banks	i) Transport Operators	1.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually.	50% of the amount in default or Rs.1,50,000/- whichever is lower.
		ii) Retail Traders	— do —	50% of the amount in default or Rs.25,000/- whichever is lower.
		iii) Business Enterprises & Professional & Self-employed Persons	— do —	50% of the amount in default or Rs.50,000/- whichever is lower.
		iv) Educational Loans	— do —	50% of the amount in default.
		v) Consumption Loans to Individuals upto Rs.500/-	— do —	— do —
		*vi) Housing Loans not exceeding Rs.25,000/- to		
		a) Individuals	— do —	50% of the amount in default.
		b) Government Agency	— do —	50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/ institution.
		vii) Activities allied Agriculture		
		i) Pisciculture	— do —	50% of the amount in default or Rs.37,500/- whichever is lower.
		ii) Sericulture	— do —	50% of the amount in default or Rs.18,750/- whichever is lower.
		iii) Animal Husbandry	— do —	50% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower.
		iv) Poultry Farming	— do —	50% of the amount in default or Rs.22,500/- whichever is lower.
		v) Dairy Farming	— do —	50% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower.
		vi) Purchase of bullock carts, camel carts, pack animals etc.	— do —	50% of the amount in default or Rs.10,000 whichever is lower.
(With overall ceiling of Rs.60,000/- for more than one activity)				
* All Housing Loans have been excluded with effect from 1.4.1995 for the purposes of guarantee cover and computation of guarantee fee payable to the Corporation.				

(Contd.)

ANNEXURE (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B) SMALL SCALE INDUSTRIES				
Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981	Commercial Banks (including RRBs), Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies	i) Small Scale Industrial Units (including ancillary units) to whom credit facilities not exceeding Rs.2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate extended.	1.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually.	50% of the amount in default or Rs.20 lakhs (apportioned separately and equally viz. Rs.10 lakhs for term loans and Rs.10 lakhs for working capital) whichever is lower.
		ii) Small Scale Industrial units in backward areas with credit facilities without any limit.	— do —	— do —
		iii) Small Scale Industrial units (including ancillary units) in other than backward areas having total credit facilities exceeding Rs.2 lakhs.	— do —	50% of the amount in default or Rs.20 lakh (apportioned separately and equally viz. Rs.10 lakhs for term loans and Rs.10 lakhs for working capital) whichever is lower.
		Indirect Finance to SSI		
		i) Agencies involved in assisting the decentralised sector in the supply of inputs and marketing of outputs of artisans, village and cottage industries.	— do —	(a) 50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities not exceeding Rs.2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate. (b) 50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities exceeding Rs.2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate.
		ii) Government sponsored Corporation/organisations providing funds to the weaker section in the priority sector (provided they are not covered by Government or any other guarantee)	— do —	— do —
		iii) Loans for construction and running of cold storage	— do —	50% (as stated above) of the amount in default or Rs.20 lakhs (Rs.10 lakhs each for working capital and term loans) whichever is lower.
		iv) Advances to custom service units managed by individuals, institutions or organisation who maintain a fleet of tractors, bulldozers, well boring equipment, threshers, combines etc. and undertake work from farmers on contract basis.	— do —	— do —
		v) Industrial Estates Loans for setting industrial estate	— do —	— do —

